लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

Parliament Library

[खंड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 31--40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

663 (Ai) LS—1.

विषय सूची

श्रंक 32, सोमवार 5 श्रप्रैल, 1965 / 15 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
721	कलकत्ता बन्दरगाह . . .	2973–74
722	भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां . . .	2974--78
723	नियमित कलाकारों की सेवा की शर्तें . . .	2978--81
725	राजनीतिज्ञ कों राजनीतिक नियुक्तियां . .	2981--83
727	निर्वाह मूल्य देशनांक . . .	2983--88
728	संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में परिवर्तन . .	2988–89
729	पाक-चीन सीमा श्रायोग	2989--91

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
724	निर्वाह मूल्य देशनांक	2991–92
726	मजदूर संघ तथा सहकारी समितियां	2992–93
730	श्रासाम राइफल्स के शिवर को हटाना .	2993
731	इल्पेनाइट का निर्यात .	2993–94
732	ठेका मजदूर पद्धति	2994
733	प्रधान मंत्री के रेडियो भाषण की प्रतियों का वितरण	2994–95
734	पूर्वी पाकिस्तान से गैर–मसलमानों का भारी संख्या में श्राना	2995
735	ढाका में भारतीय उप–उच्चायुक्त का कार्यालय	2995–96
737	पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी	2996
738	प्रतिरक्षा सेवाश्रों के पदाधिकारियों की सेवा निवृत्ति श्रायु	2996–97
739	तीसरे फिल्म समारोह का उदधाटन .	2997
740	चीनी दूतावास द्वारा सूचना केन्द्रों का खोला जाना	2997–98
741	शक्तिशाली ट्रांसमीटर . .	2998
742	शेख श्रब्दुल्ला को दिया गया पासपोर्ट .	2998–99
743	पाकिस्तान की जासूसी गतिविधियां .	3000
744	नागालैंड में शान्ति वार्ता का स्थगन .	3000–01
745	मंगला बांध	3001–02
746	वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा प्रकाशित मानचित्र .	3002

*किसी नाम पर श्रंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 32—*Monday, April* 5, 1965/*Chaitra* 15, 1887 (*Saka*).

*ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
721	Calcutta Port	2973—74
722	Submarines for Indian Navy	2974—78
723	Service conditions of staff Artistes	2978—81
725	Diplomatic Assignments for Politicians	2981—83
727	Cost of Living Index	2983—88
728	Changes in U.N. Charter	2988—89
729	Pak-China Boundary Commission	2989

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
724	Cost of living Index	2991—92
726	Trade Unions and Co-operative Societies	2992—93
730	Shifting of Assam Rifles Encampment	2993
731	Export of Ilmenite	2993—94
732	Contract Labour System	2994
733	Copies of Prime Minister's Broadcast	2994—95
734	Exodus of Non-Muslims from East Pakistan	2995
735	Office of Indian Deputy High Commissioner, Dacca	2995—96
737	Firing by East Pakistan Rifles	2996
738	Retirement age of Defence Services Officers	2996—97
739	Inauguration of the Third Film Festival	2997
740	Opening of Information Centres by Chinese Embassy	2997—98
741	High Power Transmitter	2998
742	Passport issued to Sheikh Abdullah	2998—99
743	Espionage Activities of Pakistan	3000
744	Postponement of peace talks in Nagaland	3000—01
745	Mangla Dam	3001—02
746	Map Published by Pak. Embassy in Washington	3002

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by the Member.

विषय

अतारांकित प्रश्न संख्या		पृष्ठ
1899	उड़ीसा में बेरोजगारी	3003
1900	डाक ले जाने के लिये मोटरगाड़ियों की खरीद	3003
1901	छावनी मतदाता संबंधी नियम, 1945	3003—04
1902	सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड	3004
1903	हिमालय की चोटियों पर चढ़ने के लिये नेपाल द्वारा रोक	3004—05
1904	कनाडा से प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल	3005
1905	बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों का पुनर्वास	3005—06
1906	आजाद हिन्द फौज के अंगहीन कर्मचारियों को अनुदान	3006
1907	भारत में जर्मन इंजीनियरिंग स्कूल	3006—07
1908	सेना परिचर्या सेवा में पेंशन की दरें	3007—08
1909	चीन के दूतावास के अधिकारयों की कलकत्ता यात्रा	3008—09
1910	नये डाकघर	3009
1911	बेरूबाड़ी का सीमांकन	3009
1912	आपातकालीन कमीशन	3010
1913	गुमनाम टेलीफोन काल	3010
1914	आयुध कारखानों में छंटनी	3011
1915	आकाशवाणी से वार्ताओं का प्रसारण	3011
1916	आयुध करों में पर्यवेक्षी पद	3012
1917	आयुध डिपुओं में हैड क्लर्क	3012
1918	अमरीकी आप्रवजन कानून	3013
1919	हिन्द में दूर मुद्रण सेवा	3013
1920	आकाशवाणी के स्टूडियो में सुविधायें	3013
1921	रोजगार के प्रतिमान	3014
1922	दुकान कर्मचारियों की मांगें	3014—15
1923	काफी बागान के लिये मजूरी बोर्ड	3015
1924	भागलपुर का आकाशवानी केन्द्र	3015
1925	सुरक्षा कानूनों का उल्लधंन	3015—16
1926	बूबीसोल कोयला खान	3016
1927	रेडियो के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा	3017
1928	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड	3017
1929	उड़ीसा से टेलीफोन राजस्व	3017—18
1930	नेफा में विमान दुर्घटनायें	3018
1931	उड़ीसा में डाक सेवायें	3018—19
1932	अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित करना	3019
1933	आकाशवाणी में उर्दू अनुभाग	3019

Unstarred Question Nos.	Subject	PAGES
1899	Unemployment in Orissa	3003
1900	Purchase of Vehicles for carrying mail	3003
1901	Cantonment Electoral Rules, 1945	3003—04
1902	Soldiers, Sailors' and Airmen's Boards	3004
1903	Nepal ban on Himalayan Peaks	3004—05
1904	Defence Study Team from Canada	3005
1905	Rehabilitation of repatriates from Burma and Ceylon	3005—06
1906	Grants for disabled INA Personnel	3006
1907	German Engineering School in India	3006—07
1908	Rates of Pension in Military Nursing Service	3007—08
1909	Visit of Chinese Embassy's Officers to Calcutta	3008—09
1910	New Post Offices	3009
1911	Demarcation of Berubari	3009
1912	Emergency Commission	3010
1913	"Ghost Call" on Telephone	3010
1914	Retrenchment in Ordnance Factories	3011
1915	Talks broadcast on A.I.R.	3011
1916	Supervisory Posts in Ordnance Corps	3012
1917	Head Clerks in Ordnance Depots	3012
1918	U.S. Immigration Laws	3013
1919	Teleprinter Service in Hindi	3013
1920	Facilities in Studios of A.I.R.	3013
1921	Employment Norms	3014
1922	Shop Employees Demands	3014—15
1923	Wage Board for Coffee Plantation	3015
1924	A.I.R. Station at Bhagalpur	3015
1925	Violation of Safety Laws	3015—16
1926	Babisole Collery.	3016
1927	Science Education through Radio	9017
1928	Calcutta D ck Labour Board	3017
1929	Telephone Revenue from Orissa	3017—18
1930	Flying Accidents in NEFA	3018
1931	Postal Services in Orissa	3018—19
1932	Reservation of Posts for S.C. and S.T.	3019
1933	Urdu Section in A.I.R.	3019

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1934	पाकिस्तानियों द्वारा गोलीबारी	3019—20
1935	वियतनाम में हताहत भारतीय .	3020
1936	राजस्थान में पाकिस्तानी ट्रांसमीटर	3020
1937	भूमि अर्जन . . .	3020-21
1938	चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाना	3021
1939	आन्ध्र प्रदेश में अणुशक्ति केन्द्र .	3021
1940	सेना के पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि	3022
1941	केन्द्रीय सूचना सेवा, श्रेणी 4 . .	3022-23
1942	विवाहित सैनिक कर्मचारियों के लिये जुदाई भत्ता . .	3023-24
1943	काश्मीर के बारे में चीन के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति .	3024
1944	अखबारी कागज़ पर से आयात—कर का हटाया जाना .	3024
1945	भारत के लिये अमरीकी लड़ाकू विमान .	3024—25
1946	जयपुर के लिये डाक . . .	3025
1947	परगवाल में पेड़ों के बारे में विवाद .	3025—26
1948	स्मृति डाक—टिकट	3026
1949	सऊदी अरब के विमान चालक को बचाना .	3026
1950	जंजीबार में भारतीयों को पेंशन . . .	3026—27

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

तेनूर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . . .	3027—29
श्री हुकम चन्द कछवाय	3027—28
श्री हाथी	3028—29

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

शेख अब्दुल्ला और चीन के प्रधान मंत्री के बीच मुलाकात . .	3029—35
श्री हेम बरुआ	3029
श्री स्वरण सिंह	3029—35
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	3035—36
तारांकित प्रश्न संख्या 646 के उत्तर में शुद्धि . . .	3036
पंचायतों की वित्तीय स्थिति . . .	3036
श्री ब० सू० मूर्ती . . .	3036
अनुदानों की मांगें . . .	3036
वाणिज्य मंत्रालय	
श्री रंगा . . .	3037—40
श्री ब० ब० गांधी	
श्रीमती अकम्मा देवी	3041—42

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
1934	Firing by Pakistanis	3019-20
1935	Indian casualties in Vietnam	3020
1936	Pakistani Transmitter in Rajasthan	3020
1937	Acquisition of Land	3020-21
1938	Seating of China in U.N.O.	3021
1939	Atomic Power Station in Andhra	3021
1940	Increase Pay scales of Army Officers	3022
1941	Central Information Service Grade IV	3022-23
1942	Separation Allowance for married Army Personnel	3023-24
1943	Press release on China's stand on Kashmir	3024
1944	Withdrawal of Import Levy on Newsprint	3024
1945	U.S. Jet Fighters for India	3024-25
1946	Mail for Jaipur	3025
1947	Disputes over Trees in Pargwal	3025-26
1948	Commemorative Stamps	3026
1949	Rescue of Saudi Arabian Pilot	3026
1950	Pensions of Indian in Zanzibar	3026-27

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—

Police firing at Tanur . . . 3027—29

Shri Hukam Chand Kachhavaiya . . . 3027-28

Shri Hathi . . . 3028-29

Motion for Adjournment and Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Meeting between Sheikh Abdullah and Chinese Prime Minister . 3029—35

Shri Hem Barua . . . 3029

Shri Swaran Singh . . . 3029—35

Papers laid on the Table . . . 3035-36

Correction of Answer to S.Q. No. 646 . . . 3036

Financial conditions of Panchayats . . . 3036

Shri B. S. Murthy . 3036

Demands for Grants . . 3036—71

Ministry of Commerce

Shri Ranga . . . 3037—40

Shri V. B. Gandhi . . . 3040-41

Shrimati Akkamma Devi . . . 3041-42

विषय	पृष्ठ
श्री अल्वारेस	3044-46
श्री प्र० चं० बरुआ	3046-48
श्री ओझा	3048-50
श्री उ० मु० त्रिवेदी	3050
श्री हेडा	3051-52
श्री हेम राज	3052-53
श्री शिकरे	3053-54
श्री श्याम लाल सर्राफ	3054-56
श्री यशपाल सिंह	3056
श्री अब्दुल्ला वहीद	3056-58
श्री वारियर	3059-60
श्री मनुभाई शाह	3060-71

Subject	PAGES
Shri Alvares	3044—46
Shri P. C. Borooah	3046—48
Shri Oza	3048—50
Shri U. M. Trivedi	3050
Shri Heda	3051-52
Shri Hem Raj	3052-53
Shri Shinkre	3053-54
Shri Sham Lal Saraf	3054—56
Shri Yashpal Singh	3056
Shri T. Abdul Wahid	3056—58
Shri Warior	3059-60
Shri Manubhai Shah	3060—71

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 5 अप्रैल, 1965/15 चैत्र, 1887 (शक)
Monday, April 5, 1965/Chaitra 15, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता बन्दरगाह

+
*721. { **श्री रा० गि० दुबे :**
श्रीमती सावित्री निगम : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय बन्दरगाह और गोदी कर्मचारी संघ ने मांग की है कि कलकत्ता बन्दरगाह में मज़दूर-मालिक सम्बन्ध तथा मज़दूरों द्वारा उत्पादन के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त न्यायिक समिति नियुक्त की जाये ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ ने कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के पुनर्गठन की मांग की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं। संघ ने मई, 1964 में बन्दरगाहों पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा नियुक्त श्रमिकों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की मांग की।

(ख) जी हां।

श्री रा० गि० दुबे : क्या कलकत्ता बन्दरगाह में कोई प्रोत्साहन योजना चालू की गई है, यदि हां, तो वह कैसे चल रही है ?

श्री संजीवैया : यह 16 मार्च से चालू की गई है और यह सन्तोषजनक ढंग से चल रही है।

श्री रा० गि० दुबे : इस प्रोत्साहन योजना के मार्ग में क्या किन्हीं तत्वों से बाधायें तो नहीं खड़ी की जा रही हैं?

श्री संजीवैया : कोई बाधा नहीं है, परन्तु कुछ कर्मचारी संघों ने इसमें कुछ परिवर्तन करने की मांग की है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती सावित्री निगम। जब मैं उन्हें देखता हूं तो उनका नाम पुकारता हूं क्योंकि मैं उन्हें अपने स्थान पर नहीं पाता हूं।

श्रीमती सावित्री निगम : इन परिवर्तनों के बारे में मुख्य सुझाव क्या है और सरकार की उन के बारे में प्रतिक्रिया क्या है। सरकार उन को मानने और राहत देने में कितना समय लेगी?

श्री संजीवैया : मैं इस समय सुझावों को सभा को बता नहीं सकता। परन्तु हम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 3 महीने के लिये यह देख लेने पर कि योजना कैसे चलती है हम उन के सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री कपूर सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आप ने कहा कि आप को मालूम नहीं कि शायद एक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं परन्तु आप ने उनका नाम पुकारा। क्या आप पर कोई विशेष अधिकार हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय : कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन का यह अधिकार है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसे ही है। श्री कपूर सिंह उन व्यक्तियों में से एक हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या गोदी कर्मचारियों के कुछ संघों ने सरकार से मांग की है कि बाकी के जो विषय हैं और जिन के कारण कर्मचारी उद्विग्न हैं उन पर द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय समझौता किया जाये। यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री संजीवैया : हां, कुछ कर्मचारी संघों ने मांग की है और उन मांगों पर विचार हो रहा है।

भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां

+

*722. {
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :
श्री पें० बेंकटासुब्बया :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियों की खरीद संबंधी 30 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने इस बीच क्या निश्चय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : आधुनिक पनडुब्बी को प्राप्त करने का सुझाव अभी प्रगतिशील है।

Shri Yashpal Singh : Have the Government considered that by the time a new submarine is acquired, we should have an artificial old and secondhand submarine so that we can claim that we also possess one ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : Artificial submarine is not useful and so it wlll not be purchased.

Shri Yashpal Singh : Which are the countries with whom negotiations for getting a submarine are going on? Will it be got from Russia or England and when it is likely to be received?

Shri Y.B. Chavan : It is difficult to indicate a date. As I said, proposals of both the countries are before us. One thing is clear that we have asked Britain that if they are prepared to give us a submarine will they give us monetary help also ? After knowing their decision, we will come to some conclusion.

Shri M. L. Dwivedi: At present negotiations are going on for acquiring a submarine from Russia and Britain, I want to know what type will be useful and cheap and whether talks are going on with other countries, if not, why not ?

Shri Y. B. Chavan : So far as the quality is concerned, submarines from both the countries will be useful. Now the question is which one will be better from training point of view and availability of funds. It will be considered before a decision is taken.

श्री स० चं० सामन्त : क्या अपने देश में पनडुब्बी बनाने का कारखाना खोलने का भी कोई प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी नहीं।

श्री हेम बरुआ : क्या हमारी सरकार ब्रिटेन की सरकार से धन की व्यवस्था के लिये भी बातचीत कर रही है और उस धन से ब्रिटेन से पनडुब्बी खरीदी जायेगी। यदि हां, तो बातचीत इस समय किस स्थिति में चल रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाणः : मेरी ताजा खबर के अनुसार ब्रिटेन सरकार धन व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है और निकट भविष्य में निर्णय हो जायेगा।

Shri Sidheshwar Prasad : The hon. Minister has said that talks are going on with Britain and Russia. I want to know whether the submarines

offered by these two countries have been got examined by Indian experts and which one is more suitable to our Navy and conditions prevalent here.

Shri Y. B. Chavan : As I said, exercises were done earlier, the submarines of both countries were found suitable.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं जानना चाहता हूं कि यह कितना शीघ्र होगा :

श्री यशवन्तराव चह्वाण : समय के बारे में बताना कठिन है ।

श्री दी० चं० शर्मा : देश में आपातकाल की घोषणा हुए ढाई साल हो गये हैं। चीन और अन्य देशों की नौसेनाओं से संवर्धन होने के बारे में हम सुन रहे हैं। सरकार ने हमारी प्रतिरक्षा की इस लम्बे समय की आवश्यकता की पूर्ति में इतना अधिक समय क्यों लगा दिया है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस को मैं ब्योरे से बताता हूं। जब आपातकाल हुआ तो हम ने उत्तरी सीमा पर स्थल सेना को दृढ़ करने को प्राथमिकता दी थी। यह ठीक है कि हमारी नौसेना की हालत अच्छी नहीं थी परन्तु इसे प्राथमिकता नहीं दी गई। जब हम ने देखा कि स्थल सेना और वायु सेना पर्याप्त प्रगति कर रही हैं तो नौसेना की आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान दिया गया और वही अब किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बता सकते हैं कि भारत के अतिरिक्त ऐसे और कितने देश हैं जिन की नौसेना के पास विमान ले जाने वाले पोत हैं परन्तु पनडुब्बी नहीं हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ऐसे देश भी है जिन के पास न तो विमान ले जाने वाले पोत हैं और न ही पनडुब्बी हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : यह जो पनडुब्बी ब्रिटेन से खरीदी जा रही है यह कितनी पुरानी है। क्या इस में मुरम्मत या परिवर्तन करने पड़ेंगे और उस पर खर्चा कितना पड़ेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं खर्चे के बारे में कहना नहीं चाहता। इस विषय पर अभी विचार हो रहा है। जिस के लिये बातचीत चल रही है वह आधुनिक प्रकार की है और उसे 'ओबेरान' कहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या माननीय मंत्री का ध्यान प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के समाचारपत्रों में छपे इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में प्रतिरक्षा मंत्री के मंगलवार, 30 मार्च के लोक सभा में दिये गये वक्तव्य की शुद्धि की गई हैं। यह वक्तव्य नौसेना के लिये पनडुब्बी के बारे में था। प्रवक्ता ने कहा है कि इस बारे में अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है। यदि हां, तो क्या यह बताया जा सकता है कि प्रवक्ता कौन है और क्या माननीय मंत्री ने उस को वक्तव्य में शुद्धि करने का अधिकार दिया था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हां, मैंने यह शुद्धि करायी थी क्योंकि मेरी बात को गलत छापा गया था कि हम ने रूस की पनडुब्बी को उचित नहीं पाया। मैं इस को ठीक करना चाहता था क्योंकि मैंने यह कहा नहीं था। मैंने कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि ब्रिटेन से बातचीत चल रही है और यदि इस में सफलता नहीं मिलती तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा में स्वयं शुद्धि करने से पहले उन्होंने प्रवक्ता को अधिकार दिया था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्होंने स्वयं आज्ञा दी थी और वह यह शुद्धि करना चाहते थे।

श्री हरि विष्णु कामत : वह स्वयं कर सकते थे परन्तु उन्होंने प्रवक्ता को यह करने को कहा।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं जानता हूं कि प्रवक्ता यह कर रहा है। यही मैंने कहा था।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने उसे अधिकार दिया था। यही मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री प्रश्न के सीधे उत्तर को टाल रहे हैं।

श्री शिंकरे : प्रतिरक्षा मंत्रालय ने रक्षा के बारे में एक पांच वर्ष की योजना बनायी है क्या देश की पनडुब्बी सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में अनुमान लगाया गया है ? यदि हां, तो अनुमान क्या है और आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में क्या सम्भावनायें हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह एक बहुत सामान्य प्रश्न है इस का उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री शिंकरे : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दिया जाये कि क्या अनुमान लगाया गया है ?

श्री हरि विष्णु कामत : वह स्वयं यह भाग चुन रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं कह सकता हूं कि अनुमान लगाया गया है परन्तु मैं ब्यौरा नहीं दे सकता।

श्री रंगा : क्या यह समझना चाहिये कि ब्रिटेन तथा रूस के बीच इस बारे में कोई मतभेद अथवा स्पर्द्धा है। यदि हां, तो क्या हम एक से अधिक पनडुब्बी नहीं ले सकते ताकि एक ब्रिटेन से तथा दूसरी रूस से प्राप्त कर ली जाये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह ठीक तथा व्यवहारिक नहीं होगा कि हम अपनी नौसेना में दो भिन्न प्रकार की पनडुब्बियां रखें। इस से उन के देखभाल उन के बारे में प्रशिक्षण तथा अन्य विषयों के बारे में समस्यायें खड़ी हो जायेंगी। यदि हमें नई पनडुब्बी रखनी है तो वह एक प्रकार की ही अच्छी होगी।

श्री रंगा : प्रथम भाग का क्या उत्तर है, कि क्या कोई मतभेद अथवा स्पर्द्धा है और सरकार निर्णय करने से डर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : नहीं बिलकुल नहीं। न तो स्पर्द्धा और न ही मतभेद हैं। वास्तव में हमें अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय बातों पर विचार करना है।

श्री दाजी : क्या इस विषय पर विचार हो रहा है और विलम्ब हमारी ओर से है अथवा ब्रिटेन की ओर से ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ब्रिटेन की ओर से।

श्री जोकीम आल्वा : पांच प्रकार की पनडुब्बियां हैं अर्थात् प्रतिरक्षा सम्बन्धी, आक्रमण सम्बन्धी, प्रशिक्षण सम्बन्धी, जासूसी सम्बन्धी, आदि। इन में से हम कौन से ले रहे हैं। क्या हम ने कोई योजना बनायी है कि अगले पांच या दस सालों में मझागाओं बन्दरगाह में अथवा गार्डन रीच वर्कशाप में पनडुब्बी बनाने का केन्द्र बनाया जाये।

श्री यशवन्तराव : चह्वाण हमारा विचार पनडुब्बी के निर्माण को चालू करने का नहीं है। अभी तो हम फ्रीगेट के निर्माण की प्रथम स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है हम इस बारे में भी कभी सोचें परन्तु इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री विश्राम प्रसाद : मुख्य प्रश्न के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने कहा है कि इस विषय में प्रगति हो रही है। यह कब से है, कितनी प्रगति हुई है और यह प्रगति कब तक होती रहेगी।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में मैं ने इस का उत्तर द दिया है।

Service Conditions of Staff Artists

*723. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Jagdev Singh Sidhanti :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri K. C. Pant :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Balkrishna Wasnik :
Shri P. C. Borooah:
Shri Indrajit Gupta :
Shri Daji :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 155 on the 23rd November, 1964 and state the up-to-date progress made in the matter of giving better service conditions to the staff artists of the All India Radio?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है जिसमें यह दिखाया गया है कि 23 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर में बताए गए उपायों के अतिरिक्त आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा-स्थिति सुधारने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4137/65]**

Shri Prakash Vir Shastri : On going through this detailed statement it is not understood whether these artists get similar facilities, like dearness allowance, city allowance, leave and family pension as are provided to other Governemnt employees.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वास्तव में सात शीर्षक हैं। विवरण के दो भाग हैं। पहला भाग फीस दर, भत्तों, मोटर कार खरीदने के लिये ऋण, अर्जित छुट्टी, श्रवण / चुनाव समितियों, छुट्टियों तथा त्योहार पेशगी के बारे में है। 1-10-1964 से मंहगाई भत्ता तथा प्रतिकर भत्ता सरकारी कर्मचारी की भान्ति स्टाफ आर्टिस्टों को भी मंजूर कर दिया गया है।

Shri Prakash Vir Shastri : My question was that facilities available to Government servants.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या अन्य सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधायें स्टाफ आर्टिस्टों को भी उपलब्ध है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सभी नहीं परन्तु बहुत सी ।

Shri Prakash Vir Shastri : This statement shows that Government has sanctioned dearness allowance but their pay scales have been reduced. I want to know the policy of giving by one hand and taking away by the other hand.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वे स्वयं एक वर्ग हैं। उन के अभ्यावेदन को देख कर हम उन की सेवा की शर्तों को तय करते हैं। वे उन में सुधार चाहते थे। उन में से कुछ 60 वर्ष की आयु तक रखे जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वे एक पृथक वर्ग है और उन की सरकारी कर्मचारियों से तुलना नहीं हो सकती ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह प्रश्न वह नहीं जो श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पूछा था ।

अध्यक्ष महोदयः : मैं ने प्रश्न समझ लिया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न था कि वेतन क्यों घटाया जाये। भत्ते बढ़ा दिये गये हैं। परन्तु वेतन कम कर दिये गये हैं। उन्होंने उस का उत्तर नहीं दिया ।

श्री दाजी : वह एक हाथ लेते हैं और दूसरे ले लेते हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The other Central Government employees were given dearness allowance in 1961 whereas All India Radio's staff artists were given this in October, 1964. Why this discrimination?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सरकार ने सभी बातों का ध्यान कर के 1964 में भत्ते देने आरंभ किये थे। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि वे फीस, पहाड़ी स्थान भत्ता, तथा बच्चों के भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे हैं

Shri Sidheshwar Prasad : Government has taken many steps according to the recommendations of that committee. One thing for consideration before the committee was about bringing staff artists on equal basis with other Central Government servants. What recommendation was made by the Committee on this and what are difficulties in arriving at a decision on this.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री उस समिति का उल्लेख कर रहे हैं जो अक्तूबर, 1962 में थी। अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं। 23 नवम्बर, 1964 के पश्चात् उनमें से अनेक क्रियान्वित कर दी गईं थीं, जिनके बारे में मैंने अभी उत्तर दिया। यह भी सच है कि तीन या चार बातें ऐसी हैं जिन पर हमें विचार करना है

श्री स० मो० बनर्जी : नवम्बर, 1964 के प्रश्न के उत्तर में दिये गये वक्तव्य तथा 8 नवम्बर, 1964 को मंत्री महोदय द्वारा की गई इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए कि आगे से स्टाफ़ आर्टिस्टों

को पांच साल के लिये ठेके दिये जायेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन सभी आर्टिस्टों को पांच साल के ठके दिये जायेंगे जिनके ठेके इस बीच समाप्त हो गये हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इस समय मैं यह सब ब्यौरा नहीं दे सकता। मैं सभा-पटल पर एक विवरण प्रस्तुत करा सकता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि हमने तीन साल के स्थान पर पांच साल कर दिये हैं। जहां तक नोटिस की अवधि का सम्बन्ध है, यह सरकारी कर्मचारियों के मामले में एक महीने के स्थान पर तीन महीने होगी।

श्री प्र० चं० बरुआ: एसे अनेक आर्टिस्ट हैं जो वर्षों से सेवा कर रहे हैं लेकिन अब भी ठेके पर हैं यद्यपि उनके समान योग्यता प्राप्त अनेक उपसंपादकों को, उनसे कनिष्ठ होने पर भी, केन्द्रीय सूचना सेवा की तीसरी श्रेणी में पदोन्नति की जाती है। इससे स्टाफ़ आर्टिस्टों में नैराश्य की भावना उत्पन्न हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत स्टाफ़ आर्टिस्टों को समाचार सेवा डिवीजन से केन्द्रीय सूचना सेवा में स्थान्तरित तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें उस संवर्ग में रख लिया जायेगा ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : स्टाफ़ आर्टिस्टों की कुछ श्रेणियों के पद स्थायी सरकारी कमचारियों के समतुल्य हो जाने की अत्यधिक अच्छी संभावना है। लेकिन अन्य श्रेणिया हैं जिन्हें सभा समझ सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि आकाशवाणी में प्राय: नैमित्तिक कलाकार (केजुअल आर्टिस्ट) रखे जाते हैं जिन्हें उतनी योग्यता के 10 अथवा 15 वर्षों से निरन्तर काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन से बहुत अधिक वेतन, प्राय: दुगना वेतन दिया जाता है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : ऐसे अनेक नैमित्तिक कलाकार होते हैं जो अल्प-काल के लिये प्रतिभाशाली होते हैं जैसे तम्बूरे, मृदंग आदि के। इसलिये इस अवधि व उस ठेके के लिये उन्हें अधिक वेतन दिया जाता है।

श्री दाजी : क्या सरकार को मालूम है कि 10 बजे रात्रि से 7 बजे प्रात: के बीच एक कैंटीन की व्यवस्था करने की स्टाफ़ आर्टिस्टों की साधारण मांग अभी तक नहीं मानी गई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह भी एक विषय है जिसपर हम विचार कर रहे हैं।

श्री दाजी : यह मुल आवश्यकताओं से सम्बन्धित एक साधारण मामला है। क्या उन्हें चाय, पानी आदि नहीं पीना चाहिये। इसमें विचार करने की क्या बात है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो वास्तव में सारी रात काम करते हैं। कुछ ऐसे भी सेक्शन हैं जिनमें कुछ गोपनीय मामलों से सम्बन्धित काम होता है, हम बाहर भी समाचार प्रसारित कर रहे हैं। ऐसी अनेक अन्य विचारणीय बातें हैं। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही ऐसे कर्मचारियों के लिये कैंटीन की व्यवस्था हो जायेगी।

श्रीमती विमला देवी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि अनाउन्सरों के पद स्थायी नहीं किये जाते हैं क्योंकि य उनकी आवाज पर निर्भर करते हैं; यदि हां, तो सरकार इस अन्याय को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि यह हो सकता है कि अनाउन्सर कुछ काल के लिये उपयोगी हों।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि केवल लगभग तीन वर्ष पहले संघ लोक सेवा आयोग ने स्थायी रूप से रखने के लिये जो स्टाफ़ आर्टिस्ट चुने थे, उन्हें आज तक स्थायी नहीं किया गया है? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अब ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने तथा उनकी शिकायतें दूर करने के लिये तैयार है?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं पिछले दस महिनों की घटनाओं और मंजूर की गई विभिन्न सिफारिशों की ओर निर्देश कर रहा हूं। कुछ सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं। यदि यह भी एक सिफारिश है तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री ओझा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या शास्त्रीय कलाकारों का एक सामान्य पूल बनाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है यदि हां, तो इससे उनके वर्तमान वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : दक्षिण में शास्त्रीय कलाकार उत्तर से भिन्न हो सकते हैं। प्रतिभा की आयु अथवा प्रसारण कार्य के लिये उपयोगी होने की अवधि भी अधिक न हो।

राजनीतिज्ञों की राजनयिक नियुक्तियां

+

*725. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री विद्यावरण शुक्ल : }

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने राजनीतिज्ञों को राजनयिक पदों की पेशकश की गयी और इसमें से कितने व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया ;

(ख) क्या भारतीय विदेश सेवा पदाली में उपयुक्त अधिकारियों के न मिलने के कारण इन पदों की उन्हें पेशकश की गयी थी तथा नियुक्तियां की गई थीं; और

(ग) राष्ट्रपति से ऐसी नियुक्तियों के लिये सिफारिश करने में किन सिद्धांतों तथा नियमों का पालन किया गया?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तीन राजनयिक पदों की पेशकश की गई थी और तीनों पर सार्वजनिक व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार सार्वजनिक जीवन से आनेवाले व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त करती है जिसके लिए उनका अनुभव विशेष रूप से उपयुक्त समझा जाता है।

श्री प्र० चं० बरुआ : यद्यपि सेवाओं के व्यक्ति अच्छे प्रशासक तथा कार्यपालक होते हैं, वे हमेशा नीति निर्धारित करने में अच्छे नहीं होते। इसलिये, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार नीति निर्धारित करने वाले ऐसे पदों पर सार्वजनिक जीवन से आने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने का है, जो देश के लोकतन्त्रात्मक स्वरूप का अधिक प्रतिनिधित्व करेंगे?

श्री स्वर्ण सिंह : राजनयिक मिशन नीति निर्धारित नहीं करते। वे तो प्रतिनिधत्व करने वाली अपनी सरकार की नीति को आगे चलाते हैं। चयन का यह प्रश्न चुने गये व्यक्तियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में एक उत्तम सार्वजनिक व्यक्ति उपयोगी रहेगा और हमने इन स्थानों पर सार्वजनिक व्यक्तियों को नियुक्त किया है।

श्री प्र० चं० बरुग्रा : पिछले सोमवार को एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह माना था कि विदेशी मिशनों का क, ख, ग श्रेणी में वर्गीकरण वहां उपलब्ध सुख-सुविधाओं के आधार पर होना चाहिये लेकिन वहां नियुक्तियों का आधार यह न होकर उस देश से हमारे सम्बन्ध होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि निर्देशक इस सिद्धान्त को कार्यरूप देने के लिये क्या क्रियात्मक कदम उठाये गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : बात यह है कि राजनयिक मिशन में नियुक्त किये गये व्यक्ति की उपयुक्तता तथा उस देश में अपने देश का प्रभावशाली ढंग से प्रतिनिधित्व करने की उस व्यक्ति की उपयुक्तता निर्देशक सिद्धान्त होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारे विदेशी मिशनों में प्रधान के रूप में नियुक्त किये गये इन सार्वजनिक व्यक्तियों में से क्या किसी को अफ्रीकी देशों में भेजा गया है अथवा वे कहां भेजे गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : एक ब्रिटेन में हैं, दूसरे काठमांडू में और तीसरे कोलम्बो में जा रहे हैं।

श्री दाजी : उन गैर-सरकारी व्यक्तियों की परस्पर पूर्वता के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है जो राज्यपाल रह चुके हैं तथा वे जो राज्यपाल नहीं थे।

श्री स्वर्ण सिंह : श्री भीमसेन सच्चर के मामले में, जो कोलम्बो जा रहे हैं, हमने यह तदर्थ निर्णय किया कि उन्हें पूर्वता अधिपत्र (वारन्ट आफ प्रीसीडेंस) की विष्टि संख्या 12 के समान पूर्वता मिलेगी अर्थात् वही पूर्वता जो एक राज्य के सेवायक्त राज्यपाल को दूसरे राज्य में प्राप्त है।

श्री दाजी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल न रहने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल रहने वाले व्यक्तियों से नीचे स्थान दिया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों प्रकार के सार्वजनिक गैर-सरकारी सार्वजनिक व्यक्तियों को, जिनका यहां उल्लेख किया गया है, पूर्वता अधिपत्र में पहले ही एक विशेष स्थान दिया गया है और उसमें परिवर्तन करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री रंगा : यह कैसे कि, जबकि स्वन्त्रता-प्राप्ति के पहले पांच-छः वर्षों में इन पदों पर कांग्रेस सदस्यों अथवा कांग्रेस नेताओं को नियुक्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, अब किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध न रखने वाले तथा सार्वजनिक जीवन में प्रमुख स्थान रखने वाले व्यक्तियों के स्थान पर, जैसे डा० कुंजरू तथा उनके जैसे अन्य व्यक्ति, केवल कांग्रेस सदस्यों का चयन करने की यह एक नई प्रणाली चलाई जा रही है जो कि एक बिल्कुल एक नया दृष्टान्त है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इनके चयन में राजनैतिक बातों अथवा दल सम्बन्धों के आधार पर निर्णय नहीं किया जाता है तथा मुख्य विचार विशेष कार्य अथवा नियुक्ति के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता रहा है।

श्री तिरुमल राव : क्या सरकार टोकियो, वाशिंगटन तथा मास्को जैसे स्थानों में दूतावासों में वरिष्ट नियुक्तियों से सन्तुष्ट है कि ये संभ्रान्त व्यक्ति उस देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि को ठीक प्रकार से आत्मसात कर लेते हैं तथा भारत की नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां, श्रीमान्। उनकी नियुक्तियों का यही आधार है ।

श्री रामसहाय पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनयिकों के रूप में राजनीतिज्ञों की नियुक्तियों के अतिरिक्त, पत्रकारों को भी इन पदों की पेशकश की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : अभी तक नहीं, लेकिन यदि पत्रकारों में कोई उपयुक्त व्यक्ति हो, तो उसपर विचार किया जा सकता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार ने बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्थिति का वास्तविक मुल्यांकन किया है तथा इस मामले में दूसरे देशों द्वारा की जा रही कार्यवाही की ओर ध्यान दिया है । क्या उन्होंने आवश्यकता निर्धारित की है तथा उनके क्या निष्कर्ष हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रत्येक मिशन में काम का निर्धारण तथा राजनैतिक विचार इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है तथा किसी विशेष देश में सभी आवश्यकताओं व उस नियुक्ति के लिये जो व्यक्ति योग्य समझा जाये, उसकी उपयुक्तता बराबर आंकी जाती है

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस विशेष पहलू पर सार्वजनिक व्यक्तियों तथा सेवाओं के व्यक्तियों को परस्पर तुलना में आपके क्या निष्कर्ष हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मूल्यांकन किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सार्वजनिक व्यक्तियों के यथार्थ कार्यपालन आंका गया ,था पद संभालने के बाद उन्होंने साधारणतया अच्छा काम किया है

श्री कपूर सिंह : क्या हमारा यह समझना ठीक है कि सार्वजनिक जीवन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मामले में पूर्वता अधिपत्र में स्थान का निर्धारण तदर्थ रूप में किया जाता है और यदि हां तो क्या इसका कारण सिद्धान्त निरूपण की कमी है अथवा यही सिद्धान्त मान लिया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : राजदूतों के लिये पूर्वता अधिपत्र में दो स्थान हैं । यदि वे वृत्तिक राजनयिक हो तो नियमित सेवा में वरिष्ठता सिद्धान्त है तथा यदि सार्वजनिक क्षेत्र से व्यक्ति चुना जाता है तो सार्वजनिक जीवन में उसकी स्थिति । वास्तविक स्थान इन सब बातों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है तथा कुछ विशिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं जिनका पालन किया जाता है । श्री भीमसेन सच्चर के मामले में तदर्थ आधार पर निर्णय किया गया हैं ।

निर्वाह-व्यय देशनांक

*727. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने

(क) क्या मध्यम वर्ग का निर्वाह मूल्य देशनांक तैयार है और यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(ख) निर्णय कब किया गया, कार्य कब आरम्भ किया गया और यह इस समय किस अवस्था में है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री ललित सेन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मध्यम वर्ग निर्वाह-व्यय सूचकांक तैयार करने के विचार से भारत सरकार ने नवम्बर 1957 में शहरी मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवन के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्णय किया । इस सूचकांक को अब श्रमिक-गैर मजदूर (बुद्धिजीवी) कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं ।

उपर्युक्त सर्वेक्षण 1958—59 में 45 चुने हुए शहरों तथा कस्बों में किया गया । जिन 45 शहरों और कस्बों में सर्वेक्षण हुए थे उनमें से प्रत्येक के बारे में उपभोक्ता खपत के विभिन्न मदों के लिए अलग-अलग नाप-तोल संगठित किये गये हैं । अब इस प्रकार के नाप-तोल के आधार पर 1960 को आधार वर्ष मानकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किये जा रहे हैं । 16 राजधानियों के सूचकांक आशा है कि इस महीने के अन्त तक पूरे हो जायेंगे । बाकी 29 शहरों के सूचकांक करीब एक साल के अन्दर तैयार होंगे ।

ये सूचकांक सर्वेक्षण के दौरान संकलित पारिवारिक आय-व्यय के आंकड़ों तथा पिछले पांच वर्षों के भीतर संग्रहीत कीमत सम्बन्धी आंकड़ों के सारणीकरण तथा विश्लेषण से सम्बन्धित विस्तृत कार्य के कारण पहले नहीं तैयार हो सके ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले 9 वर्षों से यहां एक नियोजित अर्थव्यवस्था होते हुए भी हम अभी तक यह अभिसूचक तैयार नहीं कर सके । आखिर ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जिनको पार नहीं किया जा सका ? मैं प्रधान मंत्री को यह याद दिला दूं कि द्वितीय वेतन आयोग ने कहा था कि यह अभिसूचक 2 वर्षों में तैयार हो जावेगा । अब तो 5 वर्ष बीत चुके हैं । इस सूचना की अनुपस्थिति में दास आयोग को भी अपने कार्य में कठिनाई उठानी पड़ी । इस पर 1957 में कार्य आरम्भ हुआ था और अभी तक पूरा नहीं हो पाया तो ऐसी कौनसी कठिनाइयां हैं ?

श्री ललित सेन : कठिनाईयों का उल्लेख तो सभा पटल पर रखे विवरण में कर दिया गया है । कुछ देर हो गई है परन्तु इसे शीघ्र अति शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । 16 नगरों के बारे में तो यह अभिसूचक इस मास के अन्त तक तैयार हो जावेंगे और बाकी के जल्दी ही उसके पश्चात् ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अध्यक्ष महोदय क्या आपके विचार में यह उचित उत्तर है । कार्य 1957 में आरम्भ किया था । कौन सी कठिनाइयों के कारण यह कार्य 9 वर्ष रुका रहा ?

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि विवरण में दिया गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विवरण में वह बात नहीं दी गई । यह तो केवल 8 लाइनों का विवरण है । कोई कठिनाई तो इस में बताई नहीं गई है । उन्होंने

वेतन आयोग को कहा कि यह 1960 तक तैयार हो जावेगी । वह इस प्रकार कैसे कह सकते हैं। कौनसी कठिनाई हैं जिसके कारण यह 1965 तक भी नहीं हो सका ?

श्री ललित सेन : कुछ कठिनाइयों का उल्लेख तो विवरण में दिया गया है । जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ देर हुई है और कुछ और कठिनाईयां भी थीं । केन्द्रीय सांख्यिक संस्था ने अपना कार्य समाप्त करके भारतीय सांख्यिक संस्था को दे दिया और उन्होंने इस कार्य में एक वर्ष निर्धारित समय से भी अधिक ले लिया । कुछ मशीन आदि मंगवाने में विदेशी मुद्रा की कठिनाईयां आईं क्योंकि हमारे पास केवल 25 मशीनें हैं और हमें आवश्यकता अधिक की है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं इस प्रश्न के बारे में प्रधान मंत्री के ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं । मुझे पता नहीं है कि प्रधान मंत्री अपने आपको मध्य वर्ग का समझते हैं अथवा नहीं । क्या उन्हें पता है कि इस वर्ग को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में बहुत कठिनाईयां उठानी पड़ रही हैं। उनका इसके बारे में क्या अनुमान है और वे इस दिशा में विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिये क्या करना चाहते हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस कार्य में काफी देर हो गई है । कुछ कारण उचित हों परन्तु देर तो ऐसी है कि उसे क्षमा नहीं किया जा सकता । एक बात मैं सदन को बता दूं कि अब हम इस कार्य पर तेजी से लग गये हैं और सात आठ महीनों में इसे समाप्त कर देंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रधान मंत्री से यह प्रश्न है कि इस अभिसूचक की अनुपस्थिति में क्या इस वर्ग के लोगों को अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को ग्रहण करने में कठिनाई उठानी पड़ रही है । यही मेरा विशेष प्रश्न है । यदि पिछले 9 वर्षों तक उन्हें इस बात का पता था कि ठीक स्थिति क्या है तो वे अब क्या करना चाहते हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि मैं इस वर्ग का हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : अब तो आप ऊपर पहुंच चुके हैं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यदि ऐसा है तो फिर संसद के सारे सदस्य ऊपर बढ़ गये हैं । फिर भी यह सत्य है कि कुछ कठिनाइयां हैं। जब हम योजना बनाते हैं तो इस वर्ग के लोगों की समस्याओं को जो नौकरी करते हैं, ध्यान में रखते हैं । यह संभव है कि हम उन्हें इतनी सहायता नहीं दे सके जितनी उन्हें वास्तव में आवश्यक थी । फिर भी सरकार इन्हें आराम पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कर रही है । देश के विकास का अर्थ होगा ही यह कि इस वर्ग को साहयता मिले ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस शहरी मध्यम वर्ग के परिवारों के सर्वेक्षण में किस आय के लोगों को मध्यम वर्ग का समझा जावेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केवल उन्हें दिया

गया है जिनकी आय 600 रुपये तक है और जहां तक आय-कर में सहायता का सम्बन्ध है वह ऊपर के वर्ग के लोगों को दिया गया है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि अगले 6 अथवा 7 महीनों में इन सब बातों पर विचार किया जावेगा ?

श्री ललित सेन : जहां तक आय का स्तर है वह 400 रुपये तथा 500 रुपये के बीच की आय का वर्ग है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : फिर और कौनसी बात सारणीकरण की है जिसे मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में किया जावेगा क्योंकि यह तो निर्णय आप ने कर ही लिया है कि इस वर्ग में 400 तथा 500 रुपये की आय के लोगों को शामिल किया जावेगा ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं यह मानता हूं कि इसकी पेचीदगियों को नहीं समझता हूं । कहा यह जाता है कि अभिसूचक में 180 चीजें हैं और उनमें से प्रत्येक चीज के लिये 700 मूल-कथन लिये जाते हैं । इस प्रकार 75 लाख मूल-कथनों की पड़ताल होती है । इस लिये यह सारा कार्य बड़ी उलझन का है और इसमें समय लगता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि मध्य वर्ग परिवार की आय कितनी समझी जाती है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ठीक बताने के लिये मैं समय चाहूंगा ।

श्री ओझा : क्या इसका अर्थ यह है कि इसका गैर-सरकारी मध्य वर्ग के लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं है और उन्हें तो कोई लाभ होगा तो योजनाओं से ही होगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मेरे विचार में इसका लाभ सब को होगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या प्रधान मंत्री को यह पता है कि प्रत्येक देश में और यहां भी राजनीतिक वातावरण पैदा करने वाला मध्य वर्ग ही है और क्या प्रधान मंत्री ने इस पर भी विचार किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हां, ऐसा ही है

डा० रानेन सेन : अधिकृत कर्मचारी मध्यवर्ग से सम्बन्ध रखते हैं और वे अपना महंगाई भत्ता निर्वाह मूल्य देशनांक से प्राप्त करते हैं। इस बीच में सरकार के गैर-जिम्मेदार रवैया के कारण जो उन्हें हानि उठानी पड़ रही है उसका मुआवजा कौन देगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह तो काल्पनिक प्रश्न है । पहले रिपोर्ट आने दीजिये ।

डा० रानेन सेन : यह काल्पनिक प्रश्न नहीं है । कर्मचारी इसी के कारण हानि उठा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब सारणीकरण हो जावेगा तब घाटे का पता चलेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मध्यवर्ग के नीचे का तबका अधिक कठिनाईयां उठा रहा है, क्या यह बात भी उनके ध्यान में लाई गई है कि सब से कम महंगाई भत्ता भी उन्हीं कर्मचारियों को मिला है जो सब से कम वेतन पाने वाले हैं अर्थात् जिनका वेतन 70—110 रुपया है तथा 150—200 रुपया है उन्हें केवल 7.50 रुपये तथा 12 रुपये क्रमानुसार मिला है । यदि हां तो सरकार इसे बढ़ाने के बारे में क्या कर रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : दास आयोग जो नियुक्त किया था उसने कुछ सिफारिशें की थीं और वें सिफारिशें हमने मान ली हैं और हमने इस मामले पर विचार करके ही कथित भत्ता दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न ठीक समझा नहीं गया है । क्या सरकार इस भत्ते को पुनरीक्षण करेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमारा इसे पुनरीक्षण करने का विचार नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : There was a strike in Bombay, two years back. Thereafter two committees were set up to improve the cost of living Index in Gujrat and Maharashtra. I want to know whether a similar attempt was made in other states too and as the centre also ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । वह तो श्रमिक-वर्ग में उपभोक्ता मूल्य निर्देशक के लिये नियुक्त की गई थी । ऐसी ही समितियां आंन्ध्र-प्रदेश तथा दिल्ली में नियुक्त की गई थीं ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं और मध्य वर्ग के लोगों का निर्वाह मूल्य देशनांक भी बढ़ गया है और इस वर्ग को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं, क्या सरकार इस वर्ग के जो बिना वेतन पाने वाले लोग हैं, उन्हें भी सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उन्हें दूसरे तरीकों से सहायता दी जा रही है क्योंकि सीधे तरीकें से तो उन्हें हम सहायता नहीं दे सकते ।

श्री सिंहासन सिंह: सरकार सारी जनता को कितने वर्गों में बांटना चाहती है जैसे ऊंचा वर्ग, मध्यम वर्ग, निचला वर्ग आदि ?

श्री ललित सेन : इस समय तो यह निर्वाह मूल्य देशनांक मजदूर तथा गैर-मजदूर वर्ग जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, उसके लिये है ।

श्री वारियर : क्या सरकार का ऐसा विचार है कि जब तक अन्तिम रिपोर्ट नहीं आवें तब तक सरकार मध्य वर्ग के लोगों को मूल्य बढ़ते हुए देख कर और उनकी कठिनाइयों को देखते हुए, कुछ सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : दास आयोग बैठाया ही उनके लिये था और उन्होंने विचार किया है और सिफारिश की है ।

श्री स० मो० बनर्जी : दूसरे कर्मचारियों के बारे में क्या किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : गैर सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके मालिक निर्णय करेंगे ।

श्री कपूर सिंह: क्या सरकार किसी ऐसे सूत्र पर विचार कर रही है कि निर्वाह मूल्य देशनांक को सीधा लोगों के वेतन से मिलाया जा सके ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री । यह बात मैं सुनिश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, परन्तु सामान्यतया हम ऐसा ही करते हैं । जब हमारे ध्यान में यह बात लाई जाती है तो हम आयोग बिठाते हैं जो सारी बातों को ध्यान में रख कर सरकार को परामर्श देता है ।

श्री कपूर सिंह: ऐसा करने में आपको आपत्ति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

Changes in U.N. Charter

*728 { **Shri Kukam Chand Kachhavaiya :**
Shri P.H. Bheel :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Secretary-General of U.N.O. has suggested some changes in Chapter VII of the U.N. Charter ;

(b) whether it is also a fact that the said suggestion has been offered because of the non-payment of peace-keeping dues to U.N.O. by certain countries; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) The UN Secretary-General, in an address to the "Pacem in Terris" Convocation in New York on the 20th February 1965,observed that the provisions of the Charter relating to action with respect to threats to peace and acts of aggression were subjected to various interpretations and that the Charter provisions are somewhat out of date. Evidently he had in mind the need to make some changes in Chapter VII of the UN Charter.

(b) The UN Secretary-General apparently had in mind the recent impasse over the financing of peace-keeping operation.

(c) The whole question of peace-keping operations in all its aspects has now been referred to a Special Committee and the Government of India are awaiting the result of its deliberations.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know which country have accepted the proposals of the U.N. Secretary-General.

Shri Swaran Singh : There is no question of accepting these proposals yet. The Secretary-General mentioned about this in one of his speeches. He did not put forward specific proposals.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has any reaction of the governments of U.S. A. and Russia in this connection come to light?

श्री स्वर्ण सिंह : किसी भी सरकार की प्रतिक्रिया—चाहे वह रूस की हो अथवा अमरीका की, अभी सामने नहीं आई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने संयक्त राष्ट्र संघ से इन्डोनेशिया के चले जाने की जिसका चीन ने स्वागत किया है, की राजनीतिक पेचीदगियों पर विचार किया है क्योंकि संसार में सब से अधिक महत्वपूर्ण शान्ति बनाये रखना है । क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का संशोधन करने की ओर ध्यान दिया है जिससे संसार के सारे स्वतन्त्र देश उसके सदस्य बन सकें ?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न तो महासचिव के सुझावों से सम्बन्ध रखता है ।

श्री प० ह० भील : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने देशों ने संयक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 में परिवर्तन को मान लिया है ?

अध्यक्ष महोदय: अभी किसी भी देश ने इन्हें नहीं माना है ।

श्री बूटा सिंह : क्या सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार किया है । यदि हां, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह तो केवल एक भाषण था कोई सुझाव नहीं था । हम स्वयं भी चार्टर के कुछ भागों के संशोधन के हक में हैं जैसे सुरक्षा परिषद को बढ़ाना आदि । वैसे इन सारी बातों पर एक वहां समिति विचार कर रही है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : संयक्त राष्ट्र सघ की इस समय की वित्तीय कठिनाइयों को घ्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार ने उन देशों को मनाने का प्रयत्न किया है जिन्होंने अपने चन्दे देना बन्द कर दिया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है । हमने इस बात पर भी स्पष्ट निर्णय लिया है कि यदि चन्दा नहीं दिया तो क्या होगा । हमने देशों की इस बात पर टक्कर होना भी टाल दिया है और हम 33 सदस्यों की उस समिति के भी सदस्य हैं जो इन सारे मामलों की जांच कर रही है ।

श्री अन्सार हरवानी : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि भारत सुरक्षा परिषद के गठन के बारे में रुचि ले रहा है । यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने किसी देश से भी इसका समर्थन प्राप्त करने को कहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव पहले ही स्वीकार कर लिया गया है । उस प्रस्ताव का अनसमर्थन भी कुछ देशों ने कर दिया है और दूसरों से ऐसी ही प्रतीक्षा की जा रही है । सुरक्षा परिषद के सम्बन्ध में हमारे स्थायी प्रतिनिधि तथा अन्य सरकारों के स्थायी प्रतिनिधियों के बीच इस मामले पर चर्चा की गई है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: हमारी सरकार रूस को संयक्त राष्ट्र संघ के कार्यकरण में तब तक गत्यवरोध उत्पन्न न करने के लिये मनाने के लिये कहां तक सफल हुई है जब तक संयुक्त राष्ट्र को अंशदान का प्रश्न निपटाया नहीं जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : में उस आधार वचन को स्वीकार नहीं करता जिस पर यह प्रश्न आधारित है । सुरक्षा परिषद तथा सामान्य सभा के शान्ति बनाये रखने के कार्यों पर नियंत्रण के बारे में उनके प्राधिकार तथा अधिकार क्षेत्र के बारे में एक झगड़ा अथवा मतभेद है और इस मतभेद को दूर करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

पाक–चीन सीमा आयोग

\+
*729. **श्री शिवचरण गुप्त :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि संयुक्त पाकिस्तान-चीन-सीमा आयोग ने अपना कार्य

पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान-चीन सीमा सन्धि पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर किए जायेंगे ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि इस समझौते में भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई भाग शामिल न किया जाये ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) तथाकथित चीन-पाक सीमा प्रोतोकोल पर 26 मार्च, 1965 को हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ग) भारत सरकार ने मार्च 1963 के तथाकथित चीन-पाक सीमा क़रार के अनरूप सीमा प्रोतो कोल पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ चीन और पाकिस्तान, दोनों की सरकारों से विरोध प्रकट किया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : कोई अभिस्वीकृति प्राप्त हुई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन-पाक सीमा क़रार के अन्तर्गत पाकिस्तान ने काश्मीर में भारतीय प्रदेश का 2000 वर्ग मील से ऊपर इलाक़ा चीन को दे दिया है ।

श्री शिवचरण गुप्त : क्या सरकार ने इस मामले पर गुट-निर्प्रेक्ष राष्ट्रों और अन्य पड़ोसी देशों से बातचीत की है और यदि हां, तो उनकी इस सन्धि के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने इस मामले पर विशिष्ट रूप से किसी अन्य देश से बातचीत नहीं की है, परन्तु हम इस मामले के बारे में अपने विचारों को समय समय पर व्यक्त करते रहे हैं और वे इस बारे में हमारे विचारों से पूर्ण रूप से अवगत हैं ।

श्री शिवचरण गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि 20 अक्तूबर, 1962 से पहले कितना भारतीय क्षेत्र चीन के कब्ज़े में था और अब कितना है, पाकिस्तान के कब्ज़े में कितना क्षेत्र था और उसने कितना क्षेत्र चीन को दे दिया है और चीन ने कितना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने काश्मीर के उस क्षेत्र के बारे में पहले ही बता दिया है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है । अन्य प्रश्नों के बारे में मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि सीमा निर्धारित करने के लिये पाकिस्तान और चीन के बीच मूल समझौते पर जब से हस्ताक्षर हुए हैं, तब से पाकिस्तान के कब्ज़े में काश्मीर के भाग में चीनी सैनिकों सहित भारी संख्या में चीनियों को देखा गया है और यदि हां, तो क्या सरकार यह समझती है कि यह चीन के साथ एक और सीमा खुल गई है और यदि हां, तो यह सीमा कितनी लम्बी-चौड़ी है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता । सभवतः इस प्रश्न का उत्तर प्रतिरक्षा मंत्रालय देना चाहेगा ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या सुरक्षा परिषद् का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया था और यदि हां, तो सुरक्षा परिषद् ने इस मामले में क्या दिलचस्पी ली है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब मूल सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये थे, उस समय हमने सुरक्षा परिषद् को बताया था। परन्तु हमने इस मामले पर विशिष्ट रूप से वाद-विवाद के लिये नहीं कहा था।

Shri Prakash Vir Shastri : Has any reply been received to the protest notes which were sent to the Governments of Pakistan and China and if not, whether the Government of India are considering to send strong protest notes in accordance with their old policy?

श्री स्वर्ण सिंह: अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु पहले जब हमने विरोध-पत्र भेजे थे तो उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य दिये थे कि वे इन विरोधपत्रों को स्वीकार नहीं करते।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of such protest notes which would be sent by our Government and the number of those which had been sent but no reply has been received thereto? Since no reply has been received, what action the Government are going to take in this regard?

Mr. Speaker : It is a very general question.

Shri Ram Sewak Yadav : With reference to the Pak-China Boundary Commission, whether the Government propose to put an end to all the agreements entered into with China so far and whether the Government propose to break diplomatic relations with China?

Shri Swaran Singh : So long threre are diplomatic relations with China, we will definitely go on sending protest notes to her as it is an important part of diplomatic relations.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

निर्वाह मूल्य देशनांक

*724. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों में निर्वाह मूल्य देशनांक पुनः काफी बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्वाह मूल्य में कितनी तथा किस प्रकार की वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि वास्तविक निर्वाह मूल्य देशनांक से प्रतीत होने वाले मूल्य से कहीं अधिक है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख). आज तक प्राप्त सूचना के अनुसार अखिल भारतीय (अन्तरिम) श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1949–100) इस प्रकार है :—

मास	सूचकांक
अक्तूबर, 1964	163
नवम्बर, 1964	163
दिसम्बर, 1964	164
जनवरी, 1965	165

दिसम्बर, 1964 और जनवरी, 1965 में एक एक पाइंट की वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं है। यह वृद्धि "खाद्यान्न और प्रकीर्ण" उपवर्गों के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं के वयक्तिक सूचकांक में वृद्धि के कारण हुई।

(ग) सूचकांक निर्वाह खर्च के केवल एक विशिष्ट पहलू को निर्दिष्ट करता है—अर्थात् निश्चित केन्द्रों से, जिनके लिये अखिल भारतीय (अन्तरिम) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है, एक विशेष जनसमूह द्वारा उपमुक्त निश्चित टोकरी की वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य परिवर्तनों के असर को प्रकट करता है। साधारण जनता का निर्वाह खर्च उनकी आय, रहन-सहन के ढंग में परिवर्तन, उपयुक्त वस्तुओं/सेवाओं की किस्मों, कीमत आदि पर निर्भर करता है। इस प्रकार साधारण जनता का निर्वाह खर्च विशिष्ट सूचकांक द्वारा दर्शाये गए निर्वाह खर्च से अधिक होगा।

मजदूर संघ तथा सहकारी समितियां

*726. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजदूर संघों से कहा है कि वे सहकारी संस्थायें बनाने में दिलचस्पी लें ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इन मज़दूर संघों ने बढ़ते हुए मूल्यों को बढ़ने से रोकने, मंडी पर नियंत्रण रखने और व्यापार में अवांछनीय कृत्यों को दूर करने में सरकार द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं के साथ किस हद तक सहयोग किया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां। विशिष्ट इकाइयों में सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के बाद अपनाई गई ; इस विचार-विमर्श में यूनियनों ने मालिकों के साथ भाग लिया। इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का समय समय पर पुनरीक्षण भी किया जाता है।

(ख) यद्यपि कुछ स्थानों पर मज़दूर संघों ने सहकारी समितियां संगठित करने और उन्हें चलाने में सक्रिय भाग लिया है परन्तु अभी तक ऐसा हर जगह नहीं हुआ है। जिन प्रतिष्ठानों में एक से अधिक यूनियनें काम कर रही हैं वहां कुछ कठिनाइयां भी पेश आती हैं। सहकारिता के आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये प्रशिक्षित कामगरों के अभाव के कारण कभी कभी यूनियनों को कठिनाई होती है। उन्हें सहायता देने के लिए कामगर शिक्षा कार्यक्रमों में सहकारिता का विषय भी समाविष्ट कर दिया गया है।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि निर्देश किन एजेंसियों के बारे में है।

आसाम राइफल्स के शिविर को हटाना

*730. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सिलचर शहर के बीच से आसाम राइफल्स के शिविर को हटाने के बारे में सिलचर के नागरिकों के बहुत समय से अनिश्चित पड़े हुए अभ्यावेदन की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनका क्या दृष्टिकोण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). विगत समय में ऐसे कई पत्र आए थे जिनमें असम राइफल्स के सैनिकों को उनके सिलचर में वर्तमान स्थान से हटाने की बात कही गई थी। इन पर विचार किया गया और यह फैसला किया गया कि असम राइफल्स के सैनिकों को वर्तमान स्थान पर ही रहने दिया जाय। इस सम्बन्ध में अक्तूबर, 1964 से ताज़े पत्र मिले हैं। इन पत्रों में जो विभिन्न बातें उठाई गई हैं, उन पर पिछली 6 मार्च को सिलचर (कछार, असम) में आयोजित एक मीटिंग में विचार किया गया था। इसमें डिप्टी कमिश्नर, असम राइफल्स रेंज कमांडर और पश्चिम सिलचर विकास और कल्याण समिति के प्रतिनिधि आए थे। बहुत सी तात्कालिक समस्याओं पर सहमति हो गई थी, जैसे——म्यूनिसिपैलिटी द्वारा उन सड़कों का रख-रखाव, जो कि असम राइफल्स से होकर गुजरती है ; आम लोगों द्वारा असम राइफल्स के पक्के कुएं का उपयोग और सड़क को चौड़ा करना आदि ।

इल्मेनाइट का निर्यात

*731. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में विदेशों को केरल से होने वाले इल्मेनाइट के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके निर्यात तथा देश में इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख). क्वीलोन ग्रेड इल्मेनाइट का निर्यात जो कि 1960-61 में 1,46,000 मीट्रिक टन था धीरे धीरे कम होकर 1964-65 में कुछ सैकड़े टन रह गया। इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं :——

(1) दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, केनाडा, लंका, मिसर, मलाया, नार्वे, टर्की इत्यादि द्वारा नये तथा सस्ते इल्मेनाइट अथवा इसके बदले में अन्य पदार्थों के स्रोतों का उद्गमन;

(2) टाइटेनियम डायोक्साइड के बनाने की विधि में हाल ही में हुई तबदीली; और

(3) क्रोमियम, वैनेडियम आदि जैसी प्राकृतिक अशुद्धताओं का अधिक मात्रा में होना जिनका उत्पादित रंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

(ग) केरल के इल्मेनाइट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये यह कदम उठाये गये हैं——विक्रय मूल्य में कमी, विदेशों में बिक्री बढ़ाने के लिये प्रचार तथा भारत की मिनरल्ज एण्ड मैटल्ज़ ट्रेडिंग कारपोरेशन की सेवायें प्राप्त करना।

इस समय भारत में टाइटेनियम डायोक्साइड केवल मैसर्ज़ ट्रावनकोर टाइटेनियम प्राडक्शन लिमिटेड, ट्रिवेन्ड्रम द्वारा ही बनाया जाता है। इस यूनिट की उत्पादन क्षमता लगभग 6,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। उद्योग की क्षमता को लगभग 25,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष बढ़ाने के साथ देशीय इल्मेनाइट की कुल खरीद 55,000 से 60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाई जायेगी। इस समय केवल 10,000 से 15,000 मीट्रिक टन क्वीलोन ग्रेड इल्मेनाइट तैयार किया जा रहा है।

ठेका मजदूर पद्धति

*732. श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोल्ला वेंकया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ठेके पर मज़दूर रखने की पद्धति समाप्त करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) (क). जहां सम्भव हो वहां ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने और जहां यह सम्भव न हो वहां मजदूरों के हित में से नियमित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में विधान पेश करने का विचार है।

Copies of Prime Minister's Broadcast

*733. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that copies of the radio broadcast made by the Prime Minister on the 11th February, 1965 were sent to schools in Delhi in English;

(b) whether the Principal of any local school has written to Government that by sending copies of English version of the speech they have been incited to launch more serious agitation than that witnessed in Tamilnad ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir, initially : copies of the folder in Hindi were also supplied subsequently.

(b) & (c). Yes Sir ; Government do not, however, share the apprehensions of the Principal.

पूर्वी पाकिस्तान से गैर-मुसलमानों का भारी संख्या में आना

*734. **श्री रघुनाथ सिंह:**
श्री हुकम चन्द कछवाय:
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद:
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा:
श्री हेम राज:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्री राम हरख यादव:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पूर्वी-पाकिस्तान से 1964 में भारी संख्या में आये गैर-मुसलमानों के बारे में जांच करने के लिए विधि-वेत्ता आयोग द्वारा नियुक्त की गयी जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) भारतीय विधिवेत्ता कमीशन एक प्राइवेट संस्था है जिसने इस विषय का खुद अध्ययन किया है। भारत सरकार ने हाल में ही सरकारी तौर पर एक कमीशन नियुक्त किया है जो पूर्व पाकिस्तान से भारत आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के निष्क्रमण के बारे में जांच करेगा। लेकिन भारतीय विधिवत्ता कमीशन की रिपोर्ट विदेश-स्थित भारतीय मिशनों के ध्यान में लाई जा रही है ताकि वे ठीक तथ्यों को प्रस्तुत कर सकें और विदेशों में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के प्रचार का प्रतिकार कर सकें।

ढाका में भारतीय उप-उच्चायुक्त का कार्यालय

*735. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने ढाका में भारतीय उप-उच्चायुक्त के कार्यालय तथा निवास स्थान और भारतीय वीसा आफिस के संरक्षण के लिये एक विशेष पुलिस दल तैनात कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तानी प्राधिकारियों से यह पता लगाया है कि किन कारणों से उन्हें ये विशेष रक्षा उपाय अपनाने पड़े ; और

(ग) पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने क्या कारण बताये हैं ?

663 Ai LSD—3

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) हमारे उप हाई कमिश्नर के कार्यालय पर और मकान पर और भारतीम वीजा कार्यालय पर भी 15 मार्च 1965 को विशेष पुलिस दस्ते तैनात कर दिए गए थे। लेकिन उन्हें कुछ दिन बाद उप हाई कमिश्नर के कार्यालय और मकान से हटा लिया गया। भारतीय वीज़ा कार्यालय पर तैनात पुलिस दस्ता अभी वहीं पर बना हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी

*737. { **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा**:
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय: }

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 मार्च, 1965 को अथवा उसके आस पास पाकिस्तानी राइफल्स ने लाठी टीला डूमाबाड़ी पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारतीय संतरी चौकियों पर लगातार भारी गोला बारी की; और

(ख) यदि हां, तो कितने घण्टों तक गोली चली और यह गोली पिछले कितने दिनों से चल रही है तथा क्या भारतीय सेनाओं ने भी जवाब में गोली चलाई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) जी हां।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान राइफल्ज़ ने 13 से 15 और 17 मार्च को लाठी-टीला में हमारी चौकियों पर गोलियां चलाई थी। गोलाबारी की तीव्रता प्रत्येक तिथि को एक गोली से चार गोली तक विभिन्न थी। 18 मार्च से उन्होंने हल्की मशीनगनों और राइफलों से भारी सविराम गोलाबारी शुरू कर दी जो 28 मार्च 1965 तक जारी रही। जहां तक आवश्यक समझा गया सीमा की हमारी सुरक्षा सेनाओं ने जवाबी गोलियां चलाईं।

29 मार्च, 1965 प्रातः से एक युद्धबन्दी समझौता तय हुआ।

प्रतिरक्षा सेवाओं के पदाधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु

*738. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **प्रतिरक्षा** सेवाओं के पदाधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया गया है ;

(ख) क्या आयु सीमा बढ़ाई गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितनी बढ़ाई गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) अफसरों के लिए सेवा से विमुक्ति की वर्तमान आयु सीमाएं सामान्यतः पर्याप्त मानी गई हैं। इन आयु सीमाओं को और बढ़ाना सेवाओं के लिए हानिकर होगा, क्योंकि इससे उच्च स्तर की शारीरिक तथा मानसिक क्षमता अभीष्ट है।

Inauguration of the Third Film Festival

*739. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some complaints had been received in regard to the issue of invitations to the members of the Press for the inaugural function of the Third International Film Festival;

(b) whether it is also a fact that the invitations were mostly issued to the editors, chief reporters, film critics of daily newspapers and film journals in English, while film critics, correspondents of several language newspapers including those published in Urdu were not extended invitations although their editors were invited;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the criterion which is followed by Government generally in the matter of issue of invitations for such functions to the representatives of the Indian language newspapers in the country ?

The Minister for Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. The invitees included film critics and correspondents of several languages newspapers including 8 representing Urdu newspapers.

(c) Does not arise.

(d) For official functions open to the Press, invitations are normally extended to all Press representatives accredited to the Government of India and the Editors, News Editors and Chief Reporters of important local newspapers. Where the number of seats available for the Press is limited, invitations are extended on the basis of the nature of the function and the interest taken by individual correspondents in the subject, but no discrimination is made on the basis of the language of the newspapers or journals which they represent.

Opening of Information Centres by Chinese Embassy

*740. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese Embassy in Delhi propose to open its information centres at four important places in Delhi;

(b) whether it is also a fact that a mailing list of about 5,000 persons from amongst various categories of pro-Peking Indian Communists has been prepared from whom the required information will be collected by them; and

(c) whether it is also a fact that the Information Officer of the said Embassy has been seen tape recording and taking photographs of specific places in the Capital?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Government is not in a position to give any information about this.

(c) Government has not come across any instances of any Chinese official taking tape recordings in the Capital. As regards taking photographs a few instances have come to the notice of Government of Chinese Embassy officials taking photographs of tourist spots where photography is not prohibited.

शक्तिशाली ट्रांसमीटर

*741. **श्री मधु लिमये :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के लिये एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर खरीदने के बारे में सोवियत संघ से चल रही बातचीत किस स्थिति में हैं ; और

(ख) ये बातचीत कब पूरी होंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). आकाशवाणी के लिए उच्च शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमिटर हासिल करने के लिए सोवियत अधिकारियों से बातचीत हुई है । आकाशवाणी के दो सीनियर इंजीनियरों को मास्को भेजा गया था और उन्होंने सोवियत संघ के सम्बन्धित अधिकारियों से टैकनीकी पहलुओं पर बातचीत की है । पूरे विषय पर इस समय ध्यानपूर्वक विचार हो रहा है ।

शेख अब्दुल्ला को दिया गया पासपोर्ट

*742. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख़ मुहम्मद अब्दुल्ला को नियत फार्म पर आवेदन-पत्र दिये बिना ही पासपोर्ट दे दिया गया था ;

(ख) क्या उनके आवेदन-पत्र में भारतीय गणराज्य के नागरिक के रूप में उनकी हैसियत तथा इसके प्रति उनकी निष्ठा की घोषणा है ; और

(ग) पासपोर्ट के लिये उनका आवेदन-पत्र किस स्तर पर और किसको प्राप्त हुआ था तथा किसने इस पर विचार किया व मंजूरी दी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान जाने के लिए 13–5–64 को निर्धारित फ़ार्म पर भारतीय पासपोर्ट के लिए अर्जी दी थी। उन्हें पासपोर्ट दे दिया गया जो तीन महीने के लिए वैध था और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए पृष्ठांकित था। शेख अब्दुल्ला के कहने पर उनका पासपोर्ट यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब गणराज्य, जोर्डन, लेबनान, सीरिया, इटली, जर्मनी और ईराक़ के लिए भी पृष्ठांकित कर दिया गया। जैसा कि सदन को मालूम ही है, शेख अब्दुल्ला मई 1964 में पाकिस्तान गए थे। प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वे तत्काल भारत लौट आए। उन्हें जो पासपोर्ट दिया गया था उसकी अवधि अगस्त 1964 में समाप्त हो गई थी।

पिछले नवम्बर में शेख अब्दुल्ला ने हज करने और इंग्लैण्ड में पढ़ने वाले अपने लड़कों से मिलने के लिए निर्धारित फार्म पर पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया। शेख अब्दुल्ला का पिछला पासपोर्ट, जिस की वैधता समाप्त हो चुकी थी, 13-1-65 से 12-7-65 तक के लिए फिर वैध कर दिया गया। उनकी प्रार्थना पर उनका पासपोर्ट सऊदी अरब, ईरान, ईराक़, जोर्डन, संयुक्त अरब गणराज्य, अदन, लेबनान, अफ़ग़ानिस्तान, अल्जीरिया और पुर्तगाल को छोड़कर, यूरोप के सभी देशों के लिए पृष्ठांकित कर दिया गया जिनमें यूनाइटेड किंगडम, तुर्की और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ भी शामिल हैं।

भारतीय पासपोर्ट के लिए निर्धारित प्रार्थना-पत्र में, प्रार्थी को निम्नलिखित आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं :

> "मैं सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि मैंने भारतीय नागरिकता न तो कभी खोई है, न छोड़ी है और न ही उससे कभी वंचित किया गया हूं और यह कि प्रश्नों के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है वह सत्य है। भारतीय पासपोर्टों के प्रार्थियों के मार्ग दर्शन के लिए टिप्पणियां मैंने पढ़ीं और समझीं हैं, जिसकी एक प्रति मुझे दी गई है।"

नागरिकता सम्बन्धी इस घोषणा पर शेख अब्दुल्ला ने पासपोर्ट के लिए अपनी पहली अर्ज़ी पर मई, 1964 में और नवम्बर, 1964 में जो अर्ज़ी दी थी उस पर भी हस्ताक्षर किए थे। प्रार्थना-पत्र की प्रविष्टि (एण्ट्री) संख्या 9 में, जिसमें "पिता का नाम और जन्म का स्थान और तिथि" देनी होती है, शेख अब्दुल्ला ने मई, 1964 के प्रार्थना पत्र में "कश्मीरी (जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रथम श्रेणी का प्रजाजन) और नवम्बर, 1964 के प्रार्थना-पत्र में "कश्मीरी मुसलमान" लिखा था। मई, 1964 और नवम्बर, 1964 के प्रार्थना-पत्रों में 16वें प्रश्न—"क्या आप पंजीयन/देशीयकरण से भारतीय राष्ट्रिक हैं ?" यदि हां, तो पंजीयन/देशीयकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति साथ लगाएं।"-- के जवाब में भी क्रमशः यही उत्तर फिर दिया गया था। शेख अब्दुल्ला के इन दोनों ही प्रार्थना-पत्रों में इन सवालों का जवाब 'नहीं' होना चाहिए था और इसलिए दोनों ही प्रार्थना पत्रों में प्रश्न संख्या 16 के उत्तर अप्रासंगिक थे। शेख अब्दुल्ला को मई, 1964 में ही पासपोर्ट दिया जा चुका था। नवम्बर 1964 के प्रार्थना पत्र के बावजूद, उन्हें पासपोर्ट देने का नीति सम्बन्धी निर्णय कर लेने के बाद, प्रशासनिक अधिकारियों ने मई, 1964 के पूर्व-दृष्टांत के अनुसार अप्रासंगिक प्रविष्टि को अनदेखा करके उन्हें पासपोर्ट दे दिया।

बहरहाल, जसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसे प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा जिनमें इस प्रकार की अस्पष्ट प्रविष्टियां दी गई हों।

पासपोर्ट का प्रार्थना पत्र विदेश सचिव को नवम्बर, 1964 में मिला था। सरकार ने इस पर विचार किया जिसने पासपोर्ट देने से संबद्ध नीति सम्बन्धी निर्णय लिया और वास्तव में पासपोर्ट दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने जारी किया था।

पाकिस्तान की जासूसी गतिविधियां

*743. { श्री यशपाल सिंह:
श्री हेम बरुआ :
श्री कपूर सिंह:
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गये प्रकाशित इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि दाहग्राम का पाकिस्तानी क्षेत्र "पाकिस्तान से गुप्त सम्बन्ध" बनाए हुए है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के ऐसे जासूसी कार्यों का पता न लगा सकने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारत में पाकिस्तान की ऐसी विध्वंसक कार्यवाहियों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार को किन्हीं जासूसी कार्रवाइयों के बारे में जानकारी नहीं है । दाहाग्राम के निकट पाकिस्तानी प्रदेश के अन्दर पाकिस्तानी सैनिकों का जमाव हुआ था और तीन बीघा होकर दाहाग्राम तथा पाकिस्तानी मुख्य भूमि के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का अवैध आना-जाना भी रहा । उक्त राज्य सरकार ने इस प्रकार गैर-कानूनी तरीके से आने-जाने पर रोक लगाने के लिए तीन बीघा क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी और इसके कारण पाकिस्तानियों ने कूच-बिहार-रंगपुर सीमा पर बिना किसी उत्तेजना के गोलीबारी की ।

नागालैण्ड में शांति वार्ता का स्थगन

*744. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों ने शान्ति-वार्ता स्थगित करने की प्रार्थना की है ताकि उन्हें "नागालैण्ड के भारत में स्वेच्छिक विलय" के प्रश्न पर श्री ए० जेड० फिजो से परामर्श करने के लिये कुछ समय मिल जाये;

(ख) क्या श्री फिजो से परामर्श करने के लिये सुविधाएं देने की नागा विद्रोहियों की प्रार्थना पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है;

(ग) क्या नागा विद्रोही भारत सरकार द्वारा दिये गये पारपत्रों के आधार पर श्री फिजो से मिलने के लिये अपने प्रतिनिधि लन्दन भेजने के लिये राजी नहीं हैं; और

(घ) क्या उनसे बर्मा में मिलने का कोई प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) छिपे नागाओं ने 16 मार्च, 1965 को शांति मिशन को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि, नागालैंड संघ सरकार नागा राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष, श्री फीज़ो से सलाह मशविरा करने को उत्सुक है, और इस उद्देश्य के लिए वे यह चाहते हैं कि बर्मा सरकार से यह कहा जाये कि वह श्री फीज़ो को बर्मा आने दे, जहां जा कर उनके प्रतिनिधि उनसे मिल सकें। इस पत्र में यह भी कहा गया था कि प्रतिनिधिमंडल शांति मिशन को इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता है कि वह शांतिपूर्ण राजनीतिक हल के लिए बराबर प्रयत्न करते रहेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने वह सुझाव भी दुहराया जो 24 फरवरी को खेंसा की बैठक में दिया गया था और जो यह था कि युद्ध-विराम की अवधि बढ़ा दी जाये। यह कहा गया था कि शांति वार्ता तब तक के लिए स्थगित कर दी जानी चाहिए जब तक वे श्री फीज़ो से सलाह न कर लें।

हमारे प्रतिनिधि मंडल ने शांति मिशन को सूचित कर दिया है कि हम बातचीत को अनिश्चित समय तक स्थगित करने को राज़ी नहीं होंगे, और यह कि खेंसा में होने वाले अगले सम्मेलन में युद्ध-विराम की अवधि बढ़ाने पर पूरी तरह विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

(ख) उत्तर में हमारे प्रतिनिधि मंडल ने शांति मिशन को यह सूचना दी कि जहां तक एसा मालूम हुआ है कि श्री फीज़ो ने भारत की राष्ट्रिकता त्याग दी है, हम ने ऐसी कोई बात महसूस नहीं की है जिससे कि हम उन्हें बर्मा जाने में सहायता दे सकें।

(ग) दिसम्बर, 1964 में शांति मिशन ने हम से यह कहा था कि छिपे नागाओं के कुछ नेताओं को लन्दन की यात्रा करने दी जाये। हम ने साफ़-साफ़ यह कह दिया है कि वे भारतीय राष्ट्रिकों के रूप में भारत सरकार के पासपोर्ट पर ही ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने हम से किसी पासपोर्ट के लिए नहीं कहा है।

(घ) ऊपर (क) में जो बताया गया है, उसके अतिरिक्त भारत सरकार को फीज़ो और छिपे नेताओं के बीच बैठक के किसी प्रस्ताव की कोई और सूचना नहीं है।

मंगला बांध

*745. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री यशपाल सिंह:
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम राज:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद:

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान की विकास एजेन्सी, डब्लू० ए० पी० डी० ए० ने सरकारी तौर पर घोषित किया है कि मंगला बांध की ऊंचाई 378 फीट से बढ़ा कर 418 फीट की जायेगी;

(ख) इस प्रकार के प्रस्ताव का काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के भारतीय क्षेत्र में भूमि तथा लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सिन्ध जल सिन्धु के अन्तर्गत पाकिस्तान भारत सरकार से परामर्श किये बिना बांध की ऊंचाई बढ़ा सकता है; और

(घ) यदि भारत सरकार का विचार पाकिस्तान में बांध को ऊंचा करने से उत्पन्न होने वाले खतरे तथा हानि को रोकने तथा विफल बनाने के लिए कोई कदम उठाने का है तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस आशय का एक समाचार पाकिस्तान के अखबारों में देखा था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि पश्चिम पाकिस्तान की जल और बिजली विकास अथारिटी के प्रधान ने इस समाचार का खंडन कर दिया है ।

(ग) सिन्धु जल संधि में मंगला बांध का कोई जिक्र नहीं है । वास्तव में, पाकिस्तान सरकार द्वारा इसका ग़ैर-कानूनी तरीके से निर्माण करने के ख़िलाफ भारत ने पहले सुरक्षा परिषद् के सम्मुख विरोध भी प्रकट किया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Map published by Pak Embassy in Washington

*746. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Embassy at Washington has shown a major portion of the Indian territory of Kathiawar as a part of Pakistan territory in the map;

(b) whether it is a fact that Kashmir territory which has been occupied illegally has also been shown in the map as a territory of Pakistan ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) The Pakistan Embassy in Washington has been displaying for a number of years, a small sketch-map on the masthead of its Press Releases, in which a portion of Kathiawar is shown as Pakistan territory.

(b) In this sketch-map, Pakistan-occupied Kashmir is also shown as a part of Pakistan.

(c) Indian Embassy in Washington brought this sketch map to the notice of the U.S. State Dapartment in 1963.

Further, to counter the mischief done by the incorrect depiction of India's boundaries in the Pakistani sketch-map, the Indian Embassy displays a 2½"× 3½" map of India on the masthead of its daily Press Release, 'Indiagram', showing the correct boundaries of India.

उड़ीसा में बेरोजगारी

1899. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य में शिक्षित बेरोज़गारी की समस्या हल करने के लिये सरकार ने कोई योजना प्रायोजित की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत, शिक्षित तथा अन्य व्यक्तियों की रोज़गार स्थिति सुधारने के लिये, विभिन्न राज्यों में चलने वाली बहुत सी विकास योजनाएं बनाई जाती हैं ।

डाक ले जाने के लिये मोटरगाड़ियों की खरीद

1900. श्री चुनी लाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में दिल्ली में डाक ले जाने के लिये छोटी गाड़ियों के स्थान पर बड़ी मोटर गाड़ियां खरीदी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ग) बड़ी मोटर गाड़ियां खरीदने के बाद छोटी मोटर गाड़ियों को किस प्रकार बेचा गया ;

(घ) पुरानी गाड़ियों को बदलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कितना व्यय हुआ ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) छोटी मोटर गाड़ियों को महानिदेशक संभरण तथा निपटान के द्वारा बेचा गया था । उनके बदले में कोई बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदी गईं ।

(घ) छोटी गाड़ियों को बदलने के आदेश इसलिए दिये गये थे कि आम टूट-फूट के कारण उन्हें आगे चालू रखने पर खर्च अधिक बैठता था ।

(ङ) रद्दी गाड़ियों के स्थान पर छोटी गाड़ियों के खरीदने में 3,37,236 रुपये का व्यय हुआ क्योंकि 21 छोटी गाड़ियों के स्थान पर नई छोटी गाड़ियां खरीदी जानी थीं ।

छावनी मतदाता संबंधी नियम, 1945

1901. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान-मण्डल के चुनाव नियमों की तरह छावनी मतदाता सम्बन्धी

नियम, 1945 का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित नियम कब से लागू होंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां। छावनी निर्वाचन नियमावली 1945 में प्रस्तावित संशोधन 13 फरवरी, 1965 के भारत की राजपत्रित अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 60 में प्रकाशित किये गये थे, जिसके साथ ही आपत्तिएं और सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

(ख) प्राप्त हो चुकी आपत्तिएं और सुझाव विचाराधीन हैं और छावनी निर्वाचन (संशोधन) नियम, 1965 जभी उनका अन्तिम रूप निर्धारित हुआ शीघ्र ही लागू किये जायेंगे।

सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड

1902. **श्री आ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन और गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य की सरकारों ने जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों को स्थायी बनाने के लिये अभी तक आदेश जारी नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बोर्डों को स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ग) उपर्युक्त राज्यों में ये बोर्ड कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सिद्धान्ततः, उन्होंने इस योजना को स्वीकार कर लिया है, परन्तु अभी तक, उन्होंने आवश्यक आदेश जारी नहीं किये, क्योंकि विस्तारों की कई बातों का अभी निपटारा होना बाकी है।

(ख) उन्हें शीघ्र ही आदेश जारी करने को कहा गया है।

(ग) महाराष्ट्र में 1948 से; गुजरात में दो बोर्ड 1964 से; और एक 1951 से; दिल्ली में 1954 से।

हिमालय की चोटियों पर चढ़ने के लिये नेपाल द्वारा रोक

1903. **श्री राम हरख यादव :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने हिमालय की चोटियों पर चढ़ने के लिये विदेशी अभियान दलों पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में भारत की क्या राय है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (**श्री स्वर्ण सिंह**) : (क) नेपाल सरकार ने घोषणा की है कि आगे निर्णय होने तक नेपाल की पहाड़ी चोटियों पर चढ़ने के लिए कोई नये परमिट नहीं दिये जायेंगे।

(ख) नेपाली घोषणा में कहा गया है कि यह निर्णय लेने का कारण यह है कि पहाड़ी इलाकों में अभियान दलों के साथ संचार की कठिनाई रहती है ।

(ग) माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय अभियान दल पर, जो पहले ही नेपाल में है, इसका प्रभाव नहीं है ।

कनाडा से प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल

1904. **श्री राम हरख यादवः**
श्री कनकसर्वः
श्री म० ना० स्वामीः
श्री कोल्ला वैंकैयाः

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज का एक अध्ययन दल इस समय भारत की यात्रा कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख). राष्ट्रीय रक्षा कालिज कनाडा के निदेशक कर्मचारिगण तथा छात्र-अफसरों के 18 के एक दल ने 22 से 27 मार्च, 1965 तक भारत का भ्रमण किया ।

रक्षा कालिजों के ऐसे दल हर वर्ष विभिन्न देशों का भ्रमण करते हैं, कि छात्र-अफसर अपनी जानकारी बढ़ा सकें। भारत जबकि, राष्ट्रीय रक्षा कालिज, कनाडा; इम्पीरियल डिकेन्स कालिज, यू० के०; नेशनल वार कालिज, यू० एस० ए०; और राष्ट्रीय रक्षा कालिज थाईलैण्ड के कार्यक्रम में शामिल रहता है, हमारे राष्ट्रीय रक्षा कालिज के दल भी पड़ोसी देशों का भ्रमण करते रहे हैं ।

बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों का पुनर्वास

1905. **श्री म० प० स्वामीः**
श्री प्र० चं० बरुआः

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले कितने भारतीयों का मद्रास राज्य को पुनर्वास के लिये आवंटन किया गया है ;

(ख) कितने स्वदेश लौटने वाले भारतीयों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकारों के यदि कोई वर्तमान कार्यक्रम हैं' तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिह): (क) 21 मार्च, 1965 तक बर्मा से आए हुए लगभग 34,100 व्यक्ति मद्रास राज्य में पहुंचे थे। राज्यों के लिए संख्या निर्धारित की जा चुकी है। फिर भी, आशा है कि बर्मा और श्रीलंका से आने वाले अधिकांश व्यक्ति मद्रास राज्य में बसना चाहेंग प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है कि इस प्रश्न को राष्ट्रीय प्रश्न मानकर कार्वाई की जायेगी।

(ख) बर्मा से आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य विभिन्न चरणों में हो रहा है। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि आजकल लगभग 15,000 व्यक्ति मार्ग शिविरों में रह रहे हैं।

अक्तूबर 1964 के करार के अन्तर्गत श्रीलंका से कोई भी भारतीय अभी तक भारत नहीं पहुंचा है।

(ग) 7-9-64 को तारांकित प्रश्न संख्या 2 और 16 के उत्तर में, एक ब्योरेवार विवरण लोक-सभा की मेज़ पर रखा गया था, जि में अन्य बातों के अलावा, उन प्रमुख सुविधाओं की सूची दी गई थी जो भारत सरकार बर्मा से लौटने वाले भारतीयों के पुनर्वास के लिए उन्हें दे रही है। श्रीलंका से आने वाले लोगों के पुनर्वास के बारे में योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

आजाद हिन्द फौज के अंगहीन कर्मचारियों को अनुदान

1906. श्री राम हरख यादव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सेना के उन कर्मचारियों को जो आजाद हिन्द फौज में सेवा करते समय असमर्थ हो गये थे तथा जो उसमें सेवा करते समय मर गये थे उनके आश्रितों को एक मुश्त अनुदान देने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन अनुदानों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन अनुदानों के लिये हकदार होने की शर्तें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक व्यक्तिगत हालत में निर्योग्य सेविवर्ग तथा मृत सेविवर्ग के आश्रितों को यकमुश्त उपदान उसी दर पर दिए जाएंगे जो 1949 में जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी।

(ग) सरकारी आदेशों के जारी होने की तिथि को अर्थात् 24-12-1964 को जो भारतीय राष्ट्रिक जीवित थे, केवल वही यकमुश्त उपदानों के अधिकारी होंगे।

भारत में जर्मन इंजीनियरिंग स्कूल

1907. श्री राम हरख यादव: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी का दूरथेनी वर्ग राज्य भारत में एक नया इंजीनियरिंग स्कूल खोलने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्कूल का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ग) इस संस्था की स्थापना पर लगभग कितना खर्च होगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां। जर्मन संघीय गणराज्य में बादेन-वुअरटमबर्ग सरकार ने भारत को तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल देने का निर्णय किया है।

(ख) और (ग) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

सेना परिचर्या सेवा में पेंशन की दरें

1908. **श्री राम हरख यादव:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना परिचर्या सेवा के अधिकारियों की पेंशन की दरों में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित दरें क्या हैं ; और

(ग) वे दरें कब से लागू होंगी तथा इन दरों पर पेंशन प्राप्त करने की शर्तें क्या होंगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) सैनिक उपचर्या सेवा की अफसरों के लिए संशोधित पेन्शन दरें इस प्रकार हैं :—

सेवाविमुक्ति पेंशन के पद	सेवावधि का मान	सेवा विमुक्ति पेंशन का मान
	वर्ष	रु० मासिक
कप्तान	20	175
मेजर .	22	275
ले० कर्नल . .	24	375
कर्नल (मुख्य मेट्रप्रधान न)	26	525
कर्नल (कमान प्रधान मेट्रन) .	26	450
ब्रिगेडियर (मेट्रनाध्यक्ष) . . .	28	575

(ग) पेन्शन की संशोधित दरें 1 अक्तूबर 1961 से लागू हैं, अर्थात् वह नई पेंशन पद्धति से अनुशासित, सैनिक उपचर्या सेवा के सभी अफसरों पर लागू हैं, जो उस तिथि को सेवा विमुक्त हुए/अथवा उसके पश्चात् सेवा से विमुक्त हों, सिवाए उन कर्नल (कमान प्रधान मेट्रन) और ब्रिगेडियर (मेट्रनाध्यक्ष) के पदों की हालतों में, जो 11 दिसम्बर 1962 से स्वीकृत किए गए थे, जिन हालतों में यह प्रभावी तिथि 11 दिसम्बर 1962 है।

नई पेंशन पद्धति के अन्तर्गत, सैनिक उपचर्या सेवा के अफसरों की, सेवाविमुक्ति पेंशन पाने की अर्हता की शर्तों में कोई तबदीली नहीं की गई है, और संक्षेपतः वह इस प्रकार हैं :—

(1) अफसर की कम से कम अर्हक सेवावधि 20 वर्ष होनी चाहिए ; या विलम्ब से आने वालों के लिए 15 वर्ष की कमीशण्ड सेवा, अर्थात् जो अफसर अनिवार्य सेवाविमुक्ति के लिये आयु तक पहुंचने पर सेवाविमुक्त हों, और जिन की कुल अर्हक सेवावधि 20 वर्ष से कम हो।

(2) सेवानिवृत्ति पेंशन अफसर के, सेवाविमुक्त होते समय, धृत पद पर निर्धारित की जाती है, अगर उसे धारण किए कम से कम दो वर्ष हो गए हों। यदि स्थायी पद दो वर्ष से कम अवधि के लिए धारण किया गया हो, तो सेवाविमुक्ति पेंशन उस से अगले निम्न स्थायी पद पर निर्धारित की जाती है।

(3) यदि किसी अफसर की सेवावधि, सेवावधि मान से कम हो तो पद की सेवाविमुक्ति पेंशन का मान निम्न तालिका के अनुसार कमी के हर वर्ष के लिए, अथवा वर्ष के अंश के लिए एक कटौती की मात्रा के बराबर कम हो जाता है :—

सेवाविमुक्ति पेन्शन	कटौती की दर
रु० मासिक	रु० मासिक
575 से 501	15
400 से 301	10
300 से 201	5
200 और उससे कम	2·50

कटौतिएं उत्तरोत्तर की जाती हैं, जब तक कि हो जाने वाली कटौतियों की संख्या सम्पूर्ण न हो जाएं; और प्रत्येक कटौती अपने तौर पर पूर्वली कटौती के पश्चात् शेष बची राशि के अनुरूप दर पर की जाती है ।

(4) 'विलम्ब से आए' अफसर को निम्न ढंग से अनुपातिक पेन्शन दी जाती है :—

$$\frac{\text{अर्हक सेवावधि के वर्षों की संख्या}}{\text{पद की सेवावधि का मान}} \times \text{पद की सेवावधि पेंशन का मान}$$

Visit of Chinese Embassy's Officers to Calcutta

1909. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some officers of the Chinese Embassy in Delhi visited Calcutta secretly and stayed in a Grand Hotel for seven days;

(b) whether it is also a fact that during their stay they met those Chinese nationals who were arrested at the time of Chinese aggression;

(c) whether it is also a fact that they gave some financial aid to the left-wing communists there; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Three officials of the Chinese Embassy visited Calcutta from September 21 to 27, 1964 and stayed in the Grand Hotel. The Chinese Embassy officials gave prior information to the Ministry of External Affairs of their visit to Calcutta as is the usual practice in the case of diplomats going on tour outside Delhi.

(b) It is a fact that during their stay at Calcutta, the Chinese Embassy officials met a few Chinese residents of Calcutta who had been interned at the time of the Chinese aggression.

(c) Government have no information whether these Chinese Embassy officials gave any financial aid to the left-wing communists at Calcutta.

(d) As there is no evidence of these Chinese Embassy officials carrying on any activities prejudicial to the security of the State, there is no question of Government taking any action in the matter. Indian Embassy officials in China also visit Shanghai where there is a small number of Indians to render consular assistance as and when needed.

New Post Offices

1910. **Shir Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of new Post Offices proposed to be opened during 1965-66 (State-wise);

(b) the number of new Post Offices to be opened in the rural areas during the above period;

(c) whether Government have laid down any criteria regarding the minimum population of a village where a Post Office could be opened; and

(d) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) and (b) A statement is laid on the table of the Sabha.

[*Placed in Library*. See *No. L.T. 4138/65*]

(c) and (d) There is no criterian regarding the minimum population of village where a Post Office can be opened. The population factor is however taken into consideration when a proposed post office is likely to work at a loss. The conditions governing the opening of Post Offices are given in the Statement Laid on the Table. [*Placed in Library*. See *No. L.T. 4139/65*]

बेरूबाड़ी का सीमांकन

1911. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रामपुरे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों ने बेरूबाड़ी में सीमा रेखा पर पत्थर के खम्भे लगाने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) कानून के विशेषज्ञों ने हमें सलाह दी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जिस अपील पर विचार किया जा रहा है, उस पर जब तक कोई फैसला न हो जाए तब तक सीमा के खम्भे नहीं लगाए जा सकते ।

Emergency Commissions

1912. **Shrimati Savitri Nigam** :
Shri Yashpal Singh :
Shri S.M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether specialised knowledge of English is compulsory for recruitment to the Emergency Commission or to the other high service ranks;

(b) if so, the standards fixed for that; and

(c) whether knowledge of any other foreign language besides English is also compulsory ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) No specialised knowledge of English was required for recruitment to Emergency Commissions in the Army which have since been discontinued. The same position holds good in regard to recruitment to other types of Commissions in the Army, namely, Permanent Regular Commissions and Short Service Regular Commissions.

(c) No Sir.

गुमनाम टेलीफोन काल

1913. **श्री यशपाल सिंह:**
श्री स० मो० बनर्जी:
श्री भागवत झा ग्राजाद:
श्री दे० जी० नायक:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग से यह कहा गया है कि गुमनाम टेलीफोन काल करने ग्रौर टेलीफोन पर ग्रशिष्ट बातें ग्रौर गालियां देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें पुलिस को सौंप दी जायें ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो ग्रब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) ग्रौर (ख) "गुमनाम कालों" की शिकायतों का निपटान करने के सम्बन्ध में डाक-तार विभाग द्वारा जारी किये गए ग्रनुदेशों के ग्रनुसार ऐसी कालें करने वाले टेलीफोनों का पता लगाने के लिए टेलीफोन प्रणालियों के कार्यभारी ग्रधिकारियों द्वारा कदम उठाये जाने चाहिएं। उन मामलों में जबकि ऐसी कालों का पता लग जाता है, दोषी उपभोक्ता को नोटिस भेज कर यह सूचना दी जाती है कि यदि नोटिस जारी करने के सात दिन के भीतर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा तो उसका टेलीफोन काट दिया जाएगा। यदि दोषी उपभोक्ता ग्रपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहता या इस तरह की कालों को समाप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करने को रजामन्द नहीं होता, तो टेलीफोन काटने की कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार के गुमनाम काल करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस से शिकायत करने का प्रश्न विचाराधीन है।

आयुध कारखानों में छंटनी

1914. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर तो आयुधकारखानों से कर्मचारियों की छंटनी की गई है जबकि दूसरी ओर प्रतिरक्षा सामान के उत्पादन के लिये गैर-सरकारी कारखानों को आदेश दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष आयुध कारखानों में कितनी छंटनी की गई है और उसी वर्ष गैर-सरकारी कारखानों को प्रतिरक्षा सामान के उत्पादन के लिये कितने आदेश दिये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). पिछले वर्ष या इस वर्ष में आर्डनेंन्स फैक्टरियों के रिगुलर कर्मचारियों की कोई छटनी नहीं हुई है ।

Talks Broadcast on A.I.R.

1915. **Shri M. L. Dwivedi** :
Shri S.C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that the three talks, viz., "Aj Ki Bat", "Sansad men Aj" and "Focus" are originally written in English in A.I.R., and only their translated versions are broadcast in Hindi;

(*b*) whether there is a dearth of such Hindi writers who could originally write on the said subjects in Hindi so that all the listeners in Hindi may be able to listen to the broadcast in the original language; and

(*c*) whether arrangements are being made for the broadcasting of the said three talks in the original Hindi text; if so, when ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) The Parliamentary Commentary in Hindi entitled 'Sansad Samiksha' is not a translation of the Parliamentary Commentary in English, but is written independently. The items entitled 'Focus on Matters of Current Interest' and 'Topic for Today' are broadcast in English, and their scripts are also rendered into Hindi and other languages and broadcast from different Stations.

(b) While there is no dearth of Hindi writers, the object of translating items entitled 'Focus on Matters of Current Interest' and 'Topic for Today' from English into Hindi and other languages is to make the best use of scripts written by experts on specialised subjects.

(c) The script of 'Sansad Samiksha' is already being written independently but there is no proposal to adopt this procedure in the case of the other two talks.

आयुध कोरों में पर्यवेक्षी पद

1916. श्री हेडाः क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयुध कोरों में असैनिक लिपिकीय पर्यवेक्षी पदों के आधार का पुनरीक्षण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) जी हां।

(ख) सरकार के निर्णय लेने में कुछ समय लगने की आशा है।

आयुध डिपुओं में हेड क्लर्क

1917. { श्री हेडाः
श्री म० रं० कृष्ण :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध डिपुओं में हैड क्लर्कों के पद किस आधार पर मंजूर किये जाते हैं और उनका वेतनक्रम क्या है ;

(ख) क्या यह अनुपात तथा वेतनक्रम हेड क्लर्कों के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों की दृष्टि से उपयुक्त समझा जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) हेड क्लर्कों की नियुक्ति इस समय निम्न आधार पर स्वीकृत की जाती है :—

(1) प्रत्येक 20 असैनिक क्लर्कों के लिए एक द्वितीय वर्ग हेड क्लर्क, और एक और यदि सिब्बन्दी में शेष असैनिक क्लर्कों की संख्या 10 से कम न हो ;

(2) एक द्वितीय वर्ग हेड क्लर्क यदि क्लर्कों की संख्या 20 से कम हो परन्तु 10 से कम न हो ; और

(3) अगर असनिक क्लर्कों की संख्या 75 से बढ़ जाए तो द्वितीय वर्ग हेड क्लर्कों में से एक को प्रथम वर्ग में उन्नत कर दिया जाता है।

वेतनमान इस प्रकार है :—

हैड क्लर्क प्रथम वर्ग	335—15—425 रुपये
हेड क्लर्क द्वितीय वर्ग	210—10—290—15—320—कार्यदक्षता रोक 15—380

(ख) और (ग) वर्तमान् वेतनमान पर्याप्त माने गए हैं। तदपि, द्वितीय वर्ग के हेड क्लर्कों के वर्तमान अनुपात में संशोधन निरीक्षणाधीन है।

अमरीकी आप्रव्रजन कानून

1918. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने अमरीकी आप्रव्रजन कानूनों में संशोधन करने के बारे में अमरीकी कांग्रेस को एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह मालूम करने के लिये, कि क्या संशोधन में ऐसा कोई उपबन्ध है जिससे भारतीय मूल के व्यक्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता हो संशोधन के पाठ का अध्ययन किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) जी हां । उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसका भारतीय मूल के लोगों पर बुरा असर पड़ता हो ।

हिन्दी में दूर मुद्रण सेवा

1919. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय किसी समाचार अभिकरण या अखबारों को हिन्दी में दूर मुद्रण सेवाएं उपलब्ध की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ये सेवाएं कहां तक लोकप्रिय हुई हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) तथा (ख)–एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच लगे तार परिपथ, जिन पर टेलीप्रिंटर काम कर सकते हैं, समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों को किराये पर दिये गए हैं। उनमें से कुछ तो टेलीप्रिंटर भी विभाग से किराये पर लेते हैं और कुछ खुद अपनी मशीनें लगाते हैं । जहां तक परिपथों का प्रश्न है कुंजी-पटल पर कोई भी लिपि हो–– इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

विभाग ने अभी तक समाचार एजेंसियों और समाचार-पत्रों को देवनागरी कुंजी-पटल वाले 16 टेलीप्रिंटर किराये पर दिये हैं । देवनागरी लिपि की 60 मशीनों की मांगों की पूर्ति करना अभी शेष है ।

Facilities in Studios of A.I.R.

1920. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has not been any appreciable enhancement since 1950 in the facilities provided in the studios at Delhi and other stations of All India Radio;

(b) whether the number of items of programmes has increased considerably; and

(c) the steps being taken to increase the facilities in studios at each station?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) No, Sir. Considerable additions to studio facilities have been made at Delhi and other All India Radio Stations since 1950.

(b) Yes, Sir.

(c) Additional studio facilities are being provided at various stations of All India Radio under the Third Five Year Plan.

रोजगार के प्रतिमान

1921. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्रों के लिये रोजगार के पुराने प्रतिमानों के स्थान पर नये प्रतिमान बनाये गये हैं ;

(ख) क्या रोजगार क्षेत्र की जानकारी सम्बन्धी अध्ययन सारे देश में किये जायेंगे ;

(ग) क्या मद्रास श्रमिक क्षत्र के अग्रिम अध्ययन के अनुसार कुछ बड़े शहरों में श्रमिक क्षेत्रों का अध्ययन करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) क्या पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित मुल नीतियों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिक उन्नति के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी हां ।

(ख) अभी तक देश में रोजगार क्षेत्र की जानकारी राजकीय क्षेत्र की सभी संस्थापनों से तथा उन निजी नियोजकों से जिनके यहां 25 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, इकट्ठी की जाती है । अतिरिक्त इसके 271 जिलों में उन नियोजकों से भी जिनके यहां 5 से 24 व्यक्ति तक काम करते हैं, यह जानकारी इकट्ठी की जाती है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी जिलों को इसके अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

दुकान कर्मचारियों की मांगें

1922. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली व्यापार कर्मचारी संघ ने हाल में एक संकल्प पारित किया है जिसमें दुकान कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजुरी के बारे में शीघ्र निर्णय करने तथा उन्हें अन्तरिम सहायता देने के बारे में घोषणा करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या संघ ने भविष्य निधि तथा उपदान सम्बन्धी लाभ पर भी जोर दिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जहां तक न्युनतम मजदूरी निर्धारण करने का प्रश्न है, दिल्ली प्रशासन ने 5 जनवरी, 1965 को न्युनतम मजुरी अधिनियम, 1948 की धारा 27 के अधीन एक अधिसूचना जारी की जिसमें दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत आने वाली सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में रोजगार को पहले अधिनियम से संलग्न अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव को अंतिम रूप

दिया जायेगा। अंतरिम सहायता के बारे में मांगों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विचार करना होगा। भविष्य निधि तथा उपदान सम्बन्धी मांग की दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है।

काफी बागान के लिए मजूरी बोर्ड

1923. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बागान सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) बोर्ड ने क्षेत्रीय कामगरों और मिस्त्रियों के मज़दूरी-विन्यास के बारे में सिफारिशें कर दी हैं। सरकारी संकल्प की प्रति जिसमें ये सिफारिशें स्वीकार की गई हैं 22 फरवरी, 1965 को लोक सभा की मेज पर रख दी गई थी।

2. बोर्ड ने कामगरों की स्टाफ और गैर-स्टाफ श्रेणियों के लिए दूसरी अंतरिम मजदूरी वृद्धि की भी सिफारिश की है। सरकारी संकल्प, जिसमें ये सिफारिशें स्वीकार की गई हैं, सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4040/65**]

भागलपुर का आकाशवाणी केन्द्र

1924. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भागलपुर (बिहार) में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वह संभवतः कब तक चालू हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भागलपुर में आकाशवाणी का सहायक केन्द्र खोलने का विचार है। ट्रांसमीटर के लिए भवन पूरा होने वाला है। अगले दो महीनों में सामान मिल जाने की उम्मीद है। ग्रहणकेन्द्र के लिए भवन बनाने का काम अभी शुरू हुआ है।

(ख) उम्मीद है कि केन्द्र 1965 के अन्त तक चालू हो जायेगा।

सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन

1925. **श्री प्रभात कार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला क्षेत्रों तथा कोयला खानों के नाम क्या है जिन्हें 1962, 1993

तथा 1964 में विभिन्न सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने के लिये खान विभाग के आदेशों के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया था ;

(ख) उन्हें बन्द करने के कारण क्या है और उन्हें कब तक बन्द रखा गया ;

(ग) उनमें से प्रत्येक में कितने श्रमिक थे ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4141/65]**

(घ) खान विभाग के आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये प्रबन्धकों द्वारा प्रायः कदम उठाये जाते हैं। ऐसे बहुत कम मामले होते हैं जिनमें ऐसे आदेश से सभी श्रमिकों पर प्रभाव पड़ता है और जो व्यक्ति फालतू होते हैं उनको जबरी छुट्टी देनी पड़ती है अथवा उनकी छंटनी करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय मालिक-मजदूर सम्बन्ध संगठन सुनिश्चित करता है कि ऐसे श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति जबरी छुट्टी प्रतिकर अथवा छंटनी प्रतिकर तथा सूचना वेतन दिया जाता है।

बेबीसोल कोयला खान

1926. **श्री प्रभात कारः**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० उ० मिश्रः
डा० रानन सेन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मुहम्मद इलियासः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान विभाग द्वारा बेबीसोल कोयला खान प्रबन्धकों के विरुद्ध खान अधिनियम तथा अन्य विनियमों का उल्लंघन करने के कारण मुकद्दमा चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मुकद्दमे दायर किये गये हैं ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) एक मुकद्दमा 1960 में और दो मुकद्दमें 1964 में।

(ग) 1960 में दायर किये गए मुकद्दमें में अभियुक्तों को जुर्माना किया गया। जो दो मुकद्दमे 1964 में चलाए गए वे उप-मंडल दंडनायक, आसनसोल के पास अनिर्णीत पड़े हैं।

रेडियो के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा

1927. **श्री राम सहाय पाण्डेय:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से रेडियो प्रसारण के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा देने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) विज्ञान की शिक्षा अलग से देने की कोई योजना नहीं है, पर आकाशवाणी, वैज्ञानिक विषयों पर अनेक वार्त्ता, परिसंवाद और फ़ीचर नियमित रूप से प्रसारित करती है।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

1928. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:**
श्री दाजी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के हिसाब-किताब के सम्बन्ध में महालेखापरीक्षक के नवीनतम प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त प्रतिवेदन से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस रिपोर्ट पर कलकत्ता गोदी मजदूरी बोर्ड की सलाह लेकर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा से टेलीफोन राजस्व

1929. **श्री रामचन्द्र उलाका:**
श्री धुलेश्वर मीना:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में इस समय कुल कितना टेलीफोन राजस्व बकाया है; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) 1 अक्तूबर, 1964 को 31 मार्च, 1964 तक जारी किये गए बिलों की 10.19 लाख रुपये की रकम बकाया थी।

(ख) निपटान करने की दृष्टि से दोषी उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने और जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई करने जसे कदम उठाये जाते हैं। निजी

तथा सरकारी, दोनों ही प्रकार के दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की प्रणाली को कड़ाई से लागू करने की कार्रवाई भी की गई है।

नेफा में विमान दुर्घटनाएं

1930. श्री रामचन्द्र उलाका:
श्री धुलेश्वर मीना:

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में नेफा में कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) दुघटनाओं के कारण क्या हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) और (ख) (1 अप्रल, 1964 से 31 मार्च, 1965 तक) 1964-65 में उत्तर-पूर्वी सीमा पर भारतोय वायुसेना के विमानों की कोई दुर्घटना नहीं हुई थी।

उड़ीसा में डाक सेवाएं

1931. श्री रामचन्द्र उलाका:
श्री धुलेश्वर मीना:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1964 तक उड़ीसा में कितने गांवों में डाक सेवाओं की व्यवस्था की गयी और 1965-66 में कितने गांवों में डाक सेवा व्यवस्था करने का विचार है?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में ही उड़ीसा में आबादी वाले सभी गांवों में डाकघर के नियमित कर्मचारियों द्वारा या विशेष मज़दूरों के द्वारा डाक-वितरण की सुविधा दे दी गई थी। 1 मार्च, 1965 को वितरण कितनी बार हुआ, इसकी स्थिति नीचे दी जाती है :—

वितरण सेवाओं की आवृत्ति	उन गांवों की संख्या जहां 1 मार्च, 1965 को सेवा उपलब्ध थी
दैनिक	19972
सप्ताह में तीन बार	18590
सप्ताह में दो बार	7441
सप्ताह में एक बार	464
एक सप्ताह से अधिक	कुछ नहीं
योग . .	46467

जहां तक नये डाकघर खोलकर डाक-सेवाओं के विस्तार का प्रश्न है, 1 मार्च, 1965 को 14 प्रधान डाकघर, 349 विभागीय उप डाकघर, 39 अतिरिक्त विभागीय उप डाक-घर 1236 शाखा डाकघर थे। 1965–66 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 240 डाकघर और शहरी क्षेत्रों में 2 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित करना

1932. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित आदिम जातियों के लिये पदों को सुरक्षित करने के बारे में संविधान के उपबन्धों पर आधारित आदेशों का पालन नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को संविधान के अन्तर्गत दिया गया संरक्षण प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रखी जाएगी।

आकाशवाणी में उर्दू अनुभाग

1933. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री बूटा सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने अपना उर्दू अनुभाग बन्द कर देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि इसके परिणामस्वरूप उर्दू भाषी लोगों में कितना असंतोष होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते।

Firing by Pakistanis

1934. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Defence** he pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 2nd March, 1965 Pakistani soldiers again opened fire in Lathitilla ar a at Karimganj borders; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju): (a) Yes, Sir. East Pakistan Rifles fired one round towards our post.

(b) Protests were lodged with East Pakistan authorities at District and State levels. The Government of Assam further asked the Government East Pakistan to instruct their officers to refrain from such reprehensible actions in order to restore peace.

वियतनाम में हताहत भारतीय

1935. **श्री गुलशन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वियतनाम में कितने भारतीय नागरिक हताहत हुए ; और

(ख) उनके संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्विर्ण सिह्): (क) कोई नहीं।

(ख) वास्तविक संरक्षण उत्तर और दक्षिण वियतनाम की सरकारें ही दे सकती हैं। परन्तु आपत्ति काल में भारतीय राष्ट्रिक हनोई और सैगोन-स्थित भारतीय कोंसलावासों से सहायता ले सकते हैं। प्रधान कौंसलावास स्थिति के प्रति सजग हैं और स्थिति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय बरतेंगे।

Pakistani Transmitter in Rajasthan

1936. **Shri Onker Lal Berwa :**
Shri Hukum Chand Kachhaivaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government,s attensin hasbeen drawn to the operation of Pakistani transmitter at a place named Chauhatan in Barmer District of Rajasthan;

(b) whether it is a fact the it has not been detected so far ; and

(c) if so, the measure taken to detect the said transmitter ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagwati) : (a) Government is aware of the currency of rumours to this effect.

(b) and (c) Existence of this illegal transmitter has not been established so far. Vigilance is maintained.

भूमि अर्जन

1937. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पानागढ़, जिला बद्धावान (पश्चिम बंगाल) में अर्जित की गई कृषि योग्य भूमि के फसल सम्बन्धी मुआवजे के भुगतान तथा उस भूमि को पुनः वापिस देने में विलम्ब के कारण हुई कठिनाई की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख) पानागढ़ में 343 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है। 1961–62 तक के लिए आवर्ती मुआवजा मालिकों को दिया

जा चुका है। वार्षिक मुआवजा का आंकन स्थानीय फसलों के मल्य के आधार पर किया जाता है, और अदायगी की जाती है।

1932-63 वर्ष के लिए फसल पर आधारित मुआवजे का आंकन कलैक्टर से प्राप्त हुआ था, परन्तु अभी उसकी अदायगी नहीं की गई क्योंकि सैनिक संपत्ति अफसर ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। मामला कलैक्टर के सलाह मशविरे सहित विचाराधीन है।

1963-64 के संबंध में अभी कलैक्टर के बरद्वान से आंकन प्राप्त नहीं हुआ। उसे ऐसा शीघ्र करने को कहा गया है।

भूमि के अर्जन/विसर्जन का प्रश्न के सक्रिय विचाराधीन है।

चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाना

1938. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री यशपाल सिंह:
श्री युद्धवीर सिंह:
श्री कपूर सिंह:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 23 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन के जनवादी गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के बारे में कम्बोडिया के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के आगामी अधिवेशन की कार्य-सूचो में सम्मिलित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): कम्बोडिया ने महासभा के 19वें अधिवेशन की कार्यसूची में लोकगणराज्य चीन का सयुक्त राष्ट्र में स्थान देने से संबद्ध एक विषय को शामिल करने का प्रस्ताव किया था। परन्तु, कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण महासभा सामान्य रूप से काम नहीं कर सकी जिसकी वजह से महासभा की कार्यसूची के अन्य विषयों के साथ इस विषय पर भी विचार नहीं किया गया और अब महासभा 1 सितंबर 1965 तक के लिए उठ गई है।

आन्ध्र प्रदेश में अणुशक्ति केन्द्र

1939. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक अणुशक्ति केन्द्र खोलने की योजना आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). सन् 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा स्थापित स्थल चयन समिति (Site Seletion Committee) ने परमाणु विद्युत् स्टेशन स्थापित करने के लिये तीन स्थान चुने जिनमें एक स्थान आन्ध्र प्रदेश में भी है। किन्तु आन्ध्र प्रदेश में परमाणु विद्युत् स्टेशन की स्थापना के लिये इस समय कोई योजना नहीं है।

सेना के पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि

1940. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** 15 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 434 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सैनिक कमांडरों तथा मुख्य स्टाफ अधिकारियों के वेतन में वृद्धि के कारण भारतीय-कमीशन प्राप्त अधिकारी इसी श्रेणी के भूतपूर्व किंग्ज कमीशन प्राप्त अधिकारियों के समकक्ष हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो दोनों श्रेणियों के अधिकारियों की उपलब्धियों में कितना अन्तर है; और

(ग) सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायु सेनाध्यक्ष के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) जैसा कि 15 मार्च को उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, सैनिक अफसरों के वेतन में (पिछले 1962 में किये गये संशोधन के पश्चात्) कोई व्यापक संशोधन करने का सुझाव नहीं है। कई वरिष्ठ अफसर विशेषों के वेतन के सम्बन्ध में, हाल ही में किये गये निर्णय, भूतपूर्व किंग्ज़-कमीशन प्राप्त भारतीय अफसरों तथा सामान्य भारतीय-कमीशन प्राप्त अफसरों के वेतनों के अन्तर के सम्बन्ध में, स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। न ही यह अफसरों के संशोधित वेतन को भूतपूर्व किंग्ज़-कमीशन प्राप्त भारतीय अफसरों के वेतन के निकट ही ला पाते हैं।

(ख) इस समय, भूतपूर्व किंग्ज़-कमीशन प्राप्त भारतीय अफसरों तथा अन्य ले० जनरल पद के अफसरों (आई० सी० आई० ओज़०) की उपलब्धियों में सैनिक कमाण्डरों की हालत में अन्तर 1000 रुपये मासिक है।

(ग) (जनरल के पद के) सेनाध्यक्ष की नियुक्ति पर भूतपूर्व किंग्ज़-कमीशन प्राप्त भारतीय अफसरों और जनरल पद के आई० सी० ओ० के लिए निर्धारित उपलब्धियों में 1500 रुपये का अन्तर है।

नौसेना अथवा वायुसेना में किसी समय भी कोई किंग्ज़-कमीशन प्राप्त भारतीय अफसर नहीं रहा, और इसलिए, ऐसे अफसरों के वेतन और भत्ते निर्धारित नहीं किये गये हैं। नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष जो क्रमशः वाइस एडमिरल और एयर मार्शल (सेना के ले० जनरल पद के समतुल्य) पद के हैं, इस समय विशेष आदेशों के अन्तर्गत (नौसेनाध्यक्ष के लिए 4000 रुपये मासिक, और वायुसेनाध्यक्ष के लिए 3250 रुपये मासिक) वेतन पा रहे हैं, तथा 500 रुपये मासिक एक मनोरंजन भत्ता भी।

केन्द्रीय सूचना सेवा, श्रेणी 4

1941. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा, श्रेणी 4 में कुछ पदों के लिये व्यक्तियों को चुनने के लिये जून, 1964 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक परीक्षा ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने पद भरने का विचार था; परीक्षा में कितने उम्मीदवार बैठे और कितने पास हुए; और

(ग) परीक्षा के परिणामों के आधार पर यदि किन्हीं व्यक्तियों को चुना गया हो तो कितने व्यक्तियों को चुना गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्द्रा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उन पदों की संख्या 171 थी जिनको भरने का विचार था। कुछ व्यक्तियों को, जिनकी नियुक्ति 1 जुलाई, 1954 और 16 फरवरी, 1959 के बीच उन पदों पर की गई थी जो अब केन्द्रीय सूचना सेवा की चौथी श्रेणी में शामिल कर लिये गये हैं, शुरू शुरू के 171 रिक्त स्थानों पर सेवा की चौथी श्रेणी में नियुक्ति करने के प्रयोजन से संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से उन्हें हाल ही में वैभागिक उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। कुछ अन्य व्यक्तियों को, जिनकी नियुक्ति 15 फरवरी, 1959 और 1 मार्च, 1960 के बीच की गई थी, वैभागिक उम्मीदवार घोषित किये जाने की भी सम्भावना है। जब चुनाव समिति इन उम्मीदवारों की जांच कर लेगी, तो जून, 1964 में हुई लिखित परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या में परिवर्तन हो जायेगा।

उन उम्मीदवारों की संख्या 590 है जो उक्त परीक्षा में बैठे थे।

परीक्षा के आधार पर चुनाव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवाहित सैनिक कर्मचारियों के लिए जुदाई भत्ता

1942. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोटटेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विवाहित सैनिक अधिकारियों को जुदाई भत्ते का हकदार होने के लिए सरकार ने किन किन स्थानों को अधिसूचित किया है;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य सैनिक कर्मचारियों (अदर रैन्क्स) को भी ऐसे भत्ते दिये जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें जुदाई भत्ता न देने का क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) यह सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) रक्षा सेवाओं के अफसरों से सम्बद्ध स्थिति के विरुद्ध, कि जो पहले भी वियुक्ति भत्ते के अधिकारी थे, और जिनका वेतन उनकी कुटुम्बों से वियुक्ति के तथ्य को सामने रख कर निर्धारित नहीं किया गया है, कनिष्ठायुक्त अफसर और अवर श्रेणी, सैनिक वियुक्ति भत्ते के कभी भी अधिकारी नहीं रहे, और उनका वेतन इस तथ्य को सामने रख कर निर्धारित किया जाता था, कि उनकी सेवा के अधिकतर समय के लिए उनकी अपने कुटुम्ब से वियुक्ति स्वाभाविक

थी। ऐसे क्षेत्रों में सेवा करते समय, कि जहां विशेष सुविधाएं देय हैं, कनिष्ठायुक्त अफसरों और अवर श्रेणी सैनिकों को सामान्य वेतन तथा भत्तों और अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त एक विशेष क्षतिपूरक भत्ता भी दिया जाता है।

काश्मीर के बारे में चीन के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति

1943. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने हाल में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें काश्मीर के बारे में चीन के 1957 के तथा वर्तमान दृष्टिकोण की परस्पर विपरीत बातों पर प्रकाश डाला गया है; और यदि हां, तो उस नोट की ठीक-ठीक बातें क्या हैं;

(ख) क्या चीन से इसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों तथा यूरोप के दो बड़े सैनिक गुटों की, जिसके मुखिया क्रमशः सोवियत संघ व अमरीका हैं; क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने 16 मार्च, 1965 को प्रेस बंटन जारी किया था जो भारत सरकार द्वारा 10 मार्च, 1965 को चीन सरकार को दिये गये विरोध-पत्र के आशय पर आधारित था। पाकिस्तान और चीन के बीच तथाकथित सीमा संधि (प्रोतोकोल) पर हस्ताक्षर करने के बारे में भारत सरकार का विरोध-पत्र संसद् में पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) हाल की चीन–पाकिस्तान सीमा संधि पर अफ्रो-एशियाई देशों की सरकारों अथवा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिये हैं।

Withdrawal of Import Levy on Newsprint

1944. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Newsprint Advisory Committe has asked for the withdrawal of the recently imposed 10 per cent import levy on the newsprint and abolition of excise duty at Rs. 150 per ton on white newsprint for periodicals; and

(b) if so, the action Government propose to take on these suggestions ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

भारत के लिये अमरीकी लड़ाकू विमान

1945. **श्री रघुनाथ सिंह:**
श्री यशपाल सिंह:
श्री प्र० चं० बरुआ:

श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राममनोहर लोहिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत को नई किस्म के लड़ाकू विमान देने के लिये अमरीकी सरकार से निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा0 द0 स0 राजू) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

Mail for Jaipur

1946. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri P. H. Bheel :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that mail for Jaipur sent by train via Sawai Madhopur takes three days to reach its destination; and

(*b*) if so, the reasons for not sending the mail by roadways ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagvati) : (*a*) Mails from Baroda, Ratlam and Kota sides for Japiur are sent through Frontier Mail and Dehra Dun Express and these trains have immediate connection with trains gojng to Jaipur from Sawai Madhopur R.S. The mail carrying train between Sawai Madhopur and Jaipur takes about three and a half hours. Hence the transit between Sawai Madhopur and Jaipur is not three days. Mails from Delhi side for Jaipur are not sent via Sawai Madhopur but either by air or by direct train and should reach there either the same day if sent by air or the following day by train.

(*b*) The present arrangement appears to be satisfactroy but it will be investigated if the mails can be accelerated by utilising road transport.

परगवाल में पेड़ों के बारे में विवाद

1947. **श्री दी0 चं0 शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानियों ने जम्मू के परगवाल क्षेत्र में सीमा के इस ओर से कई हज़ार रुपयों के शीशम के पेड़ काटने का प्रयत्न किया;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने यह दावा किया है कि वे पेड़ उनके हैं और इस विवाद का अभी फैसला नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जम्मू तथा काश्मीर सरकार को पूछताछ के लिए पत्र भेज दिया गया है और उनके जवाब का इन्तजार है।

स्मृति डाक टिकट

1948. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "विप्लवी महानायक राशबिहारी बसु स्मारक समिति" कलकत्ता से, जिसके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री हैं, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें श्री बसु के सम्मान में उनकी अगली वर्षगांठ पर एक स्मृति डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) डाक-टिकट संकलन सलाहकार समिति ने इसे 1965 में जारी करने की स्वीकृति नहीं दी है। इस प्रस्ताव पर बाद में विचार किया जायेगा।

सऊदी अरब के विमान चालक को बचाना

1949. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मार्च, 1965 को भारतीय नौसेना के दो जहाज़ों ने फारस की खाड़ी में बैहरीन से 80 मील दूर समद्र में सऊदी अरब के एक विमान चालक का विमान समुद्र में गिर जाने के बाद उसकी जान बचा ली; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) अकर (ख) सऊदी अरब के एक विमान चालक को, जिसे 23 मार्च 1965 को एक विमान दुर्घटना के पश्चात् नार्वे के एक जलपोत ने बचा लिया था, नार्वे के जलपोत की प्रार्थना पर आई० एन० एस० ब्रह्मपुत्र में अन्तरित कर लिया गया था, जिसने सहायता के लिए तुरन्त ही पहुंच कर, उस का प्रथमोपचार किया। तदनु आई० एन० एस० ब्रह्मपुत्र ने दमाम की बन्दरगाह पर पहुंच कर, उस विमान चालक को स्थानीय चिकित्सक, तथा हवाई अड्डे के अधिकारियों को सौंप दिया।

भारतीय नौसेना के जलपोतों, ब्रह्मपुत्र और तलवार ने, तथा दो असैनिक विमानों ने, आस पास के क्षेत्रों में 4 घण्टे तलाश और देखभाल की। घटनाग्रस्त विमान के ढांचे का कुछ भाग पाया गया था, परन्तु विमान के दूसरे यात्री का कोई चिह्न नहीं मिल पाया। सहायता को भेजे गए दल को 23 की सन्ध्या को वापस बुला लिया गया था, क्योंकि उस द्वारा किसी लाभ की आशा न थी।

Pensions of Indian in Zanzibar

1950 **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the payment of pension to persons of Indian origin in Zanzibar has been stopped ;

(*b*) if so, the reasons therefor ; and

(*c*) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). The Government have no authentic information although it is reported that Zanzibar pensioners of Indian origin are experiencing difficulty. This has been brought to the notice of the Government of United Kingdom and Tanzania.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना।

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBIC IMPORTANCE

तेनूर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I beg to call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matters of urgent public importance and request that he make a statement thereon.

"Police firing at Tanur in Kerala resulting in the death of a Jana Singh worker"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमन्, राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, चुनावों में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को जीत को मनाने के लिए 12-3-65 को लगभग 5 बजे शाम को लीग का एक जत्था करमन कडप्पुरम, तेनूर कोषिकोड, में निकाला गया। वह जत्था मुख्य सड़क से चला और रेल के स्टेशन पर साढ़े नौ बजे रात तक पहुंच गया। लौटते हुए, जत्थे के सदस्यों ने चिरक्कल नामक स्थान से होते हुए एक छोटे रास्ते से आने का निश्चय किया। वहां का सब-इन्स्पैक्टर पुलिस मलाबार विशेष पुलिस की एक टुकड़ी के साथ, जिसमें एक हवलदार और तीन पुलिस के सिपाही थे, एक गाड़ी में जत्थे के साथ चल रहा था। नियत रास्ते के साथ भिन्न-भिन्न स्थानों पर, पुलिस के दल तैनात थे। चिरक्कल के मार्ग से जो छोटा रास्ता था उस पर पुलिस दल नहीं थे क्योंकि वह निश्चित् रास्ता नहीं था। जब वह जत्था चिरक्कल वाली पगडण्डी पर, जिस पर मोटर नहीं चल सकती थी, मुड़ा, सब-इंस्पैक्टर पुलिस अपने आदमियों सहित करमन कडप्पुरम् में उस स्थान पर वापिस चला गया जहां से वे रवाना हुए थे और जहां वह चिरक्कल वाली पगडंडी पहुंचती थी। लगभग 10 बजे रात को जब कि वह जत्था उस पगडंडी से गुजर रहा था, लगभग 25 व्यक्तियों ने, जो भारतीय जन संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलों के बताये जाते हैं, पीछे से चाकुओं और लकड़ियों के साथ जत्थे पर अचानक आक्रमण कर दिया। गड़बड़ की आवाज़ सुन कर, सब-इंस्पैक्टर जो उस रास्ते के पश्चिम की तरफ समुद्र तट पर था, अपने आदमियों के साथ दौड़ पड़ा। जब वह सब-इंस्पैक्टर जो समुद्र तट से $1\frac{1}{2}$ फर्लांग पर घटना-स्थल पर पहुंचा, उन आक्रमणकारियों में से चार या पांच ने उस पर हमला करने का प्रयत्न किया और उसे एक तलवार जैसे हथियार से काट डालने का प्रयत्न किया। सब-इंस्पैक्टर ने आत्म रक्षा के लिये गोली चलाने का आदेश दिया। हवलदार ने नज़दीक से दो बार गोली चलाई जिससे दो आक्रमणकारी जख्मी हुए। शेष आक्रमणकारी भाग गए। आक्रमणकारियों ने जत्थे के नौ सदस्यों को जख्मी कर दिया। जत्थे के जख्मी सदस्य तथा गोलियों से जख्मी दोनों व्यक्ति हस्पताल में दाखिल किये गए, जहां गोली से जख्मी एक आदमी बाद में मर गया। तेनूर में पुलिस के दस्ते एकदम भेजे गए और गश्त भी बढ़ाई गई।

663 (Ai) Ls—5.

26 व्यक्ति जिन पर इस घटना में शामिल होने का सन्देह है गिरफ्तार किये गए हैं और एक तलवार, कई चाकू और लाठियां बरामद की गई जिनके बारे में शक है कि आक्रमणकारियों ने उनका उपयोग किया था। इस घटना की कोई गम्भीर प्रतिक्रिया नहीं हुई और स्थिति शांतिपूर्ण है।

इस घटना के बारे में, निर्वाचित विधान सभा-सदस्य श्री सी० एम० कुट्टी, संबंधित सब-इंस्पेक्टर पुलिस तथा पुलिस की गोलियों से जख्मी दोनों व्यक्तियों की शिकायतों के आधार पर, मामले दर्ज किये गए हैं। इन सभी मामलों की जांच व्यक्तिगत रूप से सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस कर रहा है और सम्बन्धित सब इंस्पेक्टर को स्थानान्तरित कर दिया गया है ताकि जांच में सुविधा हो सके।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब यह मामला एक न्यायालय के विचाराधीन है तो उस पर माननीय मंत्री द्वारा यहां वक्तव्य देना कहां तक उचित है।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता है तो वह पहली सूचना का प्रतिवेदन लिखता है। माननीय मंत्री ने इसी के आधार पर यह वक्तव्य किया है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इसी प्रतिवेदन का हवाला दे रहे हैं।

श्री हाथी : मैं उससे कुछ अधिक नहीं कह रहा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Is it a fact that the processionists deviated from their route and entered Hindu localities and started intimidating women and children.

Mr. Speaker : Now Shri Trivedi should raise his point of order...

श्री उ० मू० त्रिवेदी: : मैंने कहा था कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

Mr. Speaker : I cannot allow this question. You can only ask at what is the investigation.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Has it come to the notice of the Government that during elections there had been clashes between Congress and the Muslim League ?

Shri Hathi : I cannot say anything now. All these things will come up during the investigations.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Is it a fact that the sub-inspector who ordered the firing has not been transferred and is interfering with the investigations ?

Shri Hathi : He has been transferred.

श्री वारियर (त्रिचुर) : क्या इस घटना में कोई जांच की गई है और पुलिस जांच के अतिरिक्त क्या सरकार तेलूर में अशांति को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाथी : जब मामला न्यायालय में चलाया जायेगा तो सब तथ्य सामने आ जायेंगे।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : कुछ जिम्मेवार व्यक्तियों ने वहां जा कर जांच की है और सार्वजनिक भाषणों में यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने अपना कर्त्तव्य ठीक प्रकार से नहीं निबाहा । क्या सरकार इस मामले में पुलिस के कार्य की न्यायिक जांच करवा रही है ?

श्री हाथी : इसकी भी जांच की जायेगी ।

श्री प० ह० भील (दोहद) : यह कहा गया है कि जत्थे ने कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की थी ; तो पुलिस ने क्यों गोली चलाई ?

अध्यक्ष महोदय : जांच के दौरान इसको भी देखा जायेगा ।

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

शेख अब्दुल्ला और चीन के प्रधान मंत्री के बीच मुलाकात—जारी

अध्यक्ष महोदय : अल्जीयर्स में शेख अब्दुल्ला और चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ के बीच भेंट के समाचार, जिसकी ओर श्री हेम बरुआ ने पहली अप्रैल, 1965 को ध्यान दिलाया था, पर श्री स्वर्ण सिंह वक्तव्य देंगे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Under rule no. 107 you cannot allot more than one day or you cannot fix the next date. I, therefore, want to submit that he should make an independent statement instead of in response to the calling attention notice. In this way even those members can put questions who have not signed the calling attention notice.

Mr. Speaker : I cannot allot more than one day.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : शेख अब्दुल्ला की चीन के प्रधान मंत्री से मुलाकात की पूरी रिपोर्ट सरकार को विदेश सचिव से मिल गई है । विदेश सचिव 27 मार्च को अल्जीयर्स में पहुंचे थे, और अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में भाग लेकर 31 मार्च को वहां से चल दिये थे । शेख अब्दुल्ला 27 मार्च को अल्जीयर्स में पहुंचे थे और 31 मार्च तक उनके बारे में वहां अधिक ध्यान नहीं दिया गया ।

30 मार्च, की सुबह को, अपनी ही प्रार्थना पर, शेख अब्दुल्ला मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग के साथ विदेश सचिव से मिले । उन्होंने कहा कि उन्होंने विदेश यात्रा में ऐसी कोई बात नहीं कही, जो भारत में न कही हो । विदेश सचिव ने शेख अब्दुल्ला को बताया कि काहिरा और लन्दन में उनके भाषणों से पता चलता है कि जबकि उन्होंने भारत की आलोचना की है, परन्तु पाकिस्तान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा और इस कारण भारत में उनके उस रवैये के विरुद्ध बहुत रोष है ।

[श्री स्वर्ण सिंह]

शेख अब्दुल्ला की पाकिस्तान के जाने के लिये पारपत्र पर प्रमाणीकरण (एंडोर्समैंट) की प्रार्थना पर विदेश सचिव ने उन्हें बताया भारत सरकार उनका पाकिस्तान जाना आवश्यक नहीं समझती। शेख अब्दुल्ला ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो चीन के प्रधान मंत्री से मिलेगा।

अल्जीयर्स में हमारे दूतावास के अनुसार शेख अब्दुल्ला 31 तारीख की शाम को चीन के प्रधान मंत्री चाऊ से मिला, परन्तु इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई सूचना नहीं क यह भेंट किसके कहने पर हुई, शेख अब्दुल्ला के अथवा चाऊ एन लाई के।

इस सम्बन्ध में भी आलोचना की गई है कि अल्जीयर्स में हमारे दूतावास ने अथवा विदेश सचिव ने हम सूचित नहीं रखा। सच यह है कि दूतावास ने हमें शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों के बारे में बराबर सूचित रखा। 31 मार्च को शेख अब्दुल्ला चाऊ एन लाई से मिले और पहली अप्रैल को हमारे दूतावास ने तार भेजी जो हमें 2 अप्रैल को मिली। विदेश सचिव से हमें कोई सूचना नहीं मिली क्योंकि यह भेंट उनके अल्जीयर्स छोड़ने के उपरान्त हुई थी।

भारत से जाने के बाद शेख अब्दुल्ला सौदी अरब संयुक्त अरब, गणराज्य, ब्रिटेन, फ्रांस और अल्जीरिया गये। वहां की सरकारें अभी भी हमारी मित्र है और शेख अब्दुल्ला उनको हमारे विरुद्ध भड़काने में सफल नहीं हुये। चीन के प्रधान मंत्री से उनकी मुलाकात बहुत आपत्तिजनक है।

अतः सरकार ने यह फैसला किया है शेख अब्दुल्ला और उनके दल के पासपोर्टों से उन सब प्रमाणीकृत बातों को हटा दिया जायगा जो उनके हज के लिये आवश्यक नहीं। पासपोर्ट भी 30 अप्रैल तक मान्य होंगे जिससे वे अपनी हज यात्रा पूरी कर सकें। हमने सम्बन्धित सरकारों को अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये। स्थगन प्रस्ताव की सूचि में उनका नाम सबसे ऊपर है। श्री मधु बतलायेंगे कि इसमें गवर्नमेंट की क्या असफलता है।

Shri Madhu Limaye : On 16th March, the Prime Minister informed Rajya Sabha that he knew nothing about the issuing of passport to Sheikh Abdullah. On 19th March Shrimati Lakshmi Menon informed Rajya Sabha that because Sheikh Abdullah had declared himself as Kashmiri Muslim in his application for passport, the passport officials objected to it and sent the application to the Foreign Minister and the Prime Minister. She told time and again that the decision to issue passport was taken at the highest level.

Secondly, when the Government knew that Sheikh Abdullah will behave in the Foreign Countries against the interests of the Country, the Government could, at least, have sanctioned foreign exchange according to rules which are applicable to others. I think this over-sanctioning of foreign exchange and not anticipating the events to come is a serious failure on the part of the Government.

Mr. Speaker : Now you seek the permission of the House for your adjournment motion. I will take the first one first. It reads :

"शेख अब्दुल्ला और चीन के प्रधान मंत्री, श्री चाउ एन-लाई की अल्जीयर्स में हुई मुलाकात पर चर्चा और शेख अब्दुल्ला को पासपोर्ट देने में सरकार की नीति की घोर असफलता ।"

Shri Madhu Limaye : I seek the permission of the House to raise this adjournment motion.

Mr. Speaker : All the Members in its favour may please stand as the number is not fifty, therefore it cannot be raised. Now what has Shri Hem Barua to say about his calling attention notice ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिन देशों में शेख अब्दुल्ला गये उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। परन्तु क्या वह उस देश की मित्रता के सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं जिसने हमारे सम्वाददाताओं को हवाई अड्डे से बाहर निकाल दिया ? क्या इस विषय को यहां नहीं उठाया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय मैं नहीं सरकार करेगी । अब श्री हेम बरुआ अपना प्रश्न पूछें। यह प्रश्न छोटा होना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : एक तरफ तो पाकिस्तान के विदेश मन्त्री शेख अब्दुल्ला को पासपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं बल्कि काश्मीरी मुस्लिम हैं; दूसरी ओर प्लैबिसिट फ्रण्ट वाले कहते हैं कि जो पासपोर्ट शेख अब्दुल्ला को दिया गया है उससे वे चीन जा सकते हैं और उन्हें किसी प्रकार के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं ।

इस भ्रम और राजनैतिक दंगाबाजी के प्रसंग में क्या मैं जान सकता हूं।

(क) पाकिस्तान के विदेश मन्त्री के इस कथन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि पाकिस्तान शेख अब्दुल्ला को चीन यात्रा के लिये पासपोर्ट देने के लिये तैयार है, और (ख) क्या यह सच है कि जो पासपोर्ट शेख अब्दुल्ला को दिया गया था वह सभी देशों के लिये मान्य है और वह चीन भी जा सकता है, और (ग) क्या भारत सरकार ने अल्जीरिया की सरकार से शेख अब्दुल्ला को अतिथि के रूप में ठहराने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है, क्योंकि इससे शेख अब्दुल्ला को भारत विरोधी प्रचार करने का अवसर मिल गया था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर भी इतना लम्बा हुआ जितना कि प्रश्न है तो यदि माननीय मन्त्री ने केवल एक भाग का ही उत्तर दिया तो वह पर्याप्त होगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पाकिस्तान के विदेश मन्त्री का वक्तव्य पढ़ा है । यदि शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी पासपोर्ट लेने के लिये पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली तो इसके परिणामों को भी उसे भुगतना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे लोगों से किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिये जो माननीय सदस्य ने सम्भ्रम और राजनैतिक विश्वासघात के सम्बन्ध में कहा है. . .

श्री हेम बरुआ : मैंने कहा था 'प्लैविसिट फ्रण्ट के निकट जो सूत्र हैं' ।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य के मन में कुछ भ्रम हो सकता है, परन्तु हमारी ओर कोई भ्रम नहीं है ।

श्री हेम बरुग्रा : ग्राप लोग भ्रम में हैं । ग्राप देश के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं ।

ग्रध्यक्ष महोदयः : शांति शांति । किसी पर ग्राक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री हेम बरुग्राः : जब मैं भ्रम ग्रौर राजनैतिक विश्वासघात की बात कर रहा था तो मैं शेख ग्रब्दुल्ला द्वारा विश्वासघात की बात कर रहा था। परन्तु यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार सोचता है. . .

श्री हरिश्चन्द्र माथुरः क्या किसी को इस प्रकार बोलने की इजाजत दी जा सकती है । माननीय सदस्य कह रहे हैं 'यहां एक ऐसा व्यक्ति है।' वह केवल इतना कह सकते हैं कि सरकार भ्रम में है ।

श्री हेम बरुग्राः जब मैं भ्रम ग्रौर राजनैतिक विश्वासघात के बारे में कह रहा था तो मेरा संकेत सरकार की ग्रोर नहीं बल्कि शेख ग्रब्दुल्ला की ग्रोर था ।

ग्रध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य बैठ जायें । मैंने उनसे बार बार कहा है कि वह शांतिपूर्वक सुनें परन्तु वह सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : श्री हेम बरुग्रा ने कहा था कि शेख ग्रब्दुल्ला ने राजनैतिक विश्वासघात किया था । परन्तु माननीय मन्त्री ने उनको गलत समझा ।

श्री हेम बरुग्राः : फिर भी यह है भारत की सरकार. . .

ग्रध्यक्ष महोदय : यद्यपि माननीय सदस्य ने यह कहा था कि शेख ग्रब्दुल्ला भ्रम में हैं, फिर भी यदि माननीय मन्त्री ने कहा कि भ्रम दूसरी ग्रोर है, तो इस पर क्या ग्रापत्ति की जा सकती है ? क्या यह यहां ग्राम तौर पर नहीं कहा जाता कि भ्रम उस ग्रोर है ग्रथवा दूसरी ग्रोर है ? इसमें इतना उत्तेजित होने की क्या बात है ।

श्री स्वर्ण सिह : प्रश्न के भाग (ख) में माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि जो पासपोर्ट शेख ग्रब्दुल्ला को जारी किया गया था क्या वह सब देशों के लिये मान्य था ग्रौर क्या वह उस पर चीन भी जा सकते थे ? यह बिल्कुल गलत है । यदि माननीय सदस्य तारांकित प्रश्न संख्या 742 के सम्बन्ध में मेरा उत्तर देखें तो यह सब तथ्य वहां मिल जायेंगे । वहां मैंने उन देशों का नाम दिया है जिनके लिये पासपोर्ट पृष्ठांकित था ग्रौर उसमें चीन ग्रौर पाकिस्तान का नाम नहीं है ।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या के लिये पृष्ठांकन करने के लिये उन्होंने कोई ग्रावेदन पत्र दिया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : उन्होंने कभी कोई ग्रावेदन पत्र नहीं दिया । प्रश्न के भाग (ग) में उन्होंने पूछा है कि क्या हमने ग्रल्जीरिया की सरकार से विरोध प्रकट किया है । हमारे ग्रल्जीरिया की सरकार से बहुत ग्रच्छे सम्बन्ध हैं । ग्रल्जीरिया के समाचार पत्रों में उनके बारे में केवल दो या तीन पंक्तियां छपी थीं । उनका सबसे ग्रधिक प्रचार यहीं हो रहा है । ग्रतः विरोध प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता । ग्रल्जीरिया के राष्ट्रपति बन बल्ला ग्रौर प्रधान मन्त्री ने उनसे मिलना देना भी स्वीकार नहीं किया ।

भारत में ग्रल्जीरिया के राजदूत ने एक वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो कुछ शेख ग्रब्दुल्ला ने कहा है उससे ग्रल्जीरिया सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । उस सब को देखते हुये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी कोई बात न कहें जिससे हमारे ग्रौर ग्रल्जीरिया के सम्बन्धों को क्षति पहुंचे ।

Shri Kishan Pattnayak : Mr. Speaker, during the last days of the life of late Shri Jawaharlal Nehru there was a talk of friendly relations between India and Pakistan when Sheikh Abdullah was sent to Pakistan. May I know whether Government have some comprehensive policy on the question of Kashmir and Pakistan. If so, what is that policy ?

Mr. Speaker : This is a different question and I do not allow it.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) **:** Mr. Speaker, the basic version for all these developments is that our policy towards China is not clear. Are Government perpared to scrap all old treaties with China, including breaking off diplomatic relations with that country and establishing the same with Formosa Government and giving recognition to the Government of Dalai Lama .These are the main things in the background of meeting between Sheikh Abdullah and Chou-En-Lai. What is the Government's reaction to there ?

Mr. Speaker : This does not come within the purview of the calling attention notice.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Minister has used the word "prejudicial act". Sheikh Abdullah is engaged in this act with the collusion of China. Hence questions relating to China may be permitted to be put now.

Mr. Speaker : If I agree to it then I will have to permit the raising of questions on Seato, Cento etc. This does not come in this calling attention notice.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक समाचार छपा है कि शेख अब्दुल्ला ने स्वयं श्री झा को टेलीफोन किया और कहा कि वह चाऊ-एन-लाई से मिलने जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो श्री झा ने उन्हें चाऊ-एन-लाई से न मिलने देने के बारे में क्या पग उठाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब शेख अब्दुल्ला हमारे विदेश सचिव, श्री झा से मिले तो उन्होंने चाऊ-एन-लाई से होने वाली भेंट के बारे में कुछ नहीं कहा था ।

श्री दाजी (इन्दौर) : इस सदन में दो तीन दिन जोर देने के कारण सरकार विवश हो गई कि वह कुछ कार्रवाई करे । क्या यह सच है कि सरकार को पता ही नहीं था कि श्री झा अल्जीयर्स से शेख अब्दुल्ला तथा श्री चाऊ-एन-लाई की भेंट होने से पूर्व ही चलने वाले थे और इसी अनुमान के कारण सरकार ने कहा कि वह ठीक सूचना लावेगा । तब सारा देश तथा सदन श्री झा की प्रतीक्षा कर रहा था तो श्री झा विमना तथा बेरुत में ठहरे रहे । क्या दूतावास को भी इसका पता नहीं था । क्या सरकार उसका पारपत्र सभा-पटल पर रखने को तैयार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार को कार्यवाही करने पर विवश किया गया है । हां, हम केवल समाचारपत्र के आधार पर कुछ करना नहीं चाहते थे। हमें चाऊ-एन-लाई और शेख अब्दुल्ला की भेंट के समय का पता नहीं था । श्री झा के ठहरने का कार्यक्रम पहले से ही बना हुआ था । वैसे भी अल्जीयर्स से भारत आने के लिये कोई सीधी हवाई सेवा नहीं है बल्कि यूरोप से ही होकर आना पड़ता है । शेख अब्दुल्ला और चाऊ-एन-लाई की भेंट के समाचार अल्जीयर्स के समाचारपत्रों अथवा रेडियो पर प्रसारित नहीं किये गये । केवल हम ही यहां उसे इतना महत्व दे रहे हैं ।

श्री दाजी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री झा यूरोप में केवल इतने समय के लिये रुके कि यहां आने वाला वायुयान ले सकें अथवा किसी सरकारी या गैर-सरकारी कार्य के लिये वहां रुके ?

श्री स्वर्ण सिंह: उनके कार्यक्रम का हमें पहले से ही पता था और हमने उसमें परिवर्तन करने के लिये कहा भी नहीं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : उस दिन मैंने भी यह कहा था कि सरकार को कुछ और समय दिया जावे ताकि वह अधिक सूचना प्राप्त कर ले । परन्तु सरकार यहां आ गई है और यह कहने का साहस करती है कि उसके पास और कुछ समाचार नहीं है । यह तो इस सदन की मानहानि का भी प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मानहानि का प्रस्ताव लावें तो मैं उसे देखूंगा ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): श्री झा दिल्ली में वैदेशिक-कार्य मन्त्री द्वारा बताये गये कार्यक्रम के अनुसार लौट आये । यदि सदन की बैठक शनिवार को होती तो मन्त्री महोदय उसी दिन सदन को समाचार दे देते । इसलिये देर का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : प्रश्न यह है कि विदेश विभाग के सचिव को तब तक वहां रहना चाहिये था जब तक चाऊ-एन-लाई तथा शेख अब्दुल्ला में भेंट होती और सारी सूचना लेकर आना चाहिये था ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) **:** What nationality has been indicated by the other colleagues of Sheikh Abdullah in the application form for passport ?

Mr. Speaker : This does not pertain to this calling Attention notice. I am not permitting the raising of other questions which could have been raised at the appropriate time.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) **:** The Minister has made two self-contradictory statements. On the one hand he said that the passport was given to Sheikh Abdullah by the ex-Foreign Affairs Minister whereas he now says that Sheikh Abdullah asked the Foreign Secretary, Shri Jha to indicate the name of Pakistan also in the list of countries which he was proposing to visit. I want to know whether these countries have been indicated in the old passport ? Whether Sheikh Abdullah has written nothing about China also in his letter ?

Mr. Speaker : When the hon. members find some contradiction in the statement of ministers, they should write to me so that I may ascertain the correct position from the minister also and get them placed on the table of the House. A matter of privilege does not arise like this.

Shri Lal Bahadur Shastri : There is no mention of China in the letter written by him.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) **:** Is it a fact that a minister of Kashmir Government after his visit to Middle East countries informed the Central Government about preparations for reception of Sheikh Abdullah in hose countries and he advised not to give him passport ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं, हमें काश्मीर सरकार के किसी मंत्री ने यह नहीं कहा कि शेख अब्दुल्ला को पारपत्र न दिया जावे। उस समय किसी स्वागत की कोई तैयारी भी नहीं थी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukabad) : The actual preparation for reception may not be in those countries. The question is whether the Kashmir Government minister gave such information to the Government ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Is government aware that some foreign news agents like France News Agency are supporting Sheikh Abdullah? Whether Sheikh Abdullah applied for a foreign exchange of Rs. 2 lakh and out of that he was given foreign exchange to the tune of Rs. 35 thousand. Wherefrom he got this sum ?

Mr. Speaker : It has no relation with this question.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Our ancient political pundits taught us that those who trust the untrust worthy are fools. In the light of that why did Government behaved so leniently with Sheikh Abdullah and what will you do if Sheikh Abdullah goes to China and invades Kashmir as a Commander of Chinese forces ?

Mr. Speaker : You can put this question to the leader of your group.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : शेख अब्दुल्ला के यह स्पष्ट कहने के बाद कि "मैंने विदेशों में ऐसा कुछ नहीं कहा है जो मैंने भारत में न कहा हो" भारत सरकार ने उसे हज यात्रा के अतिरिक्त देशों में जाने का पारपत्र क्यों दिया ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसका शेख अब्दुल्ला की भेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : Now you have known the feelings of House. You therefore permit this debate in some form or other.

Shri Bagri (Hissar) : I endorse what has been said just now. There is much dissatisfaction due to it in Indian public.

Shrimati Vijay Lakshmi Pandit (Phulpur): Mr. Speaker, we all admit this fact that due to Sheikh Abdullah's going abroad a thing has happened which is of concern to all of us but are we not giving it greater publicity by asking a debate here ? I want to ask from the Government whether its policy has changed even if he goes to China ?

Shri Bagri : Mr. Speaker.

Mr. Speaker : I have asked you to sit down.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आय-कर (चौथा संशोधन) नियम

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं श्री भगत की ओर से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 30

मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ग्रो० 1086 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4133/65]

नैशनल प्रोजैक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा समीक्षा

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1963-64 का वार्षिक प्रतिवेदन, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति ।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4134/65]

तारांकित प्रश्न संख्या 646 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 646.

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : मैंने 30 मार्च को तारांकित प्रश्न संख्या 646 पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था "कि आन्ध्र प्रदेश में सरकार ने लगान वसूल करने का काम पंचायतों को सौंप दिया है और यह सूचना मिली है कि शतप्रतिशत लगान वसूल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पंचायतें लगभग 4,000 से 8,000 रुपये तक कमीशन के रूप में प्राप्त कर रही हैं ।"

परन्तु सही स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश में सरकार ने लगान पर उपकर लगाने का काम पंचायतों को सौंप दिया है । यह सूचना मिली है कि शतप्रतिशत वसूली हुई और इसके परिणामस्वरूप कुछ पंचायतें लगभग 4,000 से 8,000 रुपये तक प्राप्त कर रही हैं ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

वाणिज्य मंत्रालय

वर्ष 1965-66 के लिये वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
5	वाणिज्य मंत्रालय .	33,38,000
6	विदेशी व्यापार . . .	9,08,02,000
7	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	4,09,31,000
115	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	66,08,000

यह भी प्रसन्नता का विषय है कि पिछले 10–12 वर्षों में हमारा निर्यात-व्यापार विभिन्न देशों में फैला है। यह भी सराहनीय बात है कि हमारा निर्यात तथा आयात व्यापार ज्यादातर लोकतंत्रीय देशों के साथ है। परन्तु केवल उन्हीं पर निर्भर रहना बहुत बड़ी जोखिम मोल लेना है। यह भय है कि पश्चिमी देश अपने उद्योगों के अधिक से अधिक आधुनिक बनाने और संश्लिष्ट उत्पादों को बनाने की उत्सुकता में अल्प-विकसित देशों पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अतः यह ठीक है कि गत 7–8 वर्षों में साम्यवादी देश अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने में समर्थ रहे हैं और हमारा व्यापार उन देशों के साथ बढ़ रहा है। हमें इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये कि रूस ने 1952 में केवल 2 करोड़ रुपये का सामान बाहर भेजा था। सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिये कि रूस उस समय विदेशों को माल भेजने की स्थिति में नहीं था। परन्तु बाद में उसने बहुत उन्नति की और अब उसका निर्यात व्यापार भारत के साथ बढ़ता जा रहा है और साथ साथ भारत से रूस को आयात भी अधिक मात्रा में हो रहा है। अब हम रूस तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को काफी मात्रा में कच्चे माल, कृषि उत्पादों, दस्तकारी की वस्तुएं तथा अर्द्ध-निर्मित सामान भेजने के योग्य हो गये हैं। पश्चिमी देशों से जो व्यापार होता है उसके राजनीतिक तथा अन्य सामाजिक तत्वों को भड़काने के लिये दुरुपयोग किये जाने के विरुद्ध सरकार ने काफी पहले से ही उपाय किये हुए हैं। परन्तु साम्यवादी देशों के साथ व्यापार के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। रूस तथा अन्य साम्यवादी देश रुपये में भुगतान के आधार पर अपनी वस्तुएं हमें बेचने तथा हमारी वस्तुओं को खरीदने के लिये तैयार हैं। यदि यह पैसा राजनीतिक प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वे हम पर मेहरबानी कर रहे हैं। परन्तु उस पैसे का दुरुपयोग होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये।

जिस प्रकार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का विभाजन किया गया है, वह उचित नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मंत्रिमण्डल के किसी वरिष्ठ सदस्य को ये विभाग सौंपे जाने चाहियें। अन्य किसी लोकतंत्रीय देश में इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलेगा। यदि किसी वरिष्ठ मंत्री को यह दोनों विभाग सौंपे जायेंगे तो वह राज्य मंत्रियों की सहायता से वाणिज्य तथा उद्योग सम्बन्धी विषयों पर समय पर सलाह दे सकेंगे और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों की इस सम्बन्ध में प्रतिक्रियाओं पर विचार कर सकेंगे कि साम्यवादी देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध कहां तक और किस प्रकार बढ़ाये जायें जिससे कि हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास पर बुरा प्रभाव न पड़े।

ब्रिटेन तथा कुछ अन्य लोकतंत्रीय देशों से हमारे व्यापार अधिकारियों को वापस बुला लेने का निर्णय खेदजनक है। इस सम्बन्ध में मैं लन्दन में भारत के तम्बाकू सलाहकार का विशेषकर उल्लेख करना चाहता हूं। वह वहां पर अच्छा काम कर रहे थे। उनके हाथ मज़बूत करने की बजाय उन्हें वापस बुला लिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि हम लोकतंत्रीय देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील नहीं हैं।

क्या विदेशों में हमारे व्यापार आयुक्त ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं ? क्या उन्हें और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है ? राज्य व्यापार निगम द्वारा यूरोप के कई देशों में कार्यालय खोले गये हैं। उनके बारे में मुझे काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हमारे व्यापार हितों को बढ़ावा देने

[श्री रंगा]

के लिये समय समय पर कुछ अन्य अधिकारी भी बाहर भेजे जाते हैं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये कि इन सब अधिकारियों को दिये जाने वाले धन का किस सीमा तक उपयोग किया जाता है और उसका ठीक तरह से उपयोग किया जाता है अथवा नहीं।

सरकार ने व्यापार बढ़ाने के लिये नये रास्ते खोलने की बात की है। इस मामले में अवश्य ही हमारी नीति लचीली होनी चाहिये। अल्प विकसित देश ऐसी नीति अपना करके ही अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इसलिये सरकार को इस बारे में अपनी नीति को स्पष्ट कर देना चाहिये।

जिस प्रकार सरकार ने चीनी निर्यात को प्रोत्साहन दिया है और चीनी उद्योग को भी हानि नहीं पहुंचने दी है, उसी प्रकार यदि सरकारी नीति का पालन करने के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुएं बेचने से कोई घाटा होता है तो सारा घाटा सरकार द्वारा पूरा किया जाना चाहिये तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा नहीं।

मुझे प्रसन्नता है कि राज्य व्यापार निगम ने तम्बाकू मूल्य सहायता सम्बन्धी नीति स्वीकार कर ली है। इसे सन्तोषजनक रूप से कार्यान्वित करने के लिये हमें माल गोदामों की क्षमता बढ़ानी होगी। इस समय बैंकों द्वारा निर्धारित मूल्यों के 50 प्रतिशत के बराबर राशि उधार दी जाती है। उसे बढ़ा कर कम से कम 75 प्रतिशत किया जाना चाहिये। अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तम्बाकू व्यापार तथा इसके विकास में रुकावट पैदा होती है। इस नीति को बदला जाना चाहिये। मूल्य सहायता केवल विर्जिनिया तम्बाकू पर ही दी जाती है। अन्य किस्मों के तम्बाकू पर भी मूल्य सहायता दी जानी चाहिये।

राज्य व्यापार निगम जिस मुख्य उद्देश्य से कायम किया गया था उसे वह उद्देश्य पूरा करने से रोक गया है। उसे रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों से व्यापार के सम्बंध में उत्पादकों के हित में अपने व्यापार का विकास करने से रोका गया है। उन देशों में एक ही खरीदार तथा विक्रेता होता है। इसलिये उनके हित सुरक्षित हैं। यहां पर चीनी, लौह-अयस्क, सीमेंट तथा उर्वरकों के आयात-निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में सरकार का एकाधिकार है। परन्तु तम्बाकू, चमड़े के सामान तथा विभिन्न अन्य वस्तुओं का निर्यात करने वालों को इन शक्तिशाली विदेशी खरीदारों के रहम पर छोड़ दिया गया है। उत्पादक इस व्यवस्था से खुश नहीं हो सकते। ऐसा उन देशों के कहने पर ही किया गया है कुछ लोगों का यह सन्देह भी उचित है कि वे सरकारें इस व्यवस्था से खुश हैं क्योंकि इससे वे कम कीमत पर माल प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने न्यूनतम कीमत निर्धारित कर दी है। परन्तु आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि गत तीन चार वर्षों से यह न्यूनतम कीमत अधिकतम कीमत ही बन गई है। इसके विपरीत, लोक-तंत्रीय देशों, विशेषकर ब्रिटेन के खरीदार लोग हमसे न्यूनतम कीमत से अधिक कीमत पर उन वस्तुओं को खरीदते रहे हैं। इन साम्यवादी देशों ने इस देश में अपने दोस्तों को तथा-कथित निर्यात

व्यापार संस्थाएं बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया है उन्होंने उससे क्या लाभ प्राप्त किया है और उस पैसे को किस उपयोग में लाया जा रहा है, गृह मंत्री को इस सब की जानकारी है ।

[SHRI THIRUMAL RAO *in the Chair*
श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

इस व्यवस्था का तीसरा प्रतिकूल प्रभाव यह है कि हमारे उत्पादक अथवा व्यापारी इन साम्यवादी देशों के खरीदारों को एगमार्क को स्वीकार करने के लिये राज़ी नहीं कर सकते हैं और उन्हें अपनी कुछ गांठें तोड़ कर उन्हें निचले ग्रेड में लाना पड़ता है ताकि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत की सीमा में आ सकें और उन्हें खरीदारों को उपलब्ध कर सकें । इस प्रकार हमारे देश को बहुत घाटा हो रहा है ।

सरकार को इस सबकी जानकारी है परन्तु इन नये खरीदारों को नाराज़ न करने के लिये उसे कुछ कार्यवाही नहीं कर रही है । ठीक इसी प्रकार पश्चिमी देशों ने भी काफी समय तक भारत और अन्य अल्प विकसित देशों का शोषण किया था । हम इसका विरोध करते रहे हैं । साम्यवादी देशों द्वारा अपने देश का शोषण हम सहन नहीं कर सकते । इसके लिये हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि व हमारी बेवकूफी तथा संगठन की कमी का फायदा उठा रहे हैं ।

अतः राज्य व्यापार निगम को अपना प्राथमिक उद्देश्य पूरा करना चाहिये और जिन-जिन देशों में क्रय तथा विक्रय के सम्बन्ध में एकाधिकार है, राज्य व्यापार निगम को उन सब देशों को विभिन्न किस्मों का तम्बाकू उपलब्ध करने के मामले में एकमात्र विक्रेता के रूप में कार्य करना चाहिये । जहां तक तम्बाकू का सम्बन्ध है, फ्रांस के मामले में भी यही व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि वहां पर भी एकाधिकार है । सरकार को इस बारे में शीघ्र ही निर्णय करना चाहिये । केवल तम्बाकू के बारे में ही नहीं, अपितु प्रत्येक वस्तु के बारे में जो हम रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों को बेचते हैं हमें उचित मूल्य मिलने चाहियें ।

हम अपना निर्यात व्यापार तभी बढ़ा सकते हैं जब साथ-साथ आयात भी होता रहे क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था में आयात कम नहीं किया जा सकता । हमें अधिकाधिक मशीनों तथा पुर्ज़े बाहर से मंगाते रहना चाहिये । राज्य व्यापार निगम को देश के व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिये, अपितु ज़रूरत के समय उनकी सहायता करनी चाहिये और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये । ऐसा समझ कर ही सरकार को राज्य व्यापार निगम को हर प्रकार की सहायता देनी चाहिये और इसका विस्तार करना चाहिये । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

सरकार सभी वस्तुएं खुले बाज़ार में नहीं खरीद सकती है क्योंकि सभी स्थानों पर सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं । उन्हें विभिन्न व्यक्तियों से खरीदना पड़ेगा । इस सबमें काफी पक्षपात बरता जा सकता है । इसलिये मैं अपने सुझाव को पुनः दोहराता हूं कि सरकार को एक ग़ैर-राजनीतिक, निष्पक्ष, अर्द्ध-न्यायिक आयोग नियुक्त करना चाहिये और वह मंत्री अथवा मंत्रालय के दबाव से मुक्त हो । निस्सन्देह नीति तो मंत्री ही निर्धारित करेंगे परन्तु जहां तक माल की वसूली, वितरण तथा विक्रय का सम्बन्ध है, उस नीति की कार्यान्विति आयोग पर छोड़ दी जाये ।

राज्य व्यापार निगम तथा इस प्रकार की अन्य सभी निगमों को अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिये और लालफीताशाही को समाप्त किया जाना चाहिये । इन निगमों को तम्बाकू तथा विभिन्न

[श्री रंगा]

अन्य वस्तुओं के उत्पादकों तथा व्यापारियों की आड़े समय पर सहायता करनी चाहिये। मैं इस मंत्रालय को फलता फूलता देखना चाहता हूं। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि उन्हें निजी व्यापार को प्रोत्साहन देना चाहिये और उसे अपना मित्र तथा सहयोगी समझना चाहिये।

श्री ब० ब० गांधी: (बम्बई नगर–मध्य दक्षिण): हमारे सामने जो प्रतिवेदन है, वह सूचनापूर्ण तथा शिक्षाप्रद है। बहुत सी उच्च कोटि की सामग्री को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने भी इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि संसद् सदस्यों को दिया गया वार्षिक प्रतिवेदन पिछले प्रतिवेदनों की अपेक्षा बहुत अच्छा है। मैं आशा करता हूं कि अन्य मंत्रालय इस अच्छे उदाहरण का अनुसरण करेंगे।

अब मैं विदेशों के साथ होने वाले व्यापार के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। पिछले दस वर्षों में अर्थात् पहली––दूसरी योजनाओं में हमारा विदेशी व्यापार स्थिर रहा है। लेकिन 1962, 1963 और 1964 में हमने 685 करोड़ रु०, 783 करोड़ रु० और 835 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया इससे प्रगति दृष्टिगोचर होती है। चौथी योजनाओं में 500 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया जो यथार्थवादी है। निर्यात के साथ 2 हमें आयात की ओर भी ध्यान देना चाहिए। प्रायः होता यह है कि निर्यात से जो लाभ होता है वह आयात के कारण समाप्त हो जाता है। 1964 में हमने 1250 करोड़ रुपये के मूल्य का आयात हुआ जो कि गत वर्ष से लगभग 72 करोड़ रुपये अधिक थी। इस मामले में हम यह कह सकते हैं कि इस वर्ष ऐसा अनाज व उर्वरकों का अधिक मात्रा में आयात के कारण हुआ। इन मदों के कारण 85 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

हमें इस समय इस ओर ध्यान देना है कि हमारा निर्यात पिछले वर्षों की तरह बराबर बढ़ता रहे। इस के लिये आवश्यक है कि निर्यात के लिये अधिक माल बच सके, जो दो बातों पर निर्भर करता है, प्रथम, उत्पादन अधिक हो तथा दूसरे हम अपने घरेलू उपभोग को नियंत्रित करें। यदि हम उपभोग कम करेंगे तो अधिक निर्यात कर सकेंगे, हम इस ओर ध्यान दें कि ऐसी बातें विद्यमान न हों जिससे निर्यात में कमी होने की सम्भावना हो। उदाहरणतया, चीनी के वर्तमान भाव इतने अच्छे हैं कि निर्यात के लिये कोई रुचि नहीं रहती। उपभोग सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। अमरीका के हाथ से क्यूबा की मंडी निकल जाने से 1963 व 1964 में विश्व में चीनी की भारी कमी थी और भाव चढ़ गये थे। इससे बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती थी और हमने कुछ विदेशी मुद्रा उपार्जित भी की। लेकिन धीरे २ अगले वर्षों में निर्यात कम होता गया। यहां आकर हमें उपभोग नियंत्रित करने की राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता अनुभव होती है। थोड़ी कम चीनी से कोई विशेष अन्तर नहीं होता लेकिन 1963 और 1964 में हम परीक्षा में पूरे नहीं उतरे। इतना ही काफी नहीं है कि निर्यात के लिये सामान बच सके, अन्य बाधाओं को भी पार करना है। जो वस्तु हम निर्यात करना चाहते हैं उसकी मांग भी होनी चाहिए और हमारे भाव ऐसे होने चाहियें कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में मुकाबले में अच्छे साबित हों। निर्यात अपने आप नहीं होता, उसके लिये आयोजन व परिश्रम करना पड़ता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर मंत्रालय की नीतियां बनानी चाहिए।

मंत्रालय ने निर्यात के संवर्द्धन के लिये बहुत सा अच्छा काम किया है। मंत्रालय ने अनेक नयी व उपयोगी संस्थाएं स्थापित की हैं जिनमें से दो उल्लेखनीय हैं, व्यापार बोर्ड तथा भारतीय विदेशी व्यापार संस्था। दोनों ही का स्वरूप आधारभूत है तथा दोनों ही देश के विदेशी व्यापार के लिये अत्यधिक महत्व रखती हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही व चालू की गई निर्यात योजनायें पर्याप्त मात्रा में सफल सिद्ध हुई हैं।

[श्री ब० ब० गांधी]

अब मैं विदेशों में वाणिज्यक कार्यालय खोलने के प्रयासों का उल्लेख करूंगा। मैं देखता हूं कि लगभग 50 ऐसे कार्यालय खोले जा चुके हैं और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। मंत्रालय के विचारार्थ मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। निर्यात व्यापार के हित के लिये जो व्यापारी विदेश जाना चाहते हैं उनके अब भी प्राय: अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। एसी कुछ कार्यवाही करनी चाहिए जिससे यह विलम्ब व कठिनाईयां दूर हो सकें। उदाहरणतया वाणिज्य मंत्रालय विचार करें कि निर्यात संवर्द्धन के लिए यात्रा की सच्चाई के बारे में अपने आपको सन्तुष्ट करने के बाद एक प्रमाण-पत्र दे जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायता मिले। अन्त में मैं भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के इस विचार का समर्थन करुंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों में संसद् सदस्यों व व्यापारियों को अधिक से अधिक सम्मिलित किया जाये।

श्रीमती अकम्मा देवी (नीलगिरि) : मैं केवल चाय उद्योग के बारे में ही अपने विचार रखूंगी। 1964 में 135 करोड़ रुपये की चाय का निर्यात हुआ और इससे काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। इसमें 10 लाख मजदूरों को काम मिला हुआ जिससे सरकार को हमारी बेरोजगारी समस्या को हल करने में कुछ सीमा तक सहायता मिलती है। जुलाई, 1964 में भारत सरकार ने उत्पादन और निर्यात में वृद्धि की आवश्यकता को विशेषत: ध्यान में रखकर चाय उद्योग की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिये एक चाय वित्त समिति स्थापित की थी। इस समिति ने दिसम्बर, 1964 में सर्वसम्मति से अपना प्रतिवेदन दे दिया था लेकिन इसकी सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं। मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि इसकी सभी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये क्योंकि इससे चाय उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे हमारे निर्यात को बढ़ाने में विदेशों से प्रतिस्पर्धा का, विशेषत: लंका से, सामना करने में सहायता मिलेगी व विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

छोटे उत्पादकों की वित्तीय दशा सुधारने के लिये स्थापित किये गये सहकारी कारखानों के लिये मैं मंत्री महोदय की आभारी हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 6 और सहकारी कारखाने व उनकी देखभाल के लिए एक केन्द्रीय सहकारी सेवा संस्था स्थापित की है। लेकिन हमारी समस्या 42 पैसे के उत्पादन शुल्क की है। नीलगिरि के एक ताल्लुके गुड़डालूर में, जो जोन 1 में है उत्पादन-शुल्क 18 पैसे है लेकिन शेष दो ताल्लुकों कन्नूर तथा उदकमंडलम (ऊटकमंड) जोन 4 में रखे गये हैं जहां उत्पादन-शुल्क 42 पैसे है। इससे छोटे उत्पादकों को बहुत हानि होती है। ये जोन कोचीन की नीलामी के औसतों के आधार पर बनाये गये हैं जहां 40.99 प्रतिशत प्रकार की चाय बेची जाती है जिसमें नीलगिरि में पैदा होने वाली चाय शामिल नहीं है। कुन्नूर की नीलामी में नीलगिरि चाय 4 रु० किलो के हिसाब से बिकती है जिसमें 42 पैसे का उत्पादन-शुल्क भी शामिल है। वास्तविक औसत जोन 1 से भी कम है जिसमें कचार, त्रिपुरा, सिलीगुड़ी, कूच-बिहार, कालिम्पोंग आदि उत्तर में तथा दक्षिण में कन्याकुमारी, तिनेवल्ली, गुड़डलूर आदि (नीलगिरि) आदि सम्मिलित हैं। यदि हम जोन 1 व 4 में चाय का औसत मूल्य देखें तो औसत 3.90 रु० जिसमें 42 पैसे उत्पादन शुल्क भी शामिल है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बाकी दो ताल्लुके भी जोन 1 में शामिल कर लिये जायें। यदि सरकार चाय वित्त समिति की यह सिफारिश मान ले कि 1963—64 में छोटे उत्पादकों से 2/3 से अधिक हरी पत्ती खरीदने वाले कारखानों तथा सरकार द्वारा नीलगिरि में स्थापित सहकारी कारखानों का एक जोन बना दिया जाये और जोन 1 वाला उत्पादन शुल्क लागू किया जाये, तो बहुत अच्छा होगा। इस सिफारिश को अविलम्ब क्रियान्वित करना चाहिये।

मद्रास राज्य में वन-सम्पत्ति को बनाये रखने के लिये 3 अधिनियम हैं जिनका चाय व काफी बागानों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इनके पूरी तरह लागू करने से बागानों को ईंधन व इमारती

[श्रीमती अकम्मा देवी]

लकड़ी मिलने में कठिनाई होगी । मेरा अनुरोध है कि बागानों को बेरोकटोक वन संसाधनों का उस समय तक पूर्ण उपयोग करने देना चाहिये जब तक वे मद्रास गैर-सरकारी वन परिरक्षण अधिनियम अथवा मद्रास पहाड़ी स्थान (वृक्षों का परिरक्षण) अधिनियम के विनियन्त्रक उपबन्धों का पालन करते रहें । अन्त में मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि राज्य सरकारों से कहा जाये कि काफी तथा चाय बागान उद्योग को प्राथमिकता देनी चाहिए ।

वाणिज्य मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	3	श्री यशपाल सिंह	सूती और ऊनी कपड़ों की कीमतों में निरन्तर वृद्धि रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	4	श्री यशपाल सिंह	हाथ करघा उद्योग का उचित विकास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	5	श्री यशपाल सिंह	भारत से निर्यात किये जाने वाले सामान की पूरी-पूरी जांच करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	6	श्री यशपाल सिंह	निर्यात किये जाने वाले भारतीय फलों के लिये वातानुकूलित भाण्डागार की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	7	श्री यशपाल सिंह	भारतीय व्यापार निगम के कार्यालय भवन का निर्माण करने में ढिलाई ।	100 रुपये
7	8	श्री यशपाल सिंह	निर्यात को बढ़ावा देने वाले व्यापारियों को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
115	14	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
115	15	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
6	16	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	विदेशी व्यापार की परिस्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
6	17	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	विदेशों में भारतीय व्यापारियों के के हितों का संरक्षण करने की आवश्यकता।	100 रुपये
6	18	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शिष्टमंडलों और व्यापारिक दूतावासों को बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
6	19	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	निर्यात-कर्ताओं को और अधिक प्रोत्साहन देने तथा निर्यात व्यापार में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
6	20	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	व्यापार संवर्धन प्रचार और अनुसंधान के ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
6	21	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	विदेशों में मेलों और प्रदर्शनियों में अधिक भाग लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
5	25	श्री वारियर	नारियल के रेशे के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता	100 रुपये
5	26	श्री वारियर	नारियल के रेशे से बनी चटाइयों और दरियों के निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता।	100 रुपये
5	27	श्री वारियर	प्राकृतिक रबड़ की बढ़ती हुई कीमत का प्रश्न।	100 रुपये

663 (Ai) Ls—6.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
5	28	श्री वारियर	दोनों ही प्रकार के अर्थात् आयात किये गये और देश में तैयार किये गये संश्लिष्ट रबड़ की घातक प्रतियोगिता के विरुद्ध संरक्षण देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	29	श्री वारियर	कहवा, चाय, मसाले, नारियल, सुपारी और इलायची की संविहित समितियों को बनाये रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	30	श्री वारियर .	हाथीदांत से तैयार की गई चीज़ों के निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यक ा ।	100 रुपये
5	31	श्री वारियर	मछली, खासकर प्रॉन मछली और उससे बने हुए पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	32	श्री वारियर	लेमनग्रास तेल के लिये बाजार ढूंढने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	34	श्री वारियर	खेती की चीज़ों में सभी वायदे के सौदों के विरुद्ध कानून बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	35	श्री वारियर	स्टार्च का आयात कम करके पिओका के उत्पादकों को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	36	श्री वारियर	ऊनी कपड़े तथा अन्य प्रकार के कपड़े के मूल्यों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये

सभापति महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

श्री अल्वारेस (पंजिम): वाणिज्य मंत्रालय की निर्यात प्रोत्साहन योजना बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इस से न केवल आयात वित्त की व्यवस्था होती है परन्तु घरेलू खपत पर भी रोक लगती है । देश में चीनी, चाय, भोज्य तेल आदि की खपत कम कर दी गई है और इस के लिये हमारे देशवासी प्रशंसा के पात्र हैं कि वे निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये यह सब कुछ सहन कर रहे हैं ।

परन्तु इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति ऐसी है कि कच्चे माल का मूल्य तो बहुत गिर रहा है और निर्मित वस्तुओं का मूल्य अधिक हो रहा है। हम ज्यादातर कच्चे माल का निर्यात करते हैं जिस के लिये हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकती।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि एशिया और अफ्रीका में मध्यम दर्जे के उद्योगों में बनी चीज़ों की बहुत बिक्री हो सकती है इसलिये हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

दूसरे, विदेशों में हमारा कच्चा माल उचित मूल्य पर बिकना चाहिये। आजकल ऐसी प्रवृत्ति हो रही है कि उद्योग-विकसित देश कच्चा माल आपस में ही एक दूसरे से ले लेते हैं और इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में विकासशील देशों से उन की कच्चे माल की मांग कम हो जायेगी। इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे निर्यात-सन्तुलन बना रहे।

निर्यात वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं। इन गिरते हुए दामों को रोका जाना चाहिये। परन्तु इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही रोका जा सकता है। मुझे पूरी तरह से पता नहीं कि कृषि-उत्पादन मूल्य आयोग की सिफारिशों का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह आयोग कृषकों को कच्चे माल के लिये उचित मूल्य देने के सम्बन्ध में नियुक्त किया गया है और यदि इस ने यह सिफारिश की कि कृषकों को कच्चे माल के लिये उचित मूल्य दिया जाना चाहिये तो मुझे विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे माल के लिये भारत को अच्छे दाम मिला करेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

जापान के प्रधान मंत्री ने एशिया विकास बैंक का जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। चाहे इस बैंक के वित्त प्रबन्ध के बारे में कठिनाई होगी ऐसा मालूम पड़ता है परन्तु आशा है कि विकसित देश इस प्रयोजन के लिये अपनी आय का एक प्रतिशत इस बैंक को देंगे जिस से यह अपना काम ठीक प्रकार से कर सकेगा। मुझे पता नहीं कि भारत सरकार ने इस बारे में क्या करने का निर्णय किया है। उन्होंने इस बैंक के सिद्धान्त को तो मान ही लिया है।

मेरी समझ में नहीं आता कि अशोक मेहता समिति की विद्युत् करघों सम्बन्धी सिफारिशों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है पिछले दो वर्षों में सरकार ने जो सिफारिशें की थीं समिति की सिफारिशें उसके बिल्कुल विपरीत हैं। उदाहरण के तौर पर वित्त विधेयक में 25 रुपये प्रति करघा पर जो नये उत्पादन शुल्क का प्रस्ताव है समिति ने उस के विरुद्ध लिखा था।

पिछले 12 वर्षों से केन्द्रीकृत क्षेत्र तथा मिल क्षेत्र में उत्पादन के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस क्षेत्र को इसलिये अधिक कपड़ा नहीं दिया गया क्योंकि इस ने देश की अर्थ-व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया था। इसलिये समिति ने यह सुझाव दिया था कि इस क्षेत्र को अतिरिक्त कपड़ा दिया जाये। परन्तु सरकार ने समिति की इस सिफारिश पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

[श्री अल्वारेस]

अशोक मेहता समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि चार करघों तक उत्पादन शुल्क की छूट दी जानी चाहिये परन्तु सरकार ने 25 से 69 करघों को छूट दी है जो कि समिति की सिफारिशों के बिल्कुल विपरीत है।

ऐसे व्यक्तियों पर जो अपने करघों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं या बिजली के किसी अन्य व्यवसाय का काम करना आरम्भ कर देते हैं 300 रुपये जुर्माना किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। समिति ने सुझाव दिया है कि हथकरघों के स्थान पर बिजली के करघे प्रयोग में लाये जाने चाहिये। यदि यह देश की अर्थ व्यवस्था के लिये करना आवश्यक है तब इसके लिये कुछ सुविधायें दी जानी चाहिये परन्तु सरकार तो इसके विपरीत उन पर 300 रुपये जुर्माना कर देती है। जब उनके लिये बिजली की व्यवस्था कर दी जायेगी तो उन को वर्तमान स्थान तो बदलना ही पड़ेगा क्योंकि इस समय तो वे बिजली न होने के कारण एक ही स्थान पर होते हैं।

वित्त मंत्री ने केन्द्रीकृत क्षेत्र के उत्पादन शुल्क में 12.43 करोड़ रुपये की छूट का प्रस्ताव रखा है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं केन्द्रीकृत क्षेत्र में गतिरोध आ गया है। उत्पादन केवल विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में ही हो रहा है। परन्तु सरकार ने छूट तो केन्द्रीकृत क्षेत्र में दी है। इस प्रकार विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में कैसे प्रगति होगी। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे बिजली करघों के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दें।

मैं एक और बात की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी चाय की विदेशों में बहुत मांग है परन्तु फिर क्या कारण है कि आप ने इसके अधिक उत्पादन तथा अधिक निर्यात करने के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मंत्रालय की वर्ष 1964-65 की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि इस वर्ष मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। इस वर्ष चाहे कृषि के उत्पादन में कमी हुई है और औद्योगिक उत्पादन भी तेजी से नहीं हुआ है परन्तु फिर भी मंत्रालय ने 835 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। इस के लिये हमारे मंत्री, श्री मनुभाई शाह बधाई के पात्र हैं।

किसी भी विकास के लिये हमें विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है। चौथी योजना में हमें अनुमानतः 8,300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी जबकि हम अनुमानतः 5,100 करोड़ रुपये अर्जित कर सकेंगे। इसलिये शेष 3,200 करोड़ रुपयों का हमें बन्दोबस्त करना पड़ेगा। इस विदेशी मुद्रा का बन्दोबस्त करने का काम इस मंत्रालय का है। यही कारण है कि हमारे मंत्री महोदय को यहां के उत्पाद की बिक्री के लिये विदेशों में जाना पड़ता है ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। परन्तु इसके लिये मंत्रालय के पास अच्छी किस्म की चीजें होनी चाहिये; उन का सम्भरण लगातार होना चाहिये, उनका मूल्य भी अधिक नहीं होना चाहिये। परन्तु ऐसा अन्य मंत्रालयों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। इसलिये उद्योग, कृषि, श्रम तथा वित्त मंत्रालयों को विशेषकर अधिक सहयोग देना चाहिये।

कृषि और उद्योग--दोनों के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये। जब तक उत्पादन में काफी वृद्धि नहीं होती तब तक चौथी योजना में बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं किया जा सकेगा

जिससे निर्यात लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हमें हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिये हमें उत्पादकों को ऋण, अर्थ-सहायता अथवा कर में छूट देनी चाहिये। उन को आधुनिक उपकरण तथा कच्चा माल भी दिया जाना चाहिये। अत्यावश्यक उपकरणों के आयात के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिये ताकि उद्योग पूरी क्षमता से काम कर सकें। यदि हम ने प्रतियोगी मूल्य पर वस्तुयें न बेचीं तो निर्यात को बढ़ाने के हमारे सारे प्रयत्न असफल रहेंगे।

हमारे सभी वाणिज्य दूतावासों में अच्छी तरह से काम नहीं हुआ है। उन में भर्ती केवल प्रशासन सेवा में से ही नहीं होनी चाहिये। कुछ ऐसे भी व्यक्ति लिये जाने चाहियें जो व्यापार में चतुर हों।

व्यापार शिष्टमण्डलों के बारे में जो श्री गांधी ने सुझाव दिये हैं मैं उन का समर्थन करता हूं।

एक जैसा ही काम करने के लिये कई नई एजेन्सियां बनाई जा रही हैं परन्तु मुझे भय है कि उनके कामों को दुहराया जायेगा। इसलिये इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि कामों को दुहराया न जाये।

विदेशों के बाजारों में फैशन, अभिरुचि आदि की ओर भी बहुत ध्यान दिया जाना चाहिये। इसलिये समय समय पर इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। अनुसंधान की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। निर्यात में बृद्धि करने के उद्देश्य से नये देशों का पता लगाने की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये।

इसलिए यह दोनों देशों के लिए लाभदायक होगा कि पटसन के निर्यात के बारे में एक आपसी समझौता हो जाये। मसालों के बारे में मैं समझता हूं कि जापानी मिर्च, सफेद गोल मिर्च की मांग बढ़ रही है और हमें इनका उत्पादन बढ़ाना चाहिए जिससे इनका निर्यात इतना बढ़ाया जा सके कि विश्व बाज़ार में भारत की वही स्थिति पुनः हो जाये जो पहले कभी थी।

बागान उद्योग का विकास करने की जिम्मेदारी भी इसी मंत्रालय की है। इस उद्योग में महत्वपूर्ण वस्तु चाय आती है। हमारी अर्थ-व्यवस्था में चाय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु दुःख की बात है कि सरकार ने इस तथ्य को नहीं समझा है। पहली योजना में इस उद्योग का उल्लेख ही नहीं किया गया था। दूसरी योजना में इसका कोई विकास कार्यक्रम बनाये बिना ही उत्पादन-लक्ष्य तथा निर्यात लक्ष्य निर्धारित किये गये। तीसरी योजना में चाय के विकास के लिए चाय बोर्ड ने ऋण सम्बन्धी दो योजनायें बनाई थीं। चौथी योजना में चाय के उत्पादन लक्ष्य 10,000 लाख पौंड तथा निर्यात के लक्ष्य 8,300 लाख पौंड निश्चित किये गये। परन्तु प्रश्न सामने यह आता है कि इन उत्पादन लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा किया जाये। इसके बारे मे वित्त मंत्रालय के एक योग्य अधिकारी श्री वी० वी० चारी की अध्यक्षता में नियुक्त चाय वित्त समिति की रिपोर्ट से मैं एक उद्धरण देता हूं। उन्होंने कहा है कि उद्योग के पास इतना धन नहीं है कि वह इसके विकास के लिए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्य कर सके। इसी आधार पर उद्योग को आशा थी कि सरकार उस समिति की सिफारिश को मान कर कोई क़दम उठायेगी। परन्तु हुआ उल्टा। सरकार ने बैंक की दर 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दी और श्रम मंत्रालय ने भी कोशिश की मजूरी बोर्ड तथा बोनस आयोग की सिफारिशों को

[श्री प्र० चं० बरूआ]

लागू किया जाये । हाल में ही दो अन्तरिम वेतनवृद्धियां मज़दूरों के वेतनों में कर दी गई हैं । इसके साथ साथ आसाम सरकार ने भी सड़क वहन कर लगा कर इस उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है । इससे सिद्ध हो जाता है कि चाय उद्योग जो पहले ही वित्त संकट में था उस पर इन प्रहारों ने उसकी कमर ही तोड़ कर रख दी है । इस कारण से मेरा यह सुझाव है तथा मैं आशा करता हूं कि सरकार चाय वित्त समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लेगी । इनमें से कुछ की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूं । पहली तो यह है कि निर्यात होने वाली सभी प्रकार की चाय पर 18 पैसे की छूट उत्पादन शुल्क में दी जानी चाहिए । मैं बताना चाहता हूं कि चाय को छोड़ कर और किसी भी निर्यात होने वाली वस्तु पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता है । सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ।

दूसरी सिफारिश यह है कि नये क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए 50 प्रतिशत विकास भत्ता दिया जाना चाहिए तथा जहां पर पहले ही बाग है वहां पर नये पौदे लगाने लिए 40 प्रतिशत भत्ता दिया जाना चाहिए । इस सिफारिश को भी तुरन्त लागू किया जाना चाहिए ।

तीसरी सिफारिश यह है कि कर ऋण प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना बढ़े हुए उत्पादन से संबद्ध किया जाना चाहिए तथा उत्पादन का औसत 1962, 1963 तथा 1964 वर्षों का लेना चाहिए । केवल 1964 के उत्पादन का औसत नहीं लेना चाहिए । 1964 में उत्तर भारत में कई स्थानों पर अच्छा उत्पादन हुआ है जबकि दक्षिण भारत में उत्पादन अच्छा नहीं हुआ है । इसलिए यह सिफारिश जरूर स्वीकार की जानी चाहिए ।

चौथी सिफारिश यह है कि विकास छूट देने के लिए चाय उद्योग को आय-कर अधिनियम की पांचवी अनुसूची में रखा जाना चाहिए । पांचवीं सिफारिश यह है कि सभी चाय समवायों को निर्यात के लिए समान कर छूट दी जानी चाहिए । मैं समझता हूं कि इन सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

अन्तिम सिफारिश जिसको मैं स्वीकार कराना चाहता हूं यह है कि नीलगिरी क्षेत्र में चायपत्ती कारखाने को जोन 1 में रखा जाना चाहिए ।

माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि इन रियायतों को स्वीकार करने का काम वित्त मंत्रालय का है । इसके बारे में मेरा यह कहना है कि उद्योग के विकास की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय की है और इसीलिए इस मंत्रालय को वित्त मंत्रालय हो अथवा श्रम मंत्रालय को अथवा सरकार का कोई भी विभाग हो उससे स्वयं यह काम कराने चाहिए जिससे उद्योग का विकास हो सके । अन्त में मैं आशा करता हूं कि उद्योग मंत्रालय मेरी बातें स्वीकार करेगा और इन सिफारिशों को अन्य मंत्रालयों से भी स्वीकार करायेगा ।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : मुझे खेद है कि श्री रंगा यहां उपस्थित नहीं है । उन्होंने कुछ बातें कहीं थी जिनका मैं उत्तर देना चाहता हूं । उन्होंने बताया कि देश को ऐसी सरकारों से व्यापार नहीं करना चाहिए जो जातिभेद अथवा वर्णभेद के समर्थक हैं । मैं समझता हूं कि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए इसका कोई ध्यान नहीं करना चाहिए कि कौनसा देश किस नीति का समर्थक है । हमें तो यही प्रयास करना चाहिए कि जिससे

हमें पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा मिल सके। उन्होंने आयात तथा निर्यात लाइसेंस जारी करने के बारे में पक्षपात की बात कही। मैं समझता हूं कि आयात तथा निर्यात लाइसेंस जारी करने वाला विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। संभवतः उसकी कार्यप्रणाली में कुछ गलतियां रहीं हों परन्तु यदि उसकी पूर्ण कार्यप्रणाली को देखा जाये तो मालूम हो जाता है कि उससे पक्षपात का कोई चिन्ह नहीं है।

मैं इस मंत्रालय को बधाई देता हूं कि इसने निर्माताओं तथा उत्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहित करके पटसन आदि का हमारा पुराना निर्यात बहुत बढ़ा दिया है तथा कुछ नई चीजों का निर्यात भी अब होने लगा है। मैं आशा करता हूं कि उत्पादन बढ़ जाने पर हमारा निर्यात भी अवश्य बढ़ जायेगा।

हमने अपनी चौथी योजना बड़े उत्साह से बढ़ चढ़ कर बनाई है तथा उसके लिए हमें काफी विदेशी मुद्रा की जरूरत है। हमने चौथी योजना में मशीनों के पुर्जे आदि के आयात के लिए 5,100 करोड़ रुपये से 5,300 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है तथा विकास कार्यों के आयात के लिए 1,800 करोड़ रुपये से 2,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि जब तक हम अपने निर्यात 760 करोड़ रुपये से 1,020 करोड़ रुपये नहीं बढ़ा लेंगे तब तक हम अपनी योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर पायेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ऐसा करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे क्योंकि विकसित देश जानते हैं कि उन्हें पिछड़े हुए देशों की सहायता चाहिए। 1950 तथा 1960 के दौरान यह आशा थी कि अल्प-विकसित देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ जायेगा। परन्तु बढ़ने के बजाय वह 30 प्रतिशत से कम होकर 20 प्रतिशत हो गया। इसी लिए मेरा विचार है कि विकसित देशों को सर्वदा अल्प-विकसित देशों से निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए जिससे इन देशों को कुछ विदेशी मुद्रा मिल सके। मैं समझता हूं कि हाल में ही विकसित देशों ने ऐसी नीतियां अपना ली हैं जिनके आधार पर वह अल्प-विकसित देशों से वस्तुओं का आयात करेंगे और इन देशों की सहायता करेंगे।

मेरे मित्र श्री व० बा० गांधी ने कहा कि हमें वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने चाहिए। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। यह निश्चित है कि जब हमारी जनता को उनकी आवश्यकतानुसार खाने, पहनने आदि को नहीं मिल रहा है तो पहले पहल उनके लिए इन वस्तुओं की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा साथ साथ जो भी विदेशी मुद्रा हम प्राप्त कर सकें, वह प्राप्त करें। हमें इसलिए इसका प्रचार करना चाहिए तथा जनता को बताना चाहिए कि अपनी खपत कम करके, निर्यात को बढ़ाया जाना चाहिए। हमें राशनिंग शुरू करनी चाहिए तथा शेष वस्तुओं का निर्यात कराने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अधिक विदेशी मुद्रा मिल सके।

अब मैं वायदा बाजार आयोग के कामों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि निर्माताओं तथा उत्पादकों के हित के लिए ऐसा आयोग बनाना अच्छा रहेगा। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ वायदा बाजार बनाये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर भी ध्यान दें।

कुछ अन्य क्षेत्रों में कपास क लिए वायदा व्यापार की व्यवस्था रखी जा रही है। मैंने सुना है कि मंत्रालय केवल पूर्व भारत कपास एक्सचेंज को ही शाखायें खोलने की अनुमति

[श्री श्रोझा]

देना चाहता है। यदि ऐसी बात है तो मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है। मैं समझता हूं कि वायदा बाजार को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जिससे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हो सके।

Shri U.M. Trivedi (Mandsaur) : Mr. Deputy Speaker, Sir. I always find that the functions of this Ministry are changing in nature and there is no stability in its working. Recently it has been stated that this Ministry is responsible for textile, jute and sericulture industry. It has also been stated that this Ministry has appointed a Board of Trade. I wanted to know the names of Members of Board of Trade, but I could not know their names. In England there was a Board of Trade even when I was quite young and its members were M.Ps. I presume that some big businessmen might have been appointed as members. They might be holding meetings once or twice a year. We do not know what advice it gives to the people.

I want that there should be stability in the working of this Ministry and all M. Ps. should know the functions of the Ministry and they should not be changed often.

I want to give one example to prove that the working of this Ministry is not stable. It has come to my notice that a Textile mill was sanctioned to be established in Dewas in M. P. The work was assigned to Seth Mafat Lal and foreign exchange to the value of 7 lakhs was given to him. But I do not know that what transpired in the Ministry and the mill which was sanctioned for M.P. was shifted to Nadiad. The reason for this shifting was given that licences of entrepreneurs who fail to instal the spindles or looms are being revoked and reallotted. But I think that this step was taken in haste, or we should have given some chance to some other person if Seth Mafat Lal failed to establish the factory and did not deprive M.P. of this mill. I can give many such examples to show instability in its working.

I know that in the name of export promotion, so many malpractices are going on that you can think .. All the members of this department are involved in it. We should try to remove all this quickly.

After going through the report of this Ministry I could not know the steps taken to export sugar. It is a disgrace that when we cannot supply sugar to our people at the rate of 1·25 per Kilogram, we are exporting it at the price of 4 annas per Kilogramme to other countries.

It has come to my notice that those persons who can export easily are being harassed by this Ministry while Government itself is exporting whether on profit or loss.

श्री मनुभाई शाह : ऐसी बात नहीं है। जो भी चाहे वह किसी भी वस्तु का निर्यात कर सकता है। कोई बाधा इस प्रकार की नहीं है।

Shri U. M. Trivedi : I will send such cases to Minister.

I have so many times said in this house that enough wool is available in Madhya Pradesh and Government should try to establish this Industry here. But I do not know why this Ministry is against M. P. and always turned down my this suggestion and never looked into it. In the end I appeal to the Hon. Minister to look into it and do the needful.

श्री हेडा : (निजामाबाद) : मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं । विशेषतया निर्यात तथा आयात के मामले में मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया और विदेशी मुद्रा प्राप्त की । इस सबके लिए माननीय मंत्री महोदय ही बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही रुचि मंत्रालय के कामों में दिखाई है।

इसके पश्चात् मैं मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ कामों का उल्लेख करता हूं । मंत्रालय ने कुछ संगठन, संस्थायें, आदि बनाई हैं। इनकी स्थापना से मैं समझता हूं कि हमने उत्पादन आदि के जो लक्ष्य निश्चित किए हैं वह हम पूरे कर लेंगे । मंत्रालय ने भारतीय विदेशी व्यापार संस्था, भारतीय व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियां परिषद्, भारतीय निर्यात संगठन संघ, निर्यात निरीक्षण परिषद् आदि बनाई हैं जिससे निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में वातावरण पैदा किया जा सके तथा उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जा सके । दूसरे संसार के विभिन्न क्षेत्रों में भी व्यापार के बारे में वातावरण तैयार करना चाहिए तथा प्रतिवेदन के अध्याय 4 के अनुसार वाणिज्यिक सम्बंध तथा व्यापारिक समझौते करने चाहिए । तीसरे निर्यात बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात् व्यापार तथा विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, गैट आदि में कार्यवाही करना । चौथे कपड़ा, पटसन, कपास, रेशम आदि उद्योगों की स्थापन के आधार को सुदृढ़ बनाना तथा पांचवें वाणिज्य मंत्रालय में सरकारी निगम बनाना आदि काम इस मंत्रालय ने किए हैं।

मैं श्री रंगा के इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि इस मंत्रालय को मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री के अधीन रहना चाहिए । मैं ऐसा सुझाव पहले भी अपने भाषणों में कई बार दे चुका हूं । मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री के अधीन कर देंगे।

श्री ओझा ने बताया कि अमरीका ने विकासशील देशों को विकासकार्य करने के लिए सहायता दी परन्तु मैं इसके साथ साथ सभा को बताना चाहता हूं कि इस काम में रूस भी कभी पीछे नहीं रहा है । ख्रुश्चेव ने अपने प्रधान मंत्री होने के समय कहा था कि विकसित देशों को अपनी पूंजी में से एक अथवा दो प्रतिशत विकासशील देशों को देने के लिए अलग निकाल कर रखना चाहिए । इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही देशों ने हमको विकास कार्यों के लिए सहायता दी है ।

यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हमको अमरीका आदि देशों से अपने उद्योगों की स्थापना के लिए सहयोग मिल रहा है । इन देशों के दल भारत आते हैं तथा यहां पर स्थापना स्थान आदि की जांच करते हैं। इस बारे में मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमें विदेशों से सहयोग तो अवश्य लेना चाहिए तथा साथ साथ इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो भी कारखाना स्थापित हो इनको उसमें 40 प्रतिशत से अधिक अंश नहीं मिलने चाहिएं । अधिकांश अंश भारतीयों के ही उसमें रहने चाहिएं जिससे उस पर अधिकार भारतीयों का ही रहे।

मैं सहयोग करने वाले देशों से मिला हूं तथा मैंने यह पाया है कि जो भी यहां पर पूंजी लगाना चाहता है वह आशा करता है कि उसको उसकी पूंजी पर 25–30 प्रतिशत धन मिल जाये । मैं समझता हूं कि जब वह इतना धन अपनी पूंजी पर चाहते हैं तो यह कहीं अच्छा होगा कि हम उनसे ऋण लेकर अपने उद्योग स्थापित कर लें । मैंने

[श्री हेडा]

सहयोग के परिणामों को उन उद्योगों के प्रतिवेदनों का अध्ययन करके देखा है और पाया है कि लगभग 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा भारत से यह सहयोगी अपने अपने देशों को ले जा रहे हैं।

श्री रंगा ने कहा कि हमें आयात तथा निर्यात के लाइसेंस देते समय कुछ ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे उपयुक्त व्यक्ति को यह लाइसेंस मिले। आज ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति जो इसके योग्य नहीं होते हैं उनको लाइसेंस मिल जाते हैं और इसीलिए ऐसे अयोग्य व्यक्ति विदेशी सहयोगियों के कब्जे में चले जाते हैं क्योंकि उनको स्वयं तकनीकी आदि जानकारी नहीं होती है । श्री त्रिवेदी ने भी इस बात का जिक्र किया है ।

जब किसी चीज़ के निर्यात के अधिकार दिए जाते हैं तो इसका ध्यान रखा जाता है कि उससे कितना लाभ होने वाला है । साधारणतया लाभ 50 से 75 प्रतिशत तक हो जाता है । परन्तु अब सरकार ने ये अधिकार 70 प्रतिशत से $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत कर दिए हैं । मेरा यही सुझाव है कि नियमों के ऐसे परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिएं जिनसे नुकसान हो।

अन्त में मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री हेम राज (कांगड़ा): मैं अपने क्षेत्र के चाय उत्पादकों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि उनके कार्यकाल में उत्तर भारत में एक सहकारी कारखाना तथा सहकारी विपणन समिति स्थापित हो गई है । परन्तु वहां के छोटे चाय उत्पादकों को ध्यान में रखते हुए, इससे उस क्षेत्र की समस्या हल नहीं हुई है। कांगड़ा जिले में 8,500 एकड़ में से 6,000 एकड़ भूमि ऐसी है जो पचास एकड़ भूमि से अधिक वाले चाय बागानों के कब्जे में है । वहां पर केवल एक चाय बागान के अलावा अन्य किसी को भी चाय बोर्ड की विकास योजनाओं से लाभ नहीं पहुंचा है । सारे भारत की तुलना में उत्तरी क्षेत्र में चाय का औसत उत्पादन बहुत कम है । इस दृष्टि से कांगड़ा तथा हिमाचल प्रदेश को अविकसित क्षेत्र समझा जाना चाहिये और उस क्षेत्र को केवल छोटे चाय उत्पादकों को मिलने वाली सुविधाएं ही नहीं दी जानी चाहियें ।

[**श्री सोनावने** पीठासीन हुए
Shri Sonavane *in the Chair*]

हाल ही में एक अध्ययन दल द्वारा उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किय गया था । उसके प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि 1,159 चाय उत्पादकों में से केवल चार ऐसे हैं जिन्हें बड़े चाय उत्पादक ठहराया जा सकता है । शेष सब बागान अविकसित अवस्था में हैं । मेरे यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर उर्वरकों के लिये राज सहायता केवल 50 एकड़ से कम भूमि वाले चाय बागानों को ही दी जा सकती है । 50 एकड़ से बड़े बागानों को इस सहायता से वंचित रखा जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि समस्या के इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए ।

कांगड़ा तथा हिमाचल प्रदेश में चाय झाड़ियां 100 वर्ष तक पुरानी हैं और उनकी जगह नये पौधे लगाने की आवश्यकता है । इस काम पर लगभग 5000 रुपये खर्च होंगे । प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा 1000 रुपये ऋण दिया जाता है जो बहुत कम हैं । अतः सरकार को छोटे चाय उत्पादकों को ऋण तथा ब्याज पर राज सहायता देनी चाहिये । उक्त अध्ययन दल ने भी इसी आशय की सिफारिश की है । उसने नई मशीनें लगाने के लिये भी छोटे चाय बागानों को उपरोक्त सुविधा देने की सिफारिश की है।

त्रिपुरा तथा कछार की तरह इस क्षेत्र का तकनीकी तथा आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये । उस क्षेत्र में चाय उद्योग के विकास के लिये यह कदम उठाना जरूरी है ।

इस समय केवल अफगानिस्तान में ही हरी चाय की मांग है। इसके लिये संयुक्त अरब गणराज्य तथा उसके आस पास के अन्य देशों में मांग पैदा की जा सकती है जैसा कि चाय बोर्ड के वर्ष 1964 के प्रतिवेदन में दिया हुआ है । इसलिये इस दिशा में तुरन्त कदम उठाए जाने चाहियें ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 1959 में नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया था कि हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब का जलवायु रेशम उद्योग के विकास के लिये उपयुक्त है । अतः इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये जिससे कि इन पहाड़ी क्षेत्रों का पिछड़ापन दूर हो सके ।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : एक कल्याणकारी राज्य को देश के सभी धन संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है । यदि हमारी सरकार देश के समूचे व्यापार तथा उद्योग को अपने हाथ में ले ले परन्तु ऐसे कदम से होने वाली आय को समूची जनता की भलाई के काम में लगाये तो मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है । देश के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिये संसद ने सरकार को पर्याप्त शक्तियां दी हुई हैं परन्तु मुझे खेद है कि इसके बावजूद भी परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं । 17 वर्षों तक ऐसी शक्तियों के होते हुए भी सरकार केवल एक वर्ग विशेष को ही धनवान बनाने में सफल हुई है । सदस्यों को दिये गये प्रतिवेदन से पता चलता है कि गत वर्ष प्रगति सराहनीय नहीं रही है । निर्यात व्यापार में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है । फिर भी मैं यह अनुरोध करूंगा कि चीनी, सीमेंट, आदि का जिनका देश में बहुत अभाव हैं निर्यात नहीं किया जाना चाहिये। एक साधारण देशवासी के लिये चीनी खरीदना असम्भव हो गया है जबकि इसका बहुत ही कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है । इसी प्रकार राष्ट्र निर्माण कार्यों में सीमेंट के अभाव के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है । अपने देशवासियों को भूखा मार कर ऐसी अत्यावश्यक वस्तुओं को बाहर भेजना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है।

विदेशों में हमारी चाय की मांग कम होती जा रही है और उसके निर्यात व्यापार में 7 करोड़ रुपये की कमी हो गई है । हम चाय का बहुत पहले से निर्यात करते रहे हैं । अब अन्य देश चाय का निर्यात करने लगे हैं और इस प्रतिस्पर्द्धा के कारण ऐसा हुआ है । मंत्रालय को इसके लिये भरसक प्रयत्न करने चाहियें कि चाय तथा अन्य वस्तुओं का, जिनका हम बहुत पहले से निर्यात करते रहे हैं, निर्यात व्यापार बराबर बढ़ता रहे ।

[श्री शिंकरे]

देश के अन्दर एक विचार है कि इस मंत्रालय के आधीन जो दो निगम हैं, अर्थात राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम दोनों ओर अधिक बीजा बनाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब वे कोई वस्तु निर्यात करते हैं तो उसकी अधिक कीमत लिख देते हैं और वह व्यक्ति जिसके पास उसने वस्तु निर्यात की थी जब वह अपनी कोई वस्तु यहां निर्यात करता है तो वह भी अधिक मूल्य दिखा देता है। यदि ऐसा नहीं हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि वही ट्रेक्टर जो गोवा में उसके स्वतंत्र कराने से पूर्व 12,000 रुपये का बिकता था वह अब 20,000 रुपये का बिकता है। यदि उस पर आयात कर भी लगा दिया जावे तो भी अन्तर 2000 रुपयों से अधिक नहीं पड़ना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

अब मैं कुछ अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहूंगा। आज गोवा में समाजवाद की यह स्थिति है कि वहां के लगभग आधे दर्जन लखपति तो करोड़पति बन गये हैं और निर्धन लोग जिनके पास कच्चे लोहे की छोटी-छोटी खानें भी हैं, वे भूखे मर रहे हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : सभापति महोदय, आज देश विकास के बीच से गुजर रहा है, इसलिये आज हमें बहुत कार्य करना है।

जो आंकड़े दिये हैं उनसे विदित होता है कि 1964 में हमारा आयात इतना था जितना पहले कभी नहीं हुआ जो 835 करोड़ रुपया था। यह 1963 के निर्यात से 52 करोड़ रुपया अधिक था और 1962 के निर्यात से 98 करोड़ रुपया अधिक था। पिछले 3 वर्षों से निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है।

यदि आयात को देखा जावे तो वह भी इतनी अधिक हो गई है कि पहले कभी नहीं हुई थी। इसका मूल्य 1250 करोड़ रुपये था। यह 1963 में 1178 करोड़ रुपये था। हमारा व्यापार पूर्वी यूरोप के देशों से बढ़ा। 27 करोड़ रुपये का व्यापार तो केवल रूस के साथ ही था। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। उसके मुकाबले पर हमारा पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ हमारा व्यापार घटता जा रहा है और यह 3 करोड़ रुपया घट गया। ऐसे ही हमारा व्यापार जापान तथा दूसरे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ घटा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ कहेंगे।

खाद्य की वस्तुओं का निर्यात भी 1964 में 213 करोड़ रुपया तक बढ़ा और यह 1963 के मुकाबले 56 करोड़ रुपया अधिक था। यह एक गम्भीर बात है।

ऐसे ही दूसरी वस्तुओं के निर्यात में भी पिछले वर्ष के अपेक्षा वृद्धि हुई है। जैसे कि कपास, इस्पात आदि। इनमें मशीनरी तथा उनके पुर्जे भी सम्मिलित हैं। इसकी तो खैर कोई बात नहीं क्योंकि हमारा देश विकसित नहीं है और उसके विकास के लिये यह आवश्यक है।

ऐसे ही कुछ और चीज़ों के आयात में वृद्धि हुई है और वे हैं रक्षा का सामान तथा उर्वरक। क्योंकि आजकल इनकी आवश्यकता है, इसलिये हम इसके विरुद्ध कुछ कह नहीं सकते।

एक प्रसन्नता की बात निर्यात के बारे में यह है कि अब हम उन चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं जिनका पहले नहीं करते थे।

जहां तक कच्चे माल का सम्बंध है जो हमारी निर्यात की चीज़ों के लिये आवश्यक हैं हमें यह याद रखना चाहिये कि वे सस्ते दामों पर मिल सकें तथा बाजार में उनके मिलने के बारे में कुछ मज़बूती होनी चाहिये।

चौथी योजना के बारे में हम ने 5100 करोड़ रुपये की हद निर्धारित कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसे किस प्रकार पूरा कर पावेंगे। हमारी निर्यात अवश्य बढ़ती रहेगी यदि हमारा उत्पादन बढ़ता रहे, कच्चा माल भी ठीक दामों पर मिलता रहे और मुद्रास्फीति भी न हो।

उत्पादकों को तथा निर्यात करने वालों को जो राजकोषीय सहायता दी है वह कम है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये कि इसे बढ़ा सकती है।

विदेशियों के सहयोग का मैं स्वागत करता हूं यदि वह हमारी शर्तों पर हो न कि उनकी शर्तों पर। अब तो भारतीय उपक्रमी भी विदेशों में जाने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

निर्यात के लिये जो रियायतें दी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। फिर भी अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

हमारे दूतावासों में वाणिज्य सम्बंधी शाखा खोल दी गई हैं। उनका पुनर्गठन होना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि कपास के मिलों में जहां कपड़ा बुना जाता है तथा शक्ति चालित करघों और हथकरघा के कपड़ों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु कुछ पिछड़े क्षेत्रों में कुछ कपड़े के मिल तथा बुनाई के मिल बन्द कर दिये गये हैं। क्या मंत्री महोदय उन्हें दोबारा चालू करवा देंगे ?

यह भी अच्छा ही है कि मंत्रालय सहकारी क्षेत्र में मिल लगवाने के कार्य को प्रोत्साहन दे रहा है।

नारियल जटा का उद्योग ऐसा है जिस से हम निर्यात करते हैं और हम इसके द्वारा 12 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा कमाते हैं। इसका यंत्रीकरण होना चाहिये।

कुछ वस्तुओं के बोर्ड स्थापित किये हुए हैं जैसे चाय, कौफी, रेशम आदि के। परन्तु बोर्ड की स्थापना करने से ही तो काम नहीं चल जाता। उनकी जांच भी करनी चाहिये। यह सहायक हीं होगा।

पटसन बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इसमें अच्छा कार्य इसलिये हो पाया है क्योंकि इसके मूल्यों में स्थिरता है।

रबड़ का काम भी ठीक ही चल रहा है। परन्तु सीमेंट के बारे में सरकार को देखभाल करनी चाहिये।

हमारी वाणिज्यिक वस्तुओं का प्रचार हम विदेशी कम्पनियों द्वारा करवा रहे हैं। परन्तु अब तो हमारे देशवासी भी इसमें निपुण हो गये हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

पटसन एक महत्वपूर्ण वस्तु है। परन्तु इस क्षेत्र में पाकिस्तान और अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिये हमें विभिन्न प्रकार की पटसन की वस्तुएं पैदा करनी चाहिये। जब तक हमारा उत्पादन विस्तृत नहीं होगा हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

रबड़, लोह अयस्क, मैंगनीज़ अयस्क, अभ्रक, तम्बाकू आदि का उत्पादन ठीक चल रहा है, परन्तु फिर भी कुछ करने की आवश्यकता है।

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

राज्य व्यापार निगम बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। परन्तु सीमेंट के उत्पादन पर गौर करने की आवश्यकता है। जैसा कि श्री शिकरे ने बताया जहां वह स्वयं काम नहीं कर सकता है वहां उपयुक्त अधिकारियों द्वारा कार्य किया जाना चाहिये ।

जहां तक व्यापारिक प्रचार का संबंध है हमें यह काम विदेशी अभिकरणों को नहीं देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): The Hon. Minister said that the exports in the 4th Five Year Plan will rise to 1200 crores of rupees. For achieving this target we have to increase both our agricultural as well as industrial production. The poor people have very little benefited from what the Government has so far done. He assured that the ex-mill prices in retail will not be permitted to rise beyond 18 per cent. But the margins of all the persons who come in between the consumer and the producer have not been defined with the result the poor man in villages has to pay twice, thrice or even four times the price. The whole year's income is spent if a villager has to purchase a woollen Coat. This is the fate of the people in villages. Only the urban people are benefiting from the measures taken by Government.

Government statistics show that 40 per cent of our production capacity is lying dorment. We should try to make the best use of it especially on not traditional items.

The State Trading Corporation should also be entrusted with duty of seeing the production. Unless some relations are established with the actual tillers of the soil their problem can not be understood.

Mahatma Gandhi advocated different prices for the rich and the poor. But what we are now seeing is quite the opposite. Wheat is purchased from the farmer at the rate of 18 Rupees per maund and after he has disposed of the stock the price immediately shoots to Rs. 40 per maund. This is sheer injustice.

Different targets of production should be laid down for textile mills, handloom and powerloom. This is not there. Moreover if a powerloom is shifted from one place to another a levy of Rs. 300 is imposed upon it. Even if you get it as a heir you have to pay for it. This is nothing short of estate duty. The poor man is crushed in this way.

The prices should be written on the cloth coming to villages. Unless this is done you cannot prevent rich people from sucking the blood of the poor.

Some solid measures should be taken to arrest the rising prices of silk. It is reported in news papers of today that 50,000 workers have been rendered unemployed in Benaras because this industry has stopped working there.

Mass production should be started. Ultra modern machines should be installed to achieve success.

श्री अब्दुल वहीद (बंलोर): हमारी सरकार के लिये यह बड़े गर्व की बात है कि 1963–64 में हमारा निर्यात 1962 की अपेक्षा 150 करोड़ रु० अधिक रहा। परन्तु जब हम अन्य विकसित देशों के साथ अपने निर्यात की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि यह संतोषजनक

नहीं है । हमारी कुछ अपनी कठिनाइयां हैं। वाणिज्य मंत्रालय को अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से जो सहयोग मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है ।

निर्यात में वृद्धि मुख्यतः निर्यात प्रोत्साहन अधिकारों के दिये जाने के कारण हुई है। ये अधिकार दिये जाने से पूर्व निर्यात उद्योगों को कच्चे माल, फालतू पुर्जों और मशीनों की बड़ी कठिनाई रहती थी। कुछ लोग आलोचना करते हैं कि इन अधिकारों का उचित उपयोग नहीं किया जाता है । परन्तु उनकी आलोचना में कोई सार नहीं है । इन अधिकारों को विदेशों से कच्चे माल, मशीनों और फालतू पुर्जों के आयात के लिये उपयोग में लाया जाता है । यदि पाकिस्तान के साथ तुलना करें तो हम देखेंगे कि वहां पर निर्यात करने वालों को अपने उद्योग के लिये किसी भी वस्तु को आयात करने की स्वतंत्रता होती है । पाकिस्तान में निर्यातकर्त्ताओं को उनके निर्यात के 30 अथवा 35 प्रतिशत तक बोनस वौचर दिये जाते हैं। वे इन वौचरों को बाजार में बेच कर 200 प्रतिशत तक का मुनाफा अर्जित करते हैं। मैंने मंत्री जी से उसके लिये कहा तो वह कहने लगे कि ऐसा करना ऊंचे आदर्शों के विरुद्ध है । हम ऊंचे आदर्शों की बातें तो करते हैं परन्तु हम व्यावहारिक नहीं हैं और इसी कारण हम अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में ठहर नहीं सकते हैं। आज पाकिस्तान हम से इसी कारण बाजी ले जा रहा है ।

Shri Trivedi said that the exporters are making lakhs of rupees in black-market through the export promotion entitlement. If we go through the accounts of the industrialists we will see that they utilise it for importing raw materials etc. Shri Trivedi does not say that China and Pakistan are the two main countries from which we are facing competition in the international market. Our economic conditions are deteriorating and if we want to achieve any amount of success we should do for our industries what China and Pakistan are doing.

निर्यात में वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन परिव्यय में कमी की जाये। इस कमी के लिये यह जरूरी है कि आधुनिक तरीके से बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग स्थापित किये जायें; और ऐसे उद्योगों के लिये बहुत से धन की आवश्यकता पड़ती है । परन्तु निर्यात व्यापार करने वाली फर्मों पर इतना कर लगाया जाता है कि वे अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पाती । मुझे आशा है कि वित्त मंत्री निर्यात करने वाले उद्योगों को करों में रियायत देंगे ।

निर्यात के लिये बनाई गई चीजों के लिये दी जाने वाली वित्त सहायता पर सूद की दर अधिक होने के कारण हमारी चीजें निर्यात के लिये लाभदायक नहीं रहतीं। अन्य देशों में ऐसे उत्पादों को विशेष रियायत दी जाती है । मुझे आशा है कि सरकार चबलानी रिपोर्ट को शीघ्र ही कार्यान्वित करेगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

रिजर्व बैंक ने हाल ही में अन्य बैंकों को निदेश दिया है कि वे व्यापार और उद्योग के लिये कम से कम ऋण दें । और बैंकों ने निर्यात उद्योगों को इस मामले में कोई रियायत नहीं दी । मैं जानता हूं कि यह रोक स्फीति को कम करने के लिये लगाई गई है । परन्तु

[श्री अब्दुल वहीद]

एक तरफ तो वित्त मंत्री प्रत्येक भाषण में निर्यात के विकास पर बल देते हैं और दूसरी ओर रिजर्व बैंक ने निर्यात के लिये आवश्यक वित्त पर रोक लगा दी है। आप किस प्रकार आशा करते हैं कि निर्यात व्यापार में विकास होगा? मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री यदि अपनी इच्छा से चलें तो निर्यात व्यापार के प्रति काफी उदार नीति अपनायेंगे और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के आवश्यक निदेश जारी कर देंगे। मैं रिजर्व बैंक से भी प्रार्थना करूंगा कि वो बैंकों को यह निदेश जारी कर दे कि निर्यात उद्योगों पर यह रोक लागू नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि निर्यात उद्योगों को उनके मासिक निर्यात से दुगुना ऋण मिलना चाहिये।

बम्बई नगर पालिका ने उन सब वस्तुओं पर 1 प्रतिशत चुंगी लगाई है जो बम्बई राज्य से गुजरती हैं। अतः उत्तरीय भारत से जो वस्तुयें निर्यात के लिये जाती हैं उनको बम्बई राज्य से गुजरना पड़ता है जिसके फलस्वरूप उनको 2 प्रतिशत विक्रय-कर के अतिरिक्त 1 प्रतिशत चुंगी भी देनी पड़ती है। इसका भी निर्यात व्यापार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मंत्री महोदय ने तैयार चर्म और खालों के उद्योग को कुछ निर्यात अधिकार दिये थे। परन्तु इन अधिकारों के अन्तर्गत चमड़ा कमाने वालों को जो कच्चा माल, रसायन और मशीनरी मिलनी चाहिये थी, वो समय पर नहीं मिलती। पहले अन्य देश जो केवल कच्ची खालें आयात करते थे अब तैयार चमड़ा आयात करने के लिये तैयार हैं। पाकिस्तान, टांगानिका, पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका देश चमड़े की अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी पर प्रभुत्व जमाने के लिए एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं। यदि तैयार चमड़े की अन्तर्राष्ट्रीय मार्कीट पर हम अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं तो हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा। उसके लिये हमें मशीनों की आवश्यकता है, जिससे कि हम शीघ्र ही निर्मित चमड़ा तैयार कर सकें। इसके लिये आयात नियंत्रण अधिकारियों को अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिये।

मंत्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसी खालों के निर्यात के विरुद्ध हूं जिनको भारत में तैयार न किया गया हो। परन्तु भारत सरकार ने रूस सरकार के साथ बकरी की 'पिकल्ड' खाल के निर्यात के लिये समझौता किया है। रूस सरकार तैयार चमड़ा नहीं चाहती परन्तु बकरी के पिकल्ड खाल लेने के लिये तैयार है। पिछले वर्ष हमने उनको एक करोड़ रुपयें की खाले बेची थीं। अतः उनके निर्यात अधिकारों के आधार पर हमने उनकी रसायन आवश्यकता की गणना की। परन्तु वास्तव में बकरी के पिकल्ड खाल बनाने के लिये कोई निर्यात अधिकार नहीं हैं। परन्तु इस गलत धारणा के कारण कि उनको निर्यात अधिकार हैं, हमने उनको मंजूरी दे दी। और इसी आधार पर यह व्यापार चल रहा था और निर्यातक अच्छा रुपया कमा रहे थे। परन्तु एकदम इसको सूची में से हटा दिया गया। इससे बकरी की पिकल्ड खाल के व्यापार में हमें 2 करोड़ का नुकसान होगा। परन्तु यदि केवल खाल ही निर्यात की गई तो हमें केवल दो तिहाई मूल्य प्राप्त होगा। यह मेरा निवेदन है कि इस मामले में कुछ किया जाय जिससे कि हमें 2 करोड़ रुपया मिल सके जो कोई छोटी राशि नहीं है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : सब से पहले मैं उन कटौती प्रस्तावों पर बोलना चाहता हूं जिनके बारे में मैंने प्रस्ताव दिया था। नारियल की जटा के सम्बन्ध में कटौती संख्या 25 और 26 के सम्बन्ध में मैं बोलना चाहता हूं । यद्यपि इस उद्योग की स्थिति बहुत शोचनीय है, फिर भी मुझे विश्वास है कि यह मंत्रालय बहुत ही योग्य हाथों में है और इस उद्योग की स्थिति शीघ्र ही सुधर जायगी । यह समस्या न केवल आर्थिक है बल्कि राजनैतिक भी है । यदि हम इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो हमें नारियल के जटा के उद्योग की समस्याओं को पहले सुलझाना पड़ेगा ।

10 लाख व्यक्तियों का जीवन निर्वाह इस उद्योग पर निर्भर है । सरकार इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिये जो प्रयत्न कर रही है, उससे इस उद्योग की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, । परन्तु हमें ऐसी मशीनों की आवश्यकता है जिनसे इसके निर्माण में और सुधार हो ताकि इसे विदेशी मण्डियों में भेजा जा सके। परन्तु हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम काफी मात्रा में कच्चा माल निर्यात कर रहे हैं। इससे न तो हमारी निर्यात स्थिति में सुधार होगा और न ही उद्योग को कोई फायदा होगा ।

इस महत्वपूर्ण उद्योग के लिये कोई वैज्ञानिक अनुसन्धान भी नहीं हो रहा है । जब भी उत्पादन का प्रश्न उठता है तो सारा दोष कर्मचारियों के सर मढ़ दिया जाता है । वास्तव में पुरानी निर्माण की पुरानी रीतियां अपनाने के कारण उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है । यदि हम वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनायेंगे तो विदेशी मण्डियों में सफल नहीं हो सकेंगे ।

दूसरी चीज संश्लिष्ट (सिंथेटिक) और दूसरे रबड़ में प्रतियोगिता के बारे में है। हमारे प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि हो रही है । यह मेरे राज्य से उत्पादन की मुख्य वस्तु है ।

सरकार को इसका मूल्य उस प्रकार निश्चित करना चाहिए कि मालियों को हानि न उठानी पड़े ।

मैं जानता हूं कि संविधिक वस्तुओं के बारे में इस मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय में किसी प्रकार का भ्रम है । इन समितियों का काम कोई उत्साहजनक नहीं है फिर भी न होने से कुछ होना ही अच्छा है । इसलिये मैं इन समितियों को बनाये रखने का समर्थन करता हूं ।

मसालों के कारण ही विदेशियों ने इस देश में रुचि दिखाई। 3,000 वर्ष पहले से ही विदेशी भारत विशेषतः केरल से आकर्षित हुए थे। सारा यूरोप और एशिया भारत के मसालों के कारण भारत में रुचि रखते थे। सरकार को इन मसालों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। मैं जानता हूं कि इण्डोनेशिया जैसे देश से मुकाबला है परन्तु हम पड़ौसी देशों और यूरोप के देशों में मसालों के लिए कुछ मण्डियां ढूंढ़ सकते हैं। हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

हाथी दांत की दस्तकारी के सम्बन्ध में मैंने परामर्श समिति में अपने विचार रखे थे। यह बहुत अच्छा उद्योग है । इस उद्योग की ओर विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होने लगे हैं ।

663 (Ai) L.S.D.—7

[श्री वारियर]

मुझे ग्रायात की वस्तुग्रों में मछली तथा मछली से बनी हुईं चीजों को देख कर हैरानी हुई है। यदि सरकार मछली पालन उद्योग पर अधिक ध्यान दे तो हम निर्यात में बहुत वृद्धि कर सकते हैं। सरकार समूचे मछली पालन तथा निर्यात व्यापार के लिए एक निगम बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचती ? मछली पालन उद्योग से खाद्य समस्या भी काफी हद तक हल हो सकती है ।

नीबू घास तेल का व्यापार दिन-प्रति दिन कम हो रहा है । सरकार यह कहती है कि ग्रब विश्व में इस की मांग बहुत कम है । परन्तु मेरा विचार है कि भारत में ही संश्लिष्ट विटामन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है । इस सम्बन्ध में ग्रनुसन्धान किया जाना चाहिये। इस उद्योग को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

टेपिग्रोका का ग्रायात मण्डी के लिए किया जाता है। सभी प्रकार के ग्रायात पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है । हम मण्ड़ी के लिए मक्का का ग्रायात क्यों करें जबकि यहां टेपिग्रोका का उत्पादन किया जाता है । टेपिग्रोंका के उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं मिला ग्रौर एक समय ग्राया जब उसकी मांग समाप्त हो गई । टेपिग्रोंका के सभी उत्पादकों ने उसका उत्पादन बन्द कर दिया है । इन सभी मामलों में, कच्चे माल के मामले में हम पुरानी प्रणाली पर चल रहे हैं। कोई ग्रनुसन्धान नहीं किया गया है जब इन वस्तुग्रों में तेजी ग्राती है तो समूचा लाभ बिचोलिये ले जाते हैं । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने तेल तथा कुछ ग्रन्य वस्तुग्रों को वायदा बाजार में बन्द करने के लिए कुछ कार्यवाही की है परन्तु मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस व्यवस्था को क्यों बनाये रखा है । मैं इस व्यापार के बारे में जानता हूं। मैं नहीं मानता कि वायदा बाजार से मूल्य प्रणाली तथा ग्रर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सकता है बल्कि मूल्य प्रणाली तथा ग्रर्थव्यवस्था को बाजार पर नियंत्रण रखना चाहिये ।

यह कह कर मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं । मंत्री जी, विशेष रूप से श्री मनुभाई शाह इस सम्बन्ध में बहुत काम कर रहे हैं।

हम मिस्र, श्रीलंका, यूगोस्लाविया जैसे ग्रपने निकट के देशों के साथ निकट वाणिज्यिक सम्बन्ध नहीं बना रहे हैं। ग्रायात या निर्यात के मामले में हम ग्रखबारी कागज तथा ग्रौषधियों जैसी ग्रावश्यक वस्तुग्रों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। मुझे ग्राशा है कि मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान देंगे ।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं सभा के सदस्यों के प्रति ग्राभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मंत्रालय द्वारा किये गये कार्यों ग्रौर त्रुटियों सम्बन्धी ग्रपने विचार व्यक्त किये हैं। जिस प्रतिवेदन पर ग्राज इस सभा ने विचार किया है उस में पिछले कुछ वर्षों की विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति संक्षेप में बताने का प्रयत्न किया गया है। हमारे देश की एक स्पष्ट दीर्घकालीन नीति है। इस नीति की पहली बात यह है कि हम तीन देशों को छोड़ कर विदेश के सभी देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं। हम दक्षिण ग्रफ्रीका, चीन ग्रौर पुर्तगाल को छोड़कर 120 देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं। सभी देश दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यह हमारे सर्वोत्तम हित में है कि हम सब देशों के साथ व्यापार करें ग्रौर ऐसी शर्तों पर करें जिस से हमें लाभ हो । ग्रायात

के लिए यथासम्भव कम मूल्य हो और निर्यात के लिए यथासम्भव अधिक। चाहे हम समाजवादी देशों से व्यापार करते हों या पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करते हों या हम वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते हों, रुपये के रूप में भुगतान करने वाले देशों से व्यापार करते हों अथवा निर्बाध विदेशी मुद्रा के साथ व्यापार करते हों, हम सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि हमारे हित पूरी तरह रक्षित रहें। हम विश्व के किसी भी देश से किसी ऐसी वस्तु का आयात नहीं करते जिसकी इस देश में आवश्यकता न हो । चाहे रूस के साथ व्यापार हो या अमरीका के साथ हम केवल वही वस्तुयें आयात करते हैं जिनकी बहुत आवश्यकता हो, उनका आयात अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर करते हैं और वही किस्में आयात करते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए स्वीकार की जा सकें ।

श्री शिकरे अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की ओर संकेत कर रहे थे कि हम पूर्वी यूरोप के देशों से या वस्तु विनिमय की पद्धति द्वारा अथवा सम्पर्क द्वारा खरीद करते हैं और इस से आन्तरिक रूप से या बाह्य रूप से देश पर भार है। उन्होंने "बीजक को अधिक दिखाना" और "बीजक को कम दिखाना" शब्दों का प्रयोग किया है । जहां तक पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हमारे व्यापार का सम्बन्ध है, तुलनात्मक मूल्यों के बारे में उससे कोई भार नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसे विचारों को दूर करना चाहता हूं । सभी देशों से हर प्रकार का व्यापार एक दूसरे के पारस्परिक हित और अधिकतम लाभ के लिए है । हम मूल्य प्राथमिकता लक्षित स्थान के कारण से नहीं देते हैं। इसका परिणाम अच्छा निकला है । जैसा कि श्री व० बा० गांधी ने कहा है कि हम संस्थायें स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब विज्ञान, तकनीकी और आधुनिक तरीकों से व्यापार किया जा रहा है, इसलिए जब इस देश के एक बड़े अर्थशास्त्री ने विदेश व्यापार नीति बनाने के लिए कहा तो मुझे हैरानी हुई ।

हम चाहते हैं कि कच्चे माल को कम प्राथमिकता दी जाये और निर्मित्त वस्तुओं को बहुत अधिक प्राथमिकता दी जाये। निर्मित्त वस्तुओं में बढ़िया वस्तुओं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अधिक प्राथमिकता दी जाये।

निर्यात के संबंध में यदि लोहे को लिया जाय तो हम निश्चय ही इंजनीयरिंग उत्पादों को कच्चे लोहे की अपेक्षा महत्व देंगे । और स्थिति की आवश्यकता के अनुसार हमें हर सम्भव वस्तु का निर्यात करने का प्रयत्न करना चाहिये चाहे हमें इसके लिये कुछ कठिनाई ही क्यों न हो । श्री शिकरे ने कहा है कि हम चीनी का निर्यात क्यों करते हैं । मैं ऐसे महानुभावों की बात नहीं समझ पाता। यदि हम चाहते हैं कि देश समृद्ध हो तो वर्तमान पीढ़ी को इसके लिये कुछ बलिदान करना होगा । मैं कुछ विशेष मितव्ययिता की मांग नहीं करता परन्तु देश में निर्यात के लिय उचित वातावरण तैयार किया जाना बहुत आवश्यक है और इसीलिये हम सब को मिलकर प्रयत्न करना होगा क्योंकि निर्यात से ही विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है जिसके बिना राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में प्रगति नहीं लाई जा सकती । चीनी के मामले में कुछ वर्ष पूर्व हमारी खपत 8 अथवा 10 लाख टन थी जबकि अब यह 26 अथवा 29 लाख टन है । इसलिये इस मामले में हमें बलिदान की नहीं मितव्ययिता की आवश्यकता है । हमने राजनैतिक स्वतन्त्रता तो प्राप्त कर ली है परन्तु आर्थिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये अभी कुछ और आत्मसंयम की आवश्यकता है जिससे हम थोड़े प्रयत्न से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं ।

[श्री मनुभाई शाह]

विदेशी व्यापार की नीति के संबंध में मुझे कुछ और मुख्य बातें सभा को बतानी हैं। विदेशी व्यापार के चार मुख्य 'स्तम्भ' हैं—इनमें से पहला उत्पादन है जिसमें वृद्धि संयम तथा अनुशासन रखते हुये भी आवश्यक है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 110 लाख की वृद्धि होती है।

मैं श्री वारियर से पूर्णतया सहमत हूं कि कृषि निर्यात व्यापार का मुख्य आधार है। अमरीका के कुल निर्यात व्यापार में भी 65 प्रतिशत भाग कृषि उत्पादन का है। हम गत एक अथवा दो वर्ष से इस संबंध में अपनी नीति का नवीकरण कर रहे हैं जिसका प्रभाव आगामी कुछ वर्षों में दिखाई देने लगेगा।

दूसरा स्तम्भ 'गुण-प्रकार' है क्योंकि उत्पादन चाहे कितना ही अधिक क्यों न हो इसके बिना निर्यात सम्भव नहीं है इसीलिये हमने किस्म नियंत्रण तथा लदान से पूर्व जांच आरम्भ की है। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक 80 से 85 प्रतिशत तक हमारा निर्यात अनिवार्य काननी किस्म नियंत्रण तथा लदान से पूर्व जांच के अधीन आ जायगा। इन उपायों के फलस्वरूप हमारे निर्यात किये जाने वाले माल के गुणों में बहुत सुधार हुआ है और शिकायतें बहुत कम सुनने में आती हैं।

31 मार्च तक मिलने वाले आंकड़ों के अनुसार हमारा निर्यात गत वर्ष की अपेक्षा 7 करोड़ रुपये अधिक का हुआ है। गत वर्ष चाय का निर्यात सर्वाधिक हुआ। चाय के निर्यात में "पैकिंग", अर्थात् जिन डिब्बों में भर कर चाय भेजी जाती है और वहां बिकती है, का भी बहुत महत्व है। यही आधुनिक विक्रय कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने भी इन डिब्बों को आकर्षक बनाने के काफी सफल प्रयत्न किये हैं। मुझे सभा को बताना है कि हम "पैकिंग" की एक संस्था निर्यातकों को प्रशिक्षण देने के लिये स्थापित करने जा रहे हैं।

तीसरा 'स्तम्भ' मूल्यों संबंधी है। अल्प विकसित देशों में उत्पादिता कम है और यद्यपि यह कुछ आश्चर्यजनक लगता है परन्तु सच यही है कि हमारे यहां मजूरी कम तथा दाम अधिक हैं। इसका कारण हमारे देश का इस ओर देर से ध्यान देना है। जब गत 200 वर्ष के दौरान जहां विश्व आधुनिक प्रविधिक ज्ञान अपना रहा था हम पराधीनता के कारण पिछड़े रहे। परन्तु हमने गत 17 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और आशा है कि आगामी 5 वर्षों में मूल्यों का प्रश्न हल हो जाएगा। यही हमारी जीवन रूप रेखा है। हमारा अस्तित्व आधार है जिसके बिना हम विश्व की प्रतियोगिता के सामने नहीं टिक सकते। क्षतिपूर्ति, आयात अधिकार, नकद आर्थिक सहायता अथवा अनुदान चाहे कितनी ही मात्रा में दिये जाये कार्यपटुता अथवा दक्षता का स्थान नहीं ले सकते। माना कि हम अमरीका, जर्मनी अथवा जापान की भांति हर क्षेत्र में कार्यपटु नहीं बन सकते। परन्तु उन विस्तरित क्षेत्रों जैसे कृषि एवं औद्योगिक अर्थ व्यवस्था में तो हमें प्रतियोगिता पर पूरा उतरना होगा। हमारे यहां उत्पादन मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की अपेक्षा लगभग दुगने हैं। हम यह अन्तर काफी समय तक सहन नहीं कर सकते। इसलिये हम यह सहन नहीं कर सकते कि मूल्यों में वृद्धि के कारण हम विदेशी मुद्रा से वंचित रहे और हमारा आयात व्यापार घटता जाय। इसीलिये मैंने सदा ही निर्यातकों को इस बात का आश्वासन दिया है कि यदि वे बढ़िया वस्तुओं का उत्पादन बनाये रखें और उसकी मात्रा भी बढ़ायें तो सरकार हर प्रकार से उनका साथ देगी। भ्रष्ट व्यापारियों के विरुद्ध भी सरकार ने कई कार्यवाहियां की हैं और सरकार आयात तथा निर्यात के नियंत्रण संबंधी विधेयक में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि बुरे व्यापारियों

के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करके उन्हें दण्ड देने की शक्ति प्राप्त की जा सके। इस समय केवल आर्थिक दण्ड की ही व्यवस्था है परन्तु यह शक्ति प्राप्त हो जाने से उन व्यापारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी जो बीजक को घटा अथवा बढ़ा कर दिखाने के दोषी हैं। उन्हें तब कारावास का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : यह काफी पहले किया जाना चाहिये था।

श्री मनुभाई शाह : मुझे तो निर्यातकों को निश्चित रूप से यह आश्वासन देना पड़ेगा कि ऐसी निर्यात वृद्धि योजनायें निरन्तर जारी रहेंगी और इनमें कोई एकदम परिवर्तन नहीं किया जाएगा। श्री हेडा ने यह ठीक ही कहा है कि यदि एक व्यक्ति एक विदेशी साझेदार से समझौता इस बिना पर करता है कि सरकार उसे फलां फलां सुविधा अथवा सहायता देगी, परन्तु सरकार इसमें एक दम कोई परिवर्तन कर देगी तो वह किस प्रकार अपने समझौते की शर्तों को पूरा कर सकेगा। इस हालत में उस व्यापारी की बदनामी तो होगी ही परन्तु हमारा देश भी बदनाम हो जायगा। अतः मैं यह पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि निर्यात वृद्धि योजनायें निरन्तर चलती रहेंगी और यदि कोई थोड़ा बहुत हेर फेर करना भी हुआ तो उसके लिये पर्याप्त नोटिस दिया जायगा और संबंधित लोगों की सलाह भी ली जायगी जिससे जो भी परिवर्तन किया जाये वह ठीक दिशा में हो। निर्यातकों की सहायता के लिये यह योजनायें काफी सोच विचार के पश्चात् बनाई जाती हैं और इन्हें चौथी योजना में जारी रखा जायेगा जिससे चौथी योजना के अन्त तक 1100 से 1200 करोड़ रुपये के निर्यात संबंधी लक्ष्य को पूरा किया जा सके और निर्यातक ठीक प्रकार से निर्यात व्यापार जारी रख सके और अपने माल को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर बेच सके।

राज्य व्यापार के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह किसी न किसी रूप में प्राय सभी देशों में है चाहे वे अविकसित देश हैं अथवा पूरी तरह से उन्नत देश। इस बारे में हमने एक पुस्तिका जिसका शोर्षक "एट ईयर्स ऑफ स्टेट ट्रेडिंग" है, निकाली है और मैं अपने माननीय मित्र श्री रंगा से इसे पढ़ने का अनुरोध करता हूं।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है।

श्री मनुभाई शाह : यदि वह इस पुस्तिका को पढ़ेंगे तो वह यह महसूस करेंगे कि संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर राज्य व्यापार नहीं है। मात्रा में कमी बेशी हो सकती है, इसके तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परन्तु प्रत्येक देश ने विशेष रूप से विदेशी व्यापार के बारे में राज्य व्यापार को आवश्यक समझा है। यदि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते हैं तो छोटे व्यापारियों को किसी न किसी प्रकार से सहायता देनी पड़ेगी ताकि वह विदेशी मंडियों में मुकाबला कर सकें, हमें राज्य व्यापार को किसी न किसी रूप में अपनाना होगा।

श्री रंगा : मैंने यह कब कहा है कि राज्य व्यापार निगम नहीं होना चाहिये। मैंने तो केवल एक ही बात कही है कि अपने लोगों को समग्रवादी देशों के विरुद्ध बचाने के जिस मुख्य प्रयोजन के लिये राज्य व्यापार निगम को स्थापित किया गया है वह उसको पूरा नहीं कर रहा है।

श्री मनुभाई शाह : मुझे खुशी है कि श्री रंगा ने राज्य व्यापार को स्वीकार तो कर लिया है।

श्री रंगा : राज्य व्यापार निगम उन समग्रवादी देशों के सामने घुटने टेकने की नीति पर चल रहा है और वे देश इससे बहुत घृणा करते हैं क्योंकि सरकार की यह नीति गलत है।

श्री मनुभाई शाह : मैं तो कहूंगा कि यह इस देश की सरकार की निश्चित रूप से स्वीकृत नीति है कि राज्य द्वारा व्यापार हो। यह कहना गलत है कि राज्य व्यापार का उद्देश्य केवल समाजवादी देशों से ही व्यापार करने का है। इस देश में राज्य व्यापार स्थिर हो गया है चाहे कोई इसे स्वीकार करे अथवा नहीं। यह जारी रहेगा ; इसमें और विस्तार होगा ताकि मूल उत्पादक, मध्यम व्यापारी की सहायता की जा सके और आयात तथा निर्यात व्यापार को ठीक प्रकार से किया जा सके। कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध शिकायतें की हैं परन्तु अब राज्य द्वारा व्यापार जारी रहेगा इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं है।

1961 में तम्बाकू का 16 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। उच्चतम मूल्य इसलिये निर्धारित किया गया है कि विदेशी क्रेताओं का विश्वास बना रहे कि इस देश की मूल्यों के बारे में स्थिर नीति है क्योंकि व्यापार तो द्विपक्षीय होता है और उनको यह आश्वासन देना आवश्यक है कि सम्बन्ध स्थापित होने के पश्चात् प्रतिकूल स्थिति में उनको लूटा नहीं जायेगा। तम्बाकू में 1962 में 20 करोड़ रुपयों का निर्यात व्यापार हुआ जबकि पिछले वर्ष 24 करोड़ रुपयों का निर्यात हुआ। क्या यह वृद्धि प्रशंसनीय नहीं है ?

श्री रंगा : क्या यह सरकार का काम था ? यह काम तो लोगों ने किया है।

श्री मनुभाई शाह : आप ठीक कहते हैं। हम इसका श्रेय नहीं लेते। यह काम लोगों ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के आधार पर किया है।

श्री रंगा : आपने कौन सी व्यवस्था की है ? आप तो कोई व्यवस्था ही नहीं कर सके।

श्री मनुभाई शाह : मैं इस व्यक्तिगत तर्क में नहीं पड़ना चाहता। जो बातें कही गई हैं वह हमारे एक मित्र देश रूस के सम्बन्ध में हैं। मैं यह बता दूं कि उस देश के साथ हमारे व्यापार में जो वृद्धि हुई है उससे न केवल उसको ही लाभ हुआ है अपितु हम को भी लाभ हुआ है। उससे दीर्घकालीन साझेदारी से मूल्यों में स्थिरता आ गई है। हमें उन देशों से जिन से हमारे रुपयों में भुगतान सम्बन्धी समझौते हैं, बहुत सहायता मिली है। उन देशों की नीतियों से हमें मूल्यों के प्रश्न पर अवश्य सहायता मिली है।

श्री हरि विष्णु कामत : उन देशों को जूते और केलों के निर्यात के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री मनुभाई शाह : उस से भी लाभ हुआ है। अब 600,000 जोड़े जूतों का निर्यात किया जा रहा है। हम इसको 10 लाख जोड़ों तक वृद्धि करने की योजना बना रहे हैं।

विपणन प्रविधि (मार्केटिंग टैक्नीक) के क्षेत्र में हमने कुछ कार्य किया है। विदेशी व्यापार संस्था ने व्यापारियों, निर्यातकों तथा उत्पादकों का ध्यान नवीन विपणन प्रविधियों की ओर दिलाया है। इस संस्था ने इस बारे में कई उपयोगी रिपोर्टें तैयार की हैं। विभिन्न प्रतिनिधिमण्डल जो भी बाहर जाते हैं वह भी अपने अनुभवों के आधार पर हमें सलाह देते हैं। गैर-सरकारी, सरकारी तथा संस्थान स्तर पर जो हम वस्तु अनुसन्धान तथा क्षेत्रीय परिमाप कर रहे हैं इससे भी विपणन में काफी लाभ हुआ है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम उत्पादन, पैकिंग सहित गणावस्था, मूल्यों तथा विपणन प्रविधियों की ओर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब हमने नमूना परीक्षण की एक पूर्ण प्रणाली अपनाई है जिसके अनुसार आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की काफी प्रतिशतता में नमूना परीक्षण किया जा रहा है। श्री अब्दुल वहीद ने कहा कि निर्यातकों को कच्चा माल, पुर्जे, उपकरण और मशीनें दी जायें। ऐसे देश में जहां आयात के लिये सीमित गुंजाइश हो, यदि निर्यातक को कच्चे माल के लिये निर्माताओं की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा तो निर्यात कहां से होगा। निर्यात में कमी होती जायेगी। जो अब तक हमें निर्यात व्यापार में सफलता मिली है इसको बनाये रखने के लिये अवश्य प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिना प्रयत्न करने के हम निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों को बनाये नहीं रख सकते। पिछले 16 वर्षों में निर्यात व्यापार के विश्लेषण से पता चलता है कि निर्यात के आंकड़ों में कमी बेशी होती रहती है। कई ऐसे वर्ष भी हैं जिनमें निर्यात व्यापार में 50 करोड़ रुपयों की कमी हुई। अतः निर्यात के वर्तमान आंकड़ों को बनाये रखने के लिये प्रयत्न करने पड़ते हैं। निर्यातकों को सहायता देने के इस कार्यक्रम में यदि कोई अनियमितता अथवा अधिकारों के दुरुपयोग के किसी मामले पर हम विचार करने के लिये तैयार हैं। जहां 10 लाख से भी अधिक जहाज़ों में लदान हों, वहां पर गड़बड़ करने वाले कुछ लोग लाज़मी तौर से होंगे। परन्तु ऐसे कुछ मामलों के अतिरिक्त हमारा निर्यात व्यापार समुचे रूप से बहुत अच्छा है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जब भी कोई ऐसा मामला हमारे ध्यान में लाया जायेगा तो उससे सख्ती से निपटा जायगा। किसी भी शरारत तथा गड़बड़ करने वाले आदमी को छोड़ा नहीं जायेगा चाहे उसकी सार्वजनिक जीवन में स्थिति कैसी भी हो।

इस वर्ष 176 करोड़ रुपये का पटसन निर्यात किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में 26 करोड़ रुपये के पटसन का अधिक निर्यात हुआ है। पटसन उद्योग हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। इसलिये हमने इस वर्ष भारतीय पटसन निर्माता संघ की "उत्पाद विकास तथा तन्तु परिवर्तन योजना" नामक एक योजना की मंजूरी दी है। इस योजना के अन्तर्गत बाजार विकास निधि से इस उद्योग के लिये 45 लाख रुपये की मंजूरी दी है, ताकि इस उद्योग को चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष में होने वाले आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के 75 प्रतिशत की मंजूरी दी जा सके। इस योजना के बारे में मैं संक्षेप में यह बता देना चाहता हूं कि अभी तक हम जो पटसन की बनी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, उनके मुकाबले में संश्लिष्ट पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं की अधिक मांग है। इस उद्योग को विश्व बाजार में यदि मुकाबला करना है तो हमें इसके उत्पादों में विकास करना पड़ेगा तथा उनमें भिन्नता लाने के लिये हमें अनुसन्धान करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी चीजों के मुकाबले में बहुत अच्छी चीजें बन रही हैं। अतः उत्पादों में विकास करना बहुत आवश्यक है। मैंने विश्व के कई भागों में देखा है, उदाहरणार्थ सिंगापुर में पटसन का रेशा साधारणतया 50 पैसे गज बिकता है परन्तु उत्पाद विकास से इसको परिवर्तित करके 5 रुपये गज के हिसाब से बेचा जाता है।

[श्री मनुभाई शाह]

पटसन के कपड़े से होटल-कवर्स सजाने वाले कपड़े, दीवारों पर लगाने वाले कागज इत्यादि बनाये जाते हैं। जूट कई अन्य वस्तुओं को बनाने के काम में लाया जाता है। इसीलिये हमने जूट उद्योग के लिए 45 लाख रुपये आवर्तक व्यय वाली इस विशेष योजना की मंजूरी दी है और सरकार पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत अनुदान देगी। हम जूट उद्योग को कर-समंजन प्रणाली (टैक्स क्रैडिट सिस्टम) के अन्तर्गत लाने का विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय ने भी घोषणा कर दी है जो सभा को विदित है। इस कर-समंजन प्रमाणपत्र योजना के अन्तर्गत हम वाणिज्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति नियुक्त कर रहे हैं जिसमें वित्त मंत्रालय के उच्च पदाधिकारी प्रतिनिधि के रूप मे होंगे तथा एक प्रतिनिधि सम्बन्धित मंत्रालय का होगा यह तीन सदस्य वाला उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड निर्यात उद्योगों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदनों पर विचार करेगा और इस बात का निर्णय करेगा कि किस प्रकार का कर-समंजन मंजूर किया जाना चाहिए। मैं औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का निर्यात करने वाले अधिकतर निर्यातकर्ताओं को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जब कभी कोई वस्तु सहायता देने की पात्र समझी जायेगी तो यह समिति उस पर विचार करेगी और उसे किस मात्रा में सहायता दी जानी चाहिए इस पर अन्तिम रूप से निर्णय करेगी।

छोटे पैमाने पर चाय का उत्पादन करने वालों के प्रति इस सभा और मंत्रालय की सहानुभूति है और हम ज़ोन के सीमा-निर्धारण के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए विचार कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि चाय के छोटे छोटे बागानों के मालिकों को लाभ हो और उनकी कठिनाइयां दूर की जायें। इस सभा के कई माननीय सदस्य चाय बागानों के मालिक हैं और मैं उन्हें राय दूंगा कि वे सहकारी कारखाने स्थापित करें। छः वर्ष की अवधि में हमने छः सहकारी कारखाने स्थापित किये हैं। चाय के सहकारी कारखानों को हम अधिकतम सहायता दे सकते हैं।

यद्यपि चाय उद्योग को सहायता की आवश्यकता है तथापि इस समय भी उसकी बुरी हालत नहीं है। चालू वर्ष में 3 मार्च तक 130 करोड़ रुपये की चाय का निर्यात हुआ जो पिछले वित्तीय वर्ष से 7 करोड़ रुपये अधिक है। इस वर्ष 8350 लाख टन चाय का उत्पादन हुआ है; किसी उत्पादक ने कभी सोचा भी नहीं था कि चाय का उत्पादन इतना अधिक हो जायेगा। इसके आधार पर हम आशा करते हैं कि आगामी पांच वर्षों में हम 10,000 टन के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। चालू वर्ष में चाय उद्योग को विभिन्न रूपों में 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जायेगी। चारी समिति की मुख्य सिफारिश नये रोपण तथा पुनर्रोपण पर विकास छूट देने के सम्बन्ध में है। सरकार ने इस सम्बन्ध में नये रोपणों तथा पुनर्रोपणों के लिए क्रमशः 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत विकास छूट देने की पहले ही घोषणा कर दी है। हम एक चाय वित्त तथा प्रत्याभूति (गारंटी) निगम की स्थापना कर रहे हैं जिसका मुख्य काम चाय बागान के मालिकों को प्रत्याभूति दना होगा। इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में आज ऐसा कोई भी अभिकरण नहीं है जो चाय उद्योग में स्थायित्व पैदा करने के लिए उन विभिन्न ऋण देने वाली (बैंकिंग) संस्थाओं को प्रत्याभूति दे सके जो कि दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन ऋण देना चाहती हैं। अतः इस कार्य के लिए इस निगम की स्थापना की जा रही है।

इसके पश्चात् कर-छूट देने का प्रश्न ग्राता है। चारी समिति ने 18 पैसे प्रति किलोग्राम की सिफारिश की है, कर-समंजन प्रमाणपत्र योजना के ग्रन्तर्गत जोशी समिति कार्य करना ग्रारम्भ कर देगी ग्रौर मुझे यकीन है कि वित्त मंत्री महोदय वित्त विधेयक पर चर्चा का ग्रन्तिम उत्तर देने से पूर्व इस योजना से सम्बन्धित वस्तुग्रों यथा चाय ग्रौर ग्रन्य वस्तुग्रों के बारे में घोषणा कर देंगे ग्रौर तब तक कुछ वस्तुग्रों को इस योजना का लाभ मिल जायेगा। चारी समिति में जाय उद्योग से सम्बन्धित सभी वर्गों के सदस्य थे ग्रौर सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि प्रतिवेदन में दिये गये सभी सुझावों ग्रथवा सिफारिशों को पूरी तौर पर मान लिया जाये।

तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु लौह ग्रयस्क है। हमने इसके लिये एक बृहत् योजना तैयार की है जिसके ग्रन्तर्गत ग्रागामी सात वर्षों के लिये 370 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसके ग्रधीन भारत के सभी बड़े पत्तनों का कुछ सीमा तक विकास किया जायेगा ताकि वर्ष 1970–72 तक 300 लाख टन लौह ग्रयस्क का निर्यात किया जा सके। भारत की राष्ट्रीय योजना में 21,000 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। लौह ग्रयस्क की लदाई ग्रौर भराई के लिये हम ग्रपने सभी छः बड़े पत्तनों, यथा मद्रास, विजगापट्टम, परादीप, हल्दिया, मंगलोर ग्रौर गोवा का रेलवे व्यवस्था के साथ-साथ ग्राधुनिकीकरण कर रहे हैं। लौह-ग्रयस्क के व्यापार में ग्रत्यधिक होड़ है जहां एक-एक पैसे का महत्व है। इस व्यापार में हमें जापान, ग्रास्ट्रेलिया, वेंज्युला, स्वीडन, रूस तथा ग्रन्य कई देशों के साथ होड़ लगानी पड़ेगी, ग्रतः इन छः पत्तनों का ग्रधिकतम् वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जाना ग्रावश्यक है।

कुछ माननीय सदस्यों नेकहा है कि एम० एम० टी० सी० गोवा में काम नहीं कर रही है। किन्तु मैं इस बात को फिर जोर देकर कहता हूं कि यदि गोवा का कोई भी निर्यातकर्ता ग्रथावछोटे दर्जे का खान-मालिक या मध्यम दर्जे का खान-मालिक लौह ग्रयस्क देना चाहे, तो हम उसे किसी भी समय खरीदने के लिये तैयार है। छोटे खान-मालिकों के ग्राग्रह पर एम० एम० टी० सी० ने गोवा में काम करना ग्रारम्भ कर दिया है। इससे उन्हें लाभ हुग्रा है ग्रौर उन्होंने उसका गोवा में ग्राने का स्वागत किया है।

वार्षिक प्रतिवेदन में मैंगनीज़-ग्रयस्क के बारे में भी बताया गया है। हमने चालू वर्ष में इसका बहुत ग्रधिक निर्यात किया है, राज्य व्यापार निगम के काम करने के फलस्वरूप हमने विभिन्न वस्तु-विनिमय ग्रन्य दूसरी विक्रय प्रणाली के ग्रन्तर्गत हमने 15 लाख 90 हजार टन मैंगनीज ग्रयस्क का ठेका लिया है। संसार में 37 लाख टन मैंगनीज़-ग्रयस्क का व्यापार होता है जिसमें से 45 प्रतिशत मैंगनीज़ ग्रयस्क का निर्यात हम करते हैं। हम 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने में सफल हुए हैं। महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास, ग्रान्ध्र ग्रौर केरल के चुने गये क्षेत्रों में कारखानों की स्थापना करने पर हम चीनी का करीब करीब प्रतियोगिता मूल्य दर पर उत्पादन कर सकते हैं। लैटिन ग्रमेरिकी देशों, क्यूबा तथा ग्रास्ट्रेलिया की भांति वहां गन्ने का 60 से 75 टन प्रति एकड़ तक उत्पादन है। छः या सात वर्ष पूर्व हमारे देश में 10 लाख टन चीनी की खपत थी किन्तु ग्राज वह 29 लाख टन हो गई है। देश का भविष्य बनाने के लिये हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा।

जहां तक तेल ग्रौर तेल के बीजों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में हमारा काम ग्रच्छा ही रहा है, किन्तु इस समय हम वनस्पति तेलों के निर्यात से ग्रधिक विदेशी पूंजी की ग्राशा नहीं कर सकते हैं। जब तेल सम्बन्धी ग्रर्थ व्यवस्था पूर्ण रूप में विकसित हो जायेगी ग्रौर जब मूल्य में स्थिरता ग्रा जायेगी तब हम सारी स्थिति पर पुनर्विचार कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्रतिबन्ध लगाने पर स्वाभाविक तौर पर माल का संग्रह हो जायेगा जिससे कि कुछ कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। ग्रतः इस सम्बन्ध में इस समय

[श्री मनुभाई शाह]

कुछ कहना उपयुक्त नहीं है । व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हमने उससे संश्लिष्ट पदार्थों सम्बन्धी एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाने का अनुरोध किया था । हमारे अगिया घास तेल (लेमन-ग्रास ऑइल) को हानि पहुंच रही है । सरकार ने उत्पादकों की सहायता कर के मुल्य-समर्थन किया है और राज्य-व्यापार निगम ने केरल में अगिया घास तेल पूर्णतः खरीद कर उसका निर्यात हानि उठाकर किया है ।

मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि हमने सूती वस्त्रों के गत 13 अथवा 14 वर्ष से गिरते हुए निर्यात की स्थिति पर काबू पा लिया है । हाल ही समाप्त होने वाले वर्ष में हमने 63 करोड़ रुपये के मूल्य के सूती वस्त्रों का निर्यात किया है जब कि इससे पूर्व हम 54 करोड़ रुपये मूल्य तक के सूती वस्त्रों का निर्यात करते रहे हैं । "लीडिंग मद्रास" हथ करघे से बने वस्त्रों का निर्यात 2 करोड़ रुपये से बढ़ कर 6 करोड़ रुपये हो गया है ।

नई मिलें बन रही हैं, देवास से मिल हटाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई है । यह केवल मशिनरी के एक छोटे भाग का अन्तरण है । किन्तु यदि कोई और उद्योगपति कोई नई मिल स्थापित करना चाहे तो सरकार भी उसकी सहायता करेगी । हम देवास का औद्योगिक विकास करना चाहते हैं अतः हम वहां एक सूती वस्त्र मिल की स्थापना करवाने और उसके लिये लाइसेंस देने के लिये तैयार हैं । हमने इस सम्बन्ध में एक नई नीति यह अपनायी है कि देवास तथा अन्य अल्प विकसित तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में जहां कि निजी उद्योगपति उचित सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण अपना कारोबार चालू करने के लिये उद्यत नहीं हैं, वहां केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकर ने अगले 5 वर्षों में सरकारी और सहकारी क्षेत्र में 50 नई सूती मिलें खोलने का विचार किया है । हमने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में योजना आयोग से भी बातचीत करली है ।

जहां तक कपड़ा नियंत्रण मूल्य का सम्बन्ध है, वह स्पष्ट रूप से 18 प्रतिशत उल्लिखित किया गया है अर्थात् उपभोक्ता को छपे हुए मूल्य से 18 प्रतिशत अधिक देना पड़ेगा । पिछले वर्ष उत्पादन में वृद्धि के कारण-उत्पादन 5 करोड़ 60 लाख हो गया था परिणामस्वरूप मूल्य गिर गये हैं और कपड़ा भी नियंत्रित मूल्य से 4 से 5 प्रतिशत कम पर बिकने लगा । नियंत्रण मूल्य केवल निर्धन तथा मध्य वर्ग के लोगों के लिये निर्धारित किये गये हैं । तकनीकी कारणोंवश कहीं कहीं पर मूल्य में 1 प्रतिशत अधिक भी भुगतान किया जाता है । अब यह स्थिति है कि उत्पादन-शुल्क में 5 से 7 प्रतिशत, और कहीं कहीं 10 प्रतिशत तक की राहत दी गई है अतः स्वाभाविक तौर पर उपभोक्ता को भी इन्हीं अनुपातों में कपड़ा पहले से कम मूल्य पर मिलेगा ।

विद्युत् कर्घों के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि हमें इस विषय पर सभी राज्य सरकारों से परामर्श करना पड़ा और हम शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सरकार का संकल्प सभा के समक्ष ले आयेंगे । हमें इसके बारे में प्रतिवेदन जुलाई में प्राप्त हुआ । अशोक मेहता के समिति के प्रतिवेदन का मुख्य आधार यह है कि वित्तीय विनियमन इस प्रकार बनाये जाये ताकि उत्पादन शुल्क में अन्तर होने के कारण जो मिल के बने हुए कपड़े और विद्युत् कर्घों से बने कपड़े के बीच भारी अन्तर है, उसे दूर किया जा सके, 25 रुपये की धनराशि, प्रति विद्युत् कर्घा उत्पादन शुल्क कोई बड़ी धनराशि नहीं है । यह केवल एक पया प्रति शिफ्ट प्रति मास बनती है । वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में काफी उदारता दिखाई है । मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर विचार करे कि जो अनुमान लगाया जा रहा था और वास्तव में जो किया गया है—उसमें बहुत ही अन्तर है । किसी उद्योग पर केवल 25 रुपये वार्षिक

रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लगाना उसके लिये काफी लाभप्रद है। अतः विद्युत् हथकर्घों को लगाने की मांग बहुत अधिक है।

विद्युत् कर्घों के बारे में सरकार का निर्णय सभा के समक्ष शीघ्र पेश किया जायेगा। सदस्यों का संकल्प देखने पर विदित होगा कि सरकार सारे मामले में समन्वय लाने का प्रयत्न कर रही है ताकि चार क्षेत्रों, यथा खादी, हथकर्घा, विद्युत कर्घा और मिल के बीच हितों में संघर्ष उत्पन्न न हो। इन में प्रत्येक क्षेत्र के महत्व पर विचार करते हुए हम इन में से किसी एक को भी हानि होने देना नहीं चाहते।

हम धागे की तुलना में कालीन और चटाइयों का अधिक निर्यात करने में सफल नहीं हो सके हैं किन्तु यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। गत सौ वर्षों में नारियल रेशों का निर्यात हमेशा अधिक रहा है। किन्तु गत कुछ वर्षों से हमारा यह प्रयत्न रहा है कि रेशों के बजाय कालीन और चटाइयों का अधिक निर्यात हो। सरकार ने कालीन और चटाइयों के निर्यात को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है। हम धागे का निर्यात कम से कम मात्रा में करना चाहते हैं। नारियल रेशों का एक निश्चित विश्व-बाजार है किन्तु नारियल रेशों से बने हुए कालीन और चटाइयों का उतना व्यापक विश्व-बाजार नहीं है अर्थात् उनकी मांग नारियल रेशों की तुलना में कम है। हमें बेल्जियम, डेनमार्क, हालैण्ड, जर्मनी आदि देशों से, जो हमारे निर्यात किये गये नारियल रेशों से सामान बनाते हैं, बातचीत करनी पड़ेगी कि वे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के सिद्धान्त के आधार पर धीरे धीरे हमारे नारियल रेशों का आयात कम करके नारियल से बने हुए कालीन और चटाई के निर्यात को बढ़ावा दें। हम स्थिति के प्रति पूर्णरूपेण जागरुक हैं। नारियल रेशे के सम्बन्ध में, सरकारी क्षेत्र में एक पंजीकृत विद्युत् कर्घा एकक स्थापित करने के लिए हमने सभा के समक्ष एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है।

माननीय सदस्यों को मैं व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग (यू०एन० सी० टी० ए० डी०) एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (ई० सी० ए० टी० एफ०) और व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता (जी० ए० टी० टी०) के घटनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से अवगत कराऊंगा। वर्ष 1964 में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कई क्रान्तिकारी घटनायें हुई हैं। इन में पहली घटना कैनेडी राउण्ड है जिसे अमेरिका के स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री कैनेडी ने चलाया जिसके अधीन राष्ट्रपति तथा अमरीकी सरकार के कार्यपालिका प्राधिकार को कटौती करने की पूरी शक्तियां दी हुई हैं अर्थात् दो व्यापार-भागीदार मिलकर अल्प विकसित देशों के हित में अमरीकी शुल्क में 50 प्रतिशत कटौती करेंगे। हमने अपनी सरकार अपनी देश की जनता व इस सभा की ओर से विकसित औद्योगिक देशों से विशेषकर अमरीका से अनुरोध किया कि वे "कैनेडी राउण्ड" को सफल बनायें।

व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग ने भी अल्प-विकसित देशों के बारे में पारस्परिक विनिमय आधार को स्वीकार कर लिया है जिसके अनुसार शुल्क में कटौती प्राप्त होने पर एक तरफा आधार पर हमसे भारत में निर्यात किये जा रहे अमरीकी सामान की तरह रियायतों को देने की आशा नहीं की जा सकेगी। अतः कैनेडी राउण्ड की बात और व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ संकल्प की उपरोक्त मुख्य बात अमरीका सहित सभी देशों ने मान ली है।

[श्री मनुभाई शाह]

इसमें नाम मात्र के लिए कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि अमरीकी अधिनियम के अनुसार इसे एक तरफा आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम इस प्रकार की बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं अमरीकी सरकार को यह विश्वास दिला सकता हूं कि यदि वह पहल करे तो कैनेडी राउंड में काफी सफलता मिल सकती है।

5 अप्रैल, 1965 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार तथा विकास बोर्ड की पहली बार बैठक हो रही है, हम इस बैठक की सफलता की कामना करते हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें उक्त बोर्ड के अधीन तीन आयोग अर्थात् पण्य आयोग, नौपरिवहन आयोग तथा निर्माता आयोग नियुक्त किये जायेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पण्य आयोग यह निर्णय करेगा कि अल्प-विकसित देशों में उत्पादित मूल वस्तुओं तथा अर्द्ध निर्मित वस्तुओं के मूल्यों को किस प्रकार समर्थन दिया जाय। निर्माता आयोग उन प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय करेगा जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट करके अल्प विकसित देशों के औद्योगिकीकरण में सहायक मिल सके जिससे उन देशों की अर्धनिर्मित वस्तुएं औद्योगिक रूप से विकसित देशों में निर्बाध रूप से पहुंच सकें। तीसरा आयोग नौ-परिवहन तथा अप्रत्यक्ष व्यापार के बारे में है। हमने अपील की है कि नौपरिवहन का पुनर्गठन किया जाय तथा आसान शर्तों पर दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था की जाय ताकि भारत तथा अन्य अल्प विकसित देश अपने विदेशों के साथ होने वाले व्यापार के अनुसार नौपरिवहन का अधिकतम लाभ उठा सकें।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते में एक चौथा अध्याय जोड़ा गया है जिसके अनुसार यह संस्था अब केवल धनी लोगों की ही संस्था नहीं रहेगी। समय के साथ-साथ इतिहास का भी विकास होता है अतः हम औद्योगिक रूप से विकसित देशों से अनुरोध करते हैं कि वे अल्प विकसित देशों के विकास में सहायता करें। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इन मागों को स्वीकार करले, मैं संकल्प संख्या 2 (5)/65 O & M दिनांक 31–3–65, जो कि माथुर समिति के सिफारिशों के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० —4135/65]**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 16 से 21 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Cut motion Nos 16 to 21 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री वारियर अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 25 से 32 और 34 से 36 के प्रस्तुत किये जाने का आग्रह करते हैं ?

श्री वारियर : जी, नही।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने कटौती प्रस्तावों को वापस लेने के बारे में सभा की अनुमति प्राप्त है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

कटौती प्रस्ताव संख्या 25 से 32 और 34 से 36, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये ।

Cut Motions Nos. 25 to 32 and 34 to 36 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री यशपाल सिंह अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 3 से 8 के प्रस्तुत किये जाने के लिए आग्रह करते हैं ?

श्री यशपाल सिंह: जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 3 से 8, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये ।

Cut motions Nos. 3 to 8 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 14 और 15 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motion Nos. 14 and 15 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :—

The following demands in respect of Ministry of Commerce were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
5	वाणिज्य मंत्रालय	33,38,000
6	विदेशी व्यापार	9,08,02,000
7	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	4,09,31,000
115	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	66,08,000

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 6 अप्रैल, 1965/चैत्र 16, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 6th April, 1965 Chaitra 16, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS III—663 (Ai) LS 19-7-65—600